CONTENTS

Sixteenth Series, Vol. IV, Second Session, 2014/1936 (Saka) No. 22, Thursday, August 7, 2014/Shravana 16, 1936 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.421 to 425	3-60
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.426 to 440	61-160
Unstarred Question Nos.4049 to 4278	161-675

 * The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE		676-687	
Status conta Comr for G of Par	EMENT BY MINISTER s of implementation of the recommendations ined in the 39 th Report of the Standing mittee on Rural Development on Demands rants (2013-14), pertaining to the Ministry nchayati Raj	600	
3	Shri Upendra Kushwaha	688	
_	ON RE: FIFTH REPORT OF BUSINESS SORY COMMITTEE	689	
GOVE	RNMENT BILLS-Introduced		
((i) Railways (Amendment) Bill, 2014	690	
((ii) Factories (Amendment) Bill, 2014	691-694	
((iii) Apprentices (Amendment) Bill, 2014	695	
(i)Re :N in the	ISSIONS BY MEMBERS Need to include Tamil and other languages enshrined to Eighth Schedule of the constitution as a medium tamination in the UPSC	696-698	
	Request for necessary help for rescue, relief and abilitation to the flood affected people of Odisha	710-711	
MATT	ERS UNDER RULE 377	717-730	
(i)	Need to shift railway siding at <i>roza mal godam</i> away from NH 24 in Sahajahanpur parliamentary constituency, Uttar Pradesh		
	Shrimati Krishna Raj	717	
(ii)	Need to provide pedestrian way to civilians living in the surroundings of cantonment area in Ranchi, Jharkhand		
	Shri Ram Tahal Choudhary	718	

(iii)	Need to ensure road safety on National Highways in the country	
	Shri Jayant Sinha	719
(iv)	Need to formulate a scheme for an effective sewerage system in Ambala, Yamunanagar and Panchkula Municipal Corporations in Haryana particularly in Ambala Cantonment	
	Shri Rattan Lal Kataria	719
(v)	Need to extend the proposed railway line from Mugalsarai to Chakiya Naugarh upto Robertsganj District Headquarters	
	Shri Chhote Lal	720
(vi)	Need to provide adequate facilities at all the railway stations in Bikaner Parliamentary Constituency declared as model railway stations.	
	Shri Arjun Ram Meghwal	720
(vii)	Need to address the problem of people in Srinagar in Garhwal Parliamentary Constituency facing threat to their lives and properties due to seepage of waters from the under-construction Alaknanda Hydro Power Project.	
	Maj. Gen. (Retd.) Bhuwan Chandra Khanduri AVSM.	721
(viii)	Need to give priority to local people in recruitment to various posts in public sector undertakings.	
	Shri Tamradhwaj Sahu	722

(ix)	Need to extend agricultural loan to coconut farmers who suffered damage to their crops due to adverse weather condition in Tamil Nadu	
	Shri S. Selvakumara Chinnaiyan	723
(x)	Need to construct a 'Tsunami Wall' along the sea coast in Viluppuram Parliamentary Constituency	
	Shri S. Rajendran	724
(xi)	Need to address the problems of Jute farmers and Jute mills in West Bengal	
	Shri Dinesh Trivedi	725-726
(xii)	Need to fix remunerative price of Jute and establish jute mills in Dhubri district of Assam	
	Shri Badruddin Ajmal	727
(xiii)	Need to take remedial measures to control cancer in Punjab and provide adequate medical facilities to the patients	
	Shri Bhagwant Mann	728
(xiv)	Need to address the problem of drinking water in Delhi	
	Shri Ramesh Bidhuri	728
(xv)	Need to provide financial and administrative power to Kshetra Panchayat Members to enable them to fulfil the aspirations of the people at the Panchayat level	
	Shri Jagdambika Pal	729
(xvi)	Need to upgrade the sub-Post Office at Janjgir in Chhattisgarh as Main Post Office	
	Shrimati Kamla Paatle	730

(xvii) Need to take measures to ensure remunerative price to the onion growers

Shri Prataprao Jadhav	730
DISCUSSION UNDER RULE 193 Need to have stringent legislation to check increasing atrocities against women and children in the country	731-815
Shrimati Bijoya Chakravarty	731-734
Shrimati Ranjeet Ranjan	735-742
Shrimati V. Sathyabama	743-746
Dr. Kakoli Ghosh Dastidar	747-750
Shri Bhartruhari Mahtab	751-756
Shrimati Kirron Kher	757-760
Shri M. Murli Mohan	761-763
Shri Godam Nagesh	764-765
Shrimati Kothapalli Geetha	766-768
Shrimati Supriya Sule	769-772
Shrimati Rama Devi	773-776
Shrimati Dimple Yadav	777-782
Shrimati Jayshreeben Patel	783-786
Shri Rajesh Ranjan	787-789
Kumari Shobha Karandlaje	790-794
Dr. Arun Kumar	795-796
Shri Arvind Sawant	797-799
Shrimati Jyoti Dhurve	800-802
Kumari Sushmita Dev	803-805
Shrimati M. Vasanthi	806-808
Shrimati Butta Renuka	809-811
Shrimati Santosh Ahlawat	812-815

<u>ANNEXURE – I</u>	
Member-wise Index to Starred Questions	816
Member-wise Index to Unstarred Questions	817-820
ANNEXURE – II	

Ministry-wise Index to Starred Questions 821 Ministry-wise Index to Unstarred Questions 823

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. M. Thambidurai

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Prof. K.V. Thomas

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

SECRETARY GENERAL

Shri P.K. Grover

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, August 7, 2014/Shravana 16, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

... (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, I have given a notice to move an Adjournment Motion. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes. Instead of Adjournment Motion, I will give you the first chance to raise the issue during 'Zero Hour'. I will allow you.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: You could not be allowed yesterday, but today I will allow you. Do not worry. Now, let us take up the Question Hour. Q. No. 421, Shri Kodikunnil Suresh.

11.01 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. No. 421, Shri Kodikunnil Suresh.

`(Q. 421)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam Speaker, the power production and distribution system in the country is in an alarming situation. A majority of the States are facing serious power crisis. Load-shedding and power cuts are big problems for the people of this country.

Power situation in Kerala is also getting worse day-by-day. Kerala is depending on the power produced from hydro-electric power projects and hence, the production is dependent on monsoon. If there is deficit of rainfall during monsoon, there is power shortage; even during monsoon season, there is shortage of power.

The production of power based on naphtha and diesel, is very costly. Hence, the State Government could not purchase power from these plants on a large scale. The only solution is low-cost production of power.

I would like to know whether the Government has any programme to subsidize the cost of power generated from the naphtha and diesel based power plants, while selling power to the State Governments. May I also know whether the Government will issue immediate orders to release the quota of electricity allotted to Kerala from the Koodankulam Power Plant, with a view to overcome the power crisis in Kerala?

SHRI PIYUSH GOYAL: Thank you very much. This is a situation which I have inherited. The hon. Member has very rightly pointed out that the nation is facing power crisis, which is certainly not the doing of a 67-day old Government. Obviously, his Party was in power all these years. I wish he would reflect and ask that question to his own colleagues as to how these gas-based power plants came into being, who assured them that gas would be supplied, etc. ... (*Interruptions*)

He raised the issue about power crisis and I am responding to the power crisis, raised by the hon. Member. ... (*Interruptions*)

The power crisis is something which I have inherited. The gas-based plants are unviable because there is not enough gas in this country. ... (*Interruptions*) There is not enough gas in this country; and if at all, these plants have come up, there was no assurance of gas being provided at any particular price or the availability of gas was not guaranteed to any of these plants.

The State of Kerala has some gas-based plants; it is very difficult to imagine how a Government can subsidize power from the plants which are set up without assurance from the Government. However, our Government is sympathetic to the fact that these assets have come up; these plants have been set up; we shall certainly examine, if we can find out a suitable mechanism to support these plants.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: He did not answer the question about power from the Koodankulam Power Plant. ... (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI: Madam Speaker, I have said many times in the House that those States which have first refused permission to set up nuclear power plants should not demand power from the State which has set up nuclear power plant. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dr. Thambidurai, you can ask question, but you should not do like this.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, this question is a very valid question. Koodankulam Power Plant has just started operation some time back. There has been a lot of debate on this issue, whether the States which did not allow nuclear power plants to come up in their States, should be the beneficiary of nuclear power generated in another State, which actually took over that Plant from a State which first refused to allow that Plant to be set up. Having said that, as of now the policy is that power is allotted as per the Gadgil Formula. We are going by that formula and based on that formula, appropriate allocation is being made. The extra

unallocated power is given to the States which are having the highest power deficiency.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam, Speaker, I would like to know whether the Government of Kerala, the Kerala State Electricity Board, has submitted a proposal to the Central Government to construct a hydro power project at Athirappally with 163 MW capacity, a project at Anakkayam with 7.5 MW capacity and a gas-based power plant at Brahmapuram with installed capacity of 400 MW and whether the Government has sanctioned the same on priority to help Kerala to solve the problem of power shortage. I am asking a very important question and that is whether the Government is contemplating any proposal to introduce FDI in power sector.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam, Speaker, first of all about FDI, I would like to say that it is a subject which has already been cleared by the earlier Governments. FDI is allowed in power sector for the last 12 or 13 years from the time of Shri Vaipayee.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: What is this Government's stand? Are you continuing with it?

SHRI PIYUSH GOYAL: I do not think I can increase FDI beyond hundred per cent. Hundred per cent FDI has already been allowed in the country in the power sector.

As regards setting up a power plant in Kerala, there is a proposal to set up a power plant at Athirappally. It is one of the 71 schemes which have been received and the DPRs are under examination. We shall be happy if the State Government gives us the due information so that we can clear it at an early date.

SHRI DUSHYANT SINGH: Thank you Madam for allowing me to ask a supplementary. I would like to say that all these power plants have come up using Naphtha. In my own constituency, there is a power plant at Anta. The cost of power produced at this plant is Rs.12 per unit. How did the previous Government set up these plants which are so unviable, as there is no gas available for these plants? The hon. Minister has also mentioned that he has inherited this power crisis from the previous Government. On what ethos have these plants been set up? I would like to know whether enough care is being taken to ensure that in future there is no problem in getting Naphtha or gas for these plants so that they can come up in a proper way.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam, the NTPC in Rajasthan has actually produced no power despite it being a 419 MW power plant. In the entire 2013 and 2014, up till now, no power could be generated because Naphtha is extremely expensive. It is unviable and I think people of India cannot afford power at this price. It is unfortunate that in earlier years these plants came up without adequate planning. It is unfortunate that the possible cost escalation was not taken into consideration. However, we are trying to examine these plants to see whether there is a possibility to convert them into gas-based plants. A particular plant has already been taken up by the NTPC in the State of Kerala, and steps are being taken to convert that into a gas-based plant. There is a devil and a deep sea situation because there is no gas available in the country. So, I do not know to what extent it will even resolve the problem. Ultimately, India will have to produce more gas and supply to these power plants. Until such time, there will be agony in producing power at these high prices.

DR. MRIGANKA MAHATO: Thank you Madam, for giving me a chance to speak. Has the Central Government got any plan to assist in the modernization of the existing thermal power plants in different States, particularly West Bengal? SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, I have only yesterday, in the other House, announced in the course of a discussion on the power sector that the

Government of India has formulated guidelines for all thermal power plants which are more than 25 years old and are inefficient. By and large, all these plants are in Members' constituencies across India. They are State Government or PSU owned because in those days privatisation was non-existent mostly. They do a lot of environmental damage. पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में बिहार जैसे राज्य में भी मुजफ्फरपुर जिसमें एक एनटीपीसी का प्लांट है, वह कई वर्षों से जल रहा है, उसमें बहुत प्रदूषण होता है। उस प्लांट से भी लोकल लोग दुखी हैं। उसका ब्रेक-डाउन भी बहुत ज्यादा होता है। इन सब विषयों को नज़र में रखते हुए हमने एक निर्णय लिया है कि देश में जितने पॉवर प्लांट 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनको ऑटोमैटिक रिप्लेसमेंट की परिमशन बिना हमारे पास या कोल इंडिया के पास जाए मिलेगी और उनका कोल लिंकेज भी ट्रांसफर होगा। चूंकि कई प्लांट्स छोटे हैं तो उनको एग्रीगेट करके जैसे कोई 100 का है, कोई 200 का है, उन दोनों-तीनों को मिलाकर उससे भी 50 प्रतिशत एक्सट्रा कैपेसिटी में जाकर अगर लेटेस्ट टैक्नोलॉजी के सुपर क्रिटिकल पॉवर प्लांट्स लग सकें तो हमने उसकी पूरी छूट दी है और सरकार की तरफ से कोल लिंकेज एडीशनल एफिशिएंसी और एडीशनल कैपेसिटी दोनों को मद्देनज़र रखकर आपको ऑटोमैटिकली मिलेगी। यह पॉलिसी एनाउंस हो गई है। इस पॉलिसी के अंदर जितने ऐसे प्लांट्स हैं, वे मॉडरनाइज करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: This is to be laid in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha. You please go through the answer.

SHRI PIYUSH GOYAL: I just referred to a discussion I had in the Rajya Sabha.

SHRI THOTA NARASIMHAM: Madam after re-organisation, Andhra Pradesh is facing acute power shortage and because of this, many sectors have been suffering. In Andhra Pradesh, six gas-based power plants with a combined capacity of more than 2000 megawatt have stopped operations due to shortage of gas.

I would like to know whether the Government of India has initiated any action to allocate gas to Andhra Pradesh.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, this is a subject of the Ministry of Petroleum and Natural Gas which does the allotment of available natural resources in the country. Obviously, because of the huge requirement of fertilizer in the country, there is a certain amount of gas which is allotted to the fertilizer plants to

meet the needs of the farmers of this country. A lot of gas is required for the power plants. We have certain availability and within that availability some gas based power plants are working. The country needs far more than what is available and I would hope that in the years to come, we can see a lot more production of gas.

(Q.422)

*SHRI P. NAGARAJAN: My *namaskaram* to my leader, Puratchithalaivi Tamil Tai Amma and our hon. Speaker, popularly known as Hindi Tai. I am nothing without my mother. I have my mother and she will protect me.

Madam, with blessings of our leader, Puratchithalaivi Amma, I want to raise my first supplementary question.

Madam, my Constituency, Coimbatore in Tamil Nadu, is largely populated by minority community but the students are not able to approach banks for educational loans as they are not aware of this scheme. Most of upcoming generation is taking interest in education because of interest shown by our leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchithalaivi Amma.

I would like to know from the hon. Minister whether all nationalized banks are giving adequate publicity to the scheme so that maximum number of minority students can avail of this benefit. If not, what action has been taken by the Government in this regard?

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Madam Speaker, this scheme was announced last year. The scheme is known as *Pado Pardesh* – Study abroad. This scheme has been operationalised this year. The hon. Member is right in saying that many people do not know about this since this scheme is new. All the banks which are members of the Indian Banks Association give the loans for the students seeking education abroad. We have put posters over there. We have very good advertisements through the national newspapers and also the regional language newspapers for the scheme to be popularized. We would like that the students should avail this facility because we give 100 per cent subsidy to the interest on those loans.

SHRI P. NAGARAJAN: Madam Speaker, the banks are giving loans up to Rs. 4 lakh without any guarantee; up to Rs. 7.5 lakh with one third party guarantee and Rs. 7.5 lakh collateral security. I would like to know if the amounts given to each student under this scheme are enough to pursue their studies abroad. I would also

like to know if there is any proposal to increase the amount of educational loan on subsidized rates and also the number of students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes community covered under this scheme from the date of launch of this scheme till date.

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Madam Speaker, the loan scheme is not from our Ministry. Our Ministry is only giving 100 per cent interest subsidy through the banks. So, this question relates to the Ministry of Finance and it is for them to decide if they are going to increase the loan or not.

There is another scheme for giving loans for studies abroad which is under the National Minorities Development and Finance Corporation. They give loan up to Rs. 20 lakh to students to study abroad at a soft interest which is about 3 per cent which the students can avail. This scheme also has been started very recently and so this has not been publicized a lot in the country. We are going to make it known to the students.

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: Madam Speaker, the students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes community get financial assistance for overseas studies. But for minorities, they get interest subsidies on educational loans for overseas studies. I would like to know as to why there is a disparity like this because when there is one Government there should be equality for all the students.

Madam, in the reply of the Minister it has been mentioned that the schemes for students studying within India are given pre-matric scholarships up to Rs. 1 lakh for girls and Rs. 2 lakh for post-matric and for M.Phil and Ph. D it is Rs. 2.5 lakh. I would like to mention here that for students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes there is a fixed limit of Rs. 3 lakh as annual income and for students belonging to the OBC category it is Rs. 6 lakh. Can there be a policy made by the Government for equal amount of annual income for everyone? Also, there is 30 per cent reservation for girls for going overseas. So, is the Government

going to make a policy for reservation of 30 per cent for studies overseas for girls belonging to the minority community also?

DR. NAJMA A. HEPTULLA: As far as the other schemes are concerned, I have said that under our Ministry we have the scheme of the National Minorities Development and Finance Corporation under which they can go abroad. Women can apply and we will appreciate – I being a Minister and supporter of women education – and I would very much like that more girls get the facilities of getting these loans.

The other thing is that in respect of those scholarships, I would like to mention, I hope the hon. Member and others will help us, that we have made a request to the Finance Minister to equalize the scholarship rates. We have asked to make it demand driven and also for equalization. We have said that whatever is being provided to the students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are getting should also be given to the students belonging to the Minority community. It depends on the Finance Minister if he will agree. We have made a request to him.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Madam Speaker, the hon. Minister in her detailed reply has said that several students have availed this scheme. But in case of the minorities, girl child education, especially higher secondary education is a huge problem. Is the hon. Minister making some specific intervention to making sure more girls or women avail this scheme and take advantage of it?

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Madam, I am very happy that the lady Member has asked this question. In whatever loan schemes are there or any other scheme under our Ministry, 30 per cent is the lowest limit. There is no limit on the ceiling. For your information, I would like to say one thing. We have noticed that, in the last year and the year before last, women students availing these scholarship is more than 50 per cent for the Pre-matric, 55 per cent for the Post-matric and it is little lower for higher education which is Merit-cum-Means but we are trying that

more girls avail the benefit. There are special schemes under our Ministry for development and capacity-building for women.

SHRI DINESH TRIVEDI: Madam Speaker, as I read the answer, with due respect, I would say that this is nothing more than tokenism. What we are talking is about Rs. 10 crore for five years. It means Rs. 2 crore per year and that also, for a family whose income is less than Rs. 6 lakhs. It means Rs. 50,000 per month. There are many poor people who do not even earn Rs. 4000 or Rs. 2000 per month. I think the time has come to really revive this scheme. The scheme is known as पढ़ो परदेश. Can we have a scheme which says *Padho Desh Mein?*

DR. NAJMA A. HEPTULLA: The original Question is related basically to पढ़ो परदेश or Study Abroad Scheme. हमारे मंत्रालय में ज्यादातर स्कीमें एजूकेशन की हैं और वे पढ़ो देश में ही हैं। मगर मैं समझती हूं कि यदि कोई इकोनोमिकली बैकवर्ड स्टूडैन्ट मैरिटोरियस है और अगर वह किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडिमशन ले सकता है तो क्यों न उसकी मदद की जाए। बैंक्स उसे लोन देते हैं तो हम इतना तो कर सकते हैं कि उसके ऊपर इंटरैस्ट माफ कर दें, उसका हंड्रैड परसैन्ट इंटरैस्ट दें, तािक वह भी बाहर जाकर कुछ तालीम हािसल करे और उसे हिंदुस्तान में आकर अच्छी नौकरियां मिल सकें। खाली यह प्रिविलेज्ड लोगों के लिए ही क्यों रहें, गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं रहे, इसीिलए हमने यह स्कीम शुरू की है। ...(ख्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवेसी : अरे बाबा महात्मा गांधी भी बाहर पढ़कर आये थे। क्या आपको उस पर भी आपत्ति है...(व्यवधान) यदि नहीं है तो मैं भी उनके नक्शे कदम पर चल रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप पूछिये।

श्री असादुद्दीन ओवैसी : मैडम, मुझे छेड़ रहे हैं। ...(व्यवधान)

Madam, this particular scheme of *Padho Pardesh* relates to giving subsidy to those minority students who go abroad and study. Is it not true, Madam Speaker, that a similar scheme is there for OBCs and dalits wherein the subsidy component is not paid but the fees component is paid? Will the hon. Minister be kind enough to ensure that this inequality or disparity is removed? The supplementary which was asked by the honourable BJP lady Member was a very pertinent and pointed one. She asked as to why is there a disparity in relation to

answer of part (e) which shows that income limit is different for Pre-matric

Scholarship, Post-Matric Scholarship, MCM and Scholarship for meritorious girl

students through Maulana Azad Education Foundation. Will the hon. Minister be

kind enough to ensure that this income limit demand is on parity of OBCs and

dalits?

डॉ. **नजमा ए. हेपतृल्ला :** महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत अहम सवाल उठाया है और मैं आपकी बात से

इत्तेफाक रखती हूं कि कोई कंट्री में डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। हमारे सरकार की भी यही मंशा है, सबका

साथ, सबका विकास और इसीलिए मैंने अपने जवाब में कहा कि जो स्कीम आज चल रही है, यह पुरानी

सरकार से हमने इनहैरिट कर ली है। हमने अपने फाइनैन्स मिनिस्टर साहब से इस बात की गुजारिश की है

कि वह पैरिटी करें और आने वाले बजट में हमें यह मौका दें कि हम अपने बच्चों को इक्युलाइजेशन करें

जो एससी..एसटी. को स्कालरशिप मिलता है।

दुसरी चीज जो आपने पूछी है, मैंने आपको बताया कि नेशनल माइनोरिटी डैवलपमैन्ट कारपोरेशन

की तरफ से बीस लाख रुपये का लोन दिया जाता है। सॉफट इंट्रस्ट पर सॉफ्ट लोन है। बाहर पढ़ने के

लिए 3 पर्सेंट इंट्रेस्ट के ऊपर उनको लोन देते हैं। बैंक मैरिटोरियस स्टूडेंटस को बाहर पढ़ने के लिए लोन

देते है। 195 बैंक्स हैं, जो ऑल इण्डिया बैंक एसोसिएशन के मैंबर हैं। वह लोन की स्कीम है। हम अभी

सिर्फ इतनी मदद कर रहे हैं कि उसके ऊपर जो इंट्रेस्ट होगा, वह इंट्रेस्ट उनके लिए, उनकी पूरी तालीम

के लिए जितने वक्त के लिए यानी वे बाहर जाएंगे, उससे एक साल और छह महीने, जब तक कि उसको

नौकरी न मिल जाए, उसको देते रहेंगे।

HON. SPEAKER: Next Question 423.

Shri Kalikesh N. Singh Deo – not present.

(Q. 423)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam Speaker, through you I would like to ask a question relating to a very important issue concerned with Panchayati Raj Institutions for which a Constitutional Amendment was made in the late eighties. We have already travelled around 25 to 30 years, when drastic changes have taken place relating to Panchayati Raj Institutions.

The constraints relating to Panchayati Raj Institutions are shortage of human resource and infrastructure at gram panchayat level, and inadequate devolution of finances, functions and functionaries. These constraints, which come in the way of effective functioning of Panchayati Raj Institutions, have been identified by the Government.

Other than sending advisories to the States, and providing funds under the Panchayat Sashaktikaran Abhiyan and Backward Regions Grant Fund, would the Government consider actual devolution of power to the Panchayati Raj Institutions which in many States are resting with the State Government?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदया, केंद्र सरकार की ओर से लगातार कोशिश चल रही है कि पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाएं। इसके लिए समय-समय पर हम एडवाइज़री भी जारी करते रहे हैं। बीच में एक कमेटी भी बनी थी, जिसकी रिकमंडेशंस के अनुसार विभिन्न संबंधित मंत्रालयों को भी संपर्क में लिया गया है। उनको भी उस रिकमंडेशन से अवगत कराया गया है। उन लोगों ने भी अपने-अपने विभाग में डिसीज़न लिए हैं, साथ ही साथ राज्यों की सरकारों ने भी डिसीज़न लिए हैं। लेकिन हम एग्री करते हैं कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जितना होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है। इस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam Speaker, the answer is not complete.

The Backward Region Grant Fund is being provided only to some limited districts in our country. Would that Backward Region Grant Fund be extended to other districts of the country also so that more funds can flow to the panchayats? श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदया, देश में जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके बारे में हम तय नहीं करते हैं, वह प्लानिंग कमीशन तय कर के हमें बताता है। उसके आधार पर विभाग को जितने डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं, उतनी जगह हम ग्रांट दे रहे हैं।

श्रीमती रीती पाठक : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बहुत ही छोटा और साधारण सवाल पूछना चाहती हूँ, जो कि पंचायतीराज व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए बहुत अहम सवाल है। अगर इसको सवाल माने तो सवाल मान सकते हैं और अगर सुझाव माने तो सुझाव मान सकते हैं क्योंकि यह राज्य सरकारों पर निर्भर है। त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था को हमारे देश की प्रगति करने के लिए एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। पंचायतीराज व्यवस्था में जिला पंचायत अध्यक्ष का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है, जहां से जिले की पूरी विकासात्मक कार्य प्रणाली विकसित होती हैं और वहां से संचालित होती हैं।

महोदया, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है तो निश्चित रूप से जिले में व्याप्त जो प्रणाली है, वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, तो क्या आप इस चुनाव को डायरेक्ट जनता से करवाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करेंगे या उन्हें सुझाव देंगेंं

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदया, माननीय सदस्या के सुझाव पर हम गौर करेंगे, लेकिन यह राज्यों की सरकारों के ऊपर निर्भर करेगा, हम सीधे उन पर थोप नहीं सकते हैं।

SHRI K.H. MUNIYAPPA: Madam, the Panchayati Raj Institution is one of the basic institutions to strengthen the infrastructure and development of villages. Because of this, Shri Rajiv Gandhi, when he was the Prime Minister, had sent the fund from the Government of India to the Panchayats directly to see that the Panchayats come up.

माननीय अध्यक्ष : ऐसा लगता है कि सबको सुझाव बहुत पसन्द आया है, लेकिन इसकी चर्चा अपने-अपने स्टेट्स में जाकर कीजिए।

SHRI K.H. MUNIYAPPA: After that, Shri Venkaiah Naidu, the former Rural Development Minister and who is presently the Parliamentary Affairs Minister, formulated a Vigilance and Monitoring Committee under the Chairmanship of the Members of the Lok Sabha of that area. A little bit strength has come to visit and see what the Panchayats are doing in the Panchayats.

The UPA Government came to power and had given thousands of crores of rupees for the development of Panchayats through MGNREGS and all that but still the amount which has been spent for the development of Panchayats is not properly spent. They have not created proper infrastructure. There is no proper

utilization of the fund in any of the States. I am not talking of a particular State.... (*Interruptions*) This is the third question I am putting in this Session of this Lok Sabha. Luckily, it has come to the same Minister and there is no proper reply. I want a proper reply to this issue. Let the District Collector and the Chief Executive Officer of the *Zila Parishad* accompany the Lok Sabha Member to visit one Panchayat in one month and correct whatever defects are there. We can see what is the quantum of money utilized; what is the sanctioned amount for that.... (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN: No.... (Interruptions)

HON. SPEAKER: This is a suggestion. I am sorry. Please sit down.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: मुनियप्पा जी, आप प्रश्न पूछिए।

SHRI K.H. MUNIYAPPA: The Panchayati Raj System is also a part of the Vigilance and Monitoring Committee. My colleague should understand this aspect. It is not separate from this one. It is a part and parcel of the Vigilance and Monitoring Committee. If this is not there, then thousands of crores of rupees are going waste.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। इसके बारे में मिनिस्टर बोलेंगे।

SHRI K.H. MUNIYAPPA: I am speaking now. You can put your supplementary later. My point is that Members of Parliament can visit to make perfect the utilization of the fund to strengthen the institution. Based on that, the institution can be strengthened. May I know from the hon. Minister his reaction to this?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदया, हमने पहले भी प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया था कि भ्रष्टाचार है, उससे हम इनकार नहीं करते हैं। जो आपने विरासत में व्यवस्था दी है, उसके चलते इतना भ्रष्टाचार है, हम उससे कहाँ इनकार कर रहे हैं। पैसे की लूट तो हो रही है और उसके लिए हमने पहले भी कहा और अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि उसके लिए मानीटरिंग की अधिक से अधिक व्यवस्था हम कर रहे हैं। जहाँ तक माननीय सदस्यों को इन्वॉल्व करने की बात है, तो इस सुझाव को भी हम ग्रहण करते हैं और आपके सुझाव पर हम जरूर गौर करेंगे।

SHRI SISIR KUMAR ADHIKARI: Madam, through you, I want to know from the hon. Minister whether the Panchayati Raj System would agree to or adopt any such system. जो राशि पंचायती राज में डाली है, उससे जो ड्यूरेबल और सस्टेनेबल ऐसेट क्रियेट हुआ है, उसका रिकार्ड रखने के लिए क्या आप कोई सिस्टम इवॉल्व करके एडॉप्ट करना चाहते हैं या नहीं। श्री उपेन्द्र कुशवाहा: उसको हम असैस करते हैं, स्टडी करते हैं और जो भी ड्यूरेबल ऐसेट का क्रियेशन होता है, उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं और पहले से रख रहे हैं। ...(व्यवधान)

SHRI M.B. RAJESH: As part of the restructuring of BRGF, it has been proposed to exclude a large number of blocks and gram panchayats from the purview of the BRGF, including tribal hamlets. For example, in my district, Palakkad, Attapadi is the largest tribal belt in the entire Kerala. Even Attapadi tribal block has been excluded from the purview of the BRGF. So, my humble question, through you, Madam, to the hon. Minister is that whether the Government would relook into the way the BRGF has been restructured. Would the Government resolve these anomalies in the proposed restructuring of the BRGF?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदया, पहले भी हमने कहा है कि बी.आर.जी.एफ. के बारे में कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन-कौन से ब्लॉक लिए जाएँगे, यह हम डिसाइड नहीं करते, प्लानिंग कमीशन हमें डिसाइड करके देता है। लेकिन उसके बावजूद माननीय सदस्य का यदि कोई सुझाव हो तो हम प्लानिंग कमीशन को रैफर करेंगे।

(Q.424)

श्री सतीश चंद्र दुवे : अध्यक्ष महोदया, बिहार में जो विद्युतीकरण की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, बहुत सुदूर देहात में आज भी विद्युतीकरण की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ, उसमें 13 प्रखंड हैं जिसमें चार प्रखंड ऐसे हैं जहाँ आज तक बिजली गई ही नहीं है। हमारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का बॉर्डर इलाका पड़ता है। क्षेत्र भ्रमण के समय जब हम लोग गए थे तो सड़क पर जहाँ तारकोल नज़र आ जाता है तो समझ में आ जाता है कि यह उत्तर प्रदेश है और तारकोल नज़र नहीं आता है तो समझ में आता है कि यह बिहार है। ...(व्यवधान)

वैसी स्थिति में वे चार ब्लॉक - धनहा, ठकराहां, मधुबनी और पिपरासी तथा इसके अलावा जो गांधी जी का चम्पारण रहा है, अंग्रेज़ों को भगाने का काम वहीं से शुरू हुआ था, जे.पी. आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था, उस पवित्र ज़िले का कैसे विद्युतीकरण किया जाए, कैसे उस गाँव और ब्लॉक तक विद्युतीकरण किया जाएगा और कितने दिनों के अंदर किया जाएगा, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।

श्री पीयूष गोयल: मैडम स्पीकर, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 67 साल की इंडीपैन्डैन्स के बाद हमारे देश में ऐसे भी गाँव और ऐसे भी इलाके हैं जिनको इतने वर्षों के बाद भी ऊर्जा से वंचित रहना पड़ता है, लेकिन बिहार की परिस्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है। वहाँ पर राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में भी जो प्रोजैक्ट सैंक्शन होते हैं, उसमें इनॉर्डिनेट डिलेज़ हैं, दो-तीन वर्ष के डिले हैं, वहाँ पर सब-स्टेशंस लगाने में सुविधा नहीं मिलती है। सिर्फ बिहार का देखें तो 16 सब स्टेशन 10वें और 11वें प्लान के अभी लगे नहीं हैं जिसकी वजह से गाँव-गाँव तक बिजली नहीं पहुँच पाती है। ऐसी स्थिति में यह कनकरैन्ट सब्जैक्ट होते हुए केन्द्र सरकार का रोल लिमिटेड है कि प्रोजैक्ट अप्रूव करके राज्य सरकार को दे। अब राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह कैसे वहाँ का लैन्ड अक्वायर करे, कैसे प्रोजैक्ट को इंप्लीमैंट करे, समय पर इंप्लीमैंट करे और समय पर करने का यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट दे ताकि हम नए प्रोजैक्ट और गति से बिहार सरकार को दे सकें।

श्री सतीश चंद्र दुवे : अध्यक्ष जी, जो चार ब्लॉक हैं, वहाँ आज तक बिजली के तार का खम्भा भी नहीं लगा है। प्रखंड के मैक्सिमम गाँवों में अभी तक बिजली गई ही नहीं है। पूर्व में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत जिस गाँव में किया भी गया, जहाँ 16 केवी या 25 केवी का ट्रांसफाँमर दिया गया, वह जलकर पड़ा हुआ है और बिहार सरकार द्वारा कोई ट्रांसफाँमर नहीं दिया जा रहा है। हम माननीय सदस्यों के लिए यह एक सिरदर्द बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 16 केवी और 25 केवी के ट्रांसफार्मर्स जले हुए हैं, बिजली से जो गांव, ब्लॉक वंचित हैं, उनके लिए किस तरह से

विद्युतीकरण किया जाएगा और कब तक किया जाएगा, खास कर के चार ब्लॉक धनहा, ठकराहा, पिपरासी और मधुबनी जो कि पश्चिमी चम्पारण में हैं।

श्री पीयूष गोयल: महोदया, यह विषय वास्तव में स्टेट से सम्बन्धित है। केन्द्र सरकार देश भर के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाती है, साथ ही साथ कन्करैन्ट सब्जैक्ट होने की वजह से और फेडरल स्ट्रक्चर को रिसपैक्ट करते हुए, केन्द्र सरकार आरजीजीवीवाई के प्रोजेक्ट्स को माइक्रो मेनेज करे, यह सम्भव नहीं है। इसके बावजूद इन इलाकों के बारे में मैं राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग कर माननीय सदस्य को बताऊंगा। यहां प्रोजेक्ट्स किस प्रकार से जल्दी हो सकते हैं, इसके लिए अगर माननीय सदस्य भी हमें लोकल एरिया में हेल्य करे तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री नारणभाई काछड़िया: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार ने वर्ष 2004 से 2012 तक ऊर्जा मंत्रालय को आरजीजीवीवाई के लिए 27.488 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया था। इसमें से मंत्रालय को 26.150 करोड़ रुपये ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आरईसी को जारी किए गए थे। इस निगम से 25.652 करोड़ रुपये राज्यों को भेजा गया। परन्तु कई राज्यों ने इस धनराशि को पूरा खर्च नहीं किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों ने बिजली के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जैसे कि गुजरात ने इस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम किया है तो क्या वह उनको इसमें से धनराशि देने का काम करेंगे या नहीं।

श्री पीयूष गोयल: महोदया, मैं गुजरात सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने समय पर सभी काम पूरा करके अपने गांवों का सौ प्रतिशत इलैक्ट्रीफिकेशन किया है। इसी लिए 12वीं योजना में उनके लिए कुछ एलोकेशन नहीं कर पाए क्यों कि वह सौ प्रतिशत इलैक्ट्रिफाइड है। आज की परिस्थिति यह है कि इस योजना के तहत केवल उन्हीं इलाकों को पैसा दिया जाएगा, जहां अनइलैक्ट्रीफाइड विलेजिस हैं। वैसे भी अगर कुछ शिफ्ट करें तो भी आपके राज्य को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यदि डिले होता है तो हम वह पैसा वापस देकर रिएलोक्ट करें। उससे मुझे लगता है कि बाकी सदस्यों को भी तकलीफ़ आएगी। मेरी प्रार्थना है कि सदस्य अपने-अपने इलाके में कैसे यह योजना समय पर इम्पलीमेंट हो, उसमें इम्पलीमेंटिंग एजेंसी की मदद करें और कैसे पैसा जल्दी यूटीलाइज़ हो, उस पर फोकस करें तो अच्छा रहेगा।

श्री नन्दी एल्लेया : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने बीपीएल को फ्री इलैक्ट्रीसिटी का ब्यौरा दिया। लेकिन आंध्र प्रदेश के बारे में नहीं है। अब आंध्र प्रदेश के दो भाग हो गए हैं, एक- तेलंगाना और दूसरा, आंध्र प्रदेश। मैं यह जानना चाहता हूं कि इलैक्ट्रीसिटी बहुत ही गम्भीर मसला

है और किसानों को केवल दो-दो घण्टे ही पावर दिया जा रहा है। मंत्री महोदय के पास ऐसे लोगों को तुरन्त कनैक्शन देने के लिए क्या सरकार की कोई योजना हैं।

श्री पीयूष गोयल: किसानों को कितने समय के लिए बिजली दी जाए, मुझे लगता है कि यह राज्य सरकार का मसला है। लेकिन मुझे जो जानकारी है, उसके अनुसार आंध्र प्रदेश में बिजली किसानों को दो-तीन घंटे नहीं, बल्कि उससे काफी अधिक मिल रही है। मुझे यह जानकारी भी है कि आंध्र प्रदेश आज के दिन अपनी पावर की रिक्वायरमेंट को लगभग फुल-फिल कर पा रहा है। किसानों को ज्यादा बिजली मिले, इसमें हम सभी की दिलचस्पी है, इसके लिए बिजली का उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जाए, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। सभी राज्य अपने लिए बिजली स्वयं खरीदते हैं और स्वयं ही बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। SHRI JITENDRA CHAUDHURY: Thank you, Madam. Under the RGGVY it was committed to cover 100 per cent APL and BPL families of our country. The UPA Government had covered – according to the statement – about 1,33,20,000 families. So, I would like to ask the hon. Minister whether the NDA Government, the hon. Minister will declare a time frame by when 100 per cent of our families, either BPL or APL, will be covered by electricity.

श्री पीयूष गोयत: मैडम स्पीकर, जब मैंने इस मंत्रालय का भार संभाला तब मुझे भी यह गलतफ़हमी थी कि इस स्कीम में 100% बीपीएल और एपीएल फैमिलीज को कवर किया जाएगा लेकिन जब मैंने डिटेल में देखा तो पता चला कि आरजीजीवीवाई में जैसे ही किसी गांव के दस प्रतिशत घरों में बिजली पहुंच जाती है तो उसको इलेक्ट्रिफाइड एनाउंस कर देते हैं। उसके आगे का कार्यक्रम आरजीजीवीवाई की कवरेज में नहीं आता है। यह एक बड़ी विडम्बना है कि इस देश में आज भी लगभग आठ करोड़ घर ऐसे हैं, जहां बिजली नहीं है, चालीस करोड़ भारतवासियों के पास आज भी बिजली नहीं है। यह बहुत बड़ी विडम्बना है। इसे हमें जल्द-से-जल्द पूरा करना होगा।

मैडम, इस स्कीम में जो खामियां हैं, उन पर हम गौर करके इसे सुधारेंगे।

माननीय अध्यक्ष : मुझे लगता है इस विषय पर बहुत लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री सुल्तान अहमद : मैडम, इस बात का ज़िक्र हुआ है कि पूरे देश में बीपीएल को बिजली दी जाएगी। पश्चिम बंगाल का सिनैरियो आज से कई साल पहले बड़ा ही खराब था। वहां लोडशेडिंग हुआ करती थी। आज बंगाल बिजली के मामले में सरप्लस हैं। हम अपने गांवों में रहने वाले लोगों को 24 घंटे बिजली देते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: फिर आपका प्रश्न क्या हैं।

श्री सुल्तान अहमद: मैडम, मैं हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री सुल्तान अहमद: उन्होंने वह किया है जो 34 सालों से बंगाल में नहीं हुआ था।...(व्यवधान)

मैडम, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सम्पूर्ण गांवों का विद्युतीकरण किया जाए। सिर्फ बीपीएल के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर चला जाता है लेकिन वहां जो गांव में बसने वाले हैं, उनके लिए बिजली नेसेसिटी है, जरूरी है। बिजली के बग़ैर हमारे गांवों में काश्तकार अपनी काश्तकारी नहीं कर पाते हैं, बिजली की लाइन नहीं ले पाते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री सुल्तान अहमद : मैडम, मेरा प्रश्न है कि क्या आने वाले दिनों में पूरे गांव के विद्युतीकरण की कोई योजना हैं। क्या सरकार यह चाहती है कि हम पूरे गांवों में बिजली पहुंचाएं।

श्री पीयूष गोयल: माननीय स्पीकर, मैंने अभी-अभी इस सवाल का जवाब दिया है कि इस स्कीम की जो खामियां हैं, हम उसे सुधारेंगे।

मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में जो बिजली का काम हुआ है, वह अच्छा है। उसके लिए मैं बधाई दूंगा। लेकिन इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में अभी भी जो ट्रांसिमशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं और जो बिजली की चोरी है, उसके फिगर्स काफी ज्यादा हैं। अगर आज की स्थिति में देखें तो लगभग 34% टीएण्डडी लॉसेज और थेफ्ट हैं। मुझे लगता है कि अगर इस थेफ्ट और लॉसेज पर राज्य सरकार नियंत्रण करे तो शायद जो अन-इलेक्ट्रिफाइड एरियाज हैं जहां पूरे तरीके से बिजली नहीं मिलती है, उनको बिजली पहुंच जाएगी। इससे आपके स्टेट की यूटीलिटीज लॉस में रहने के बजाय प्रॉफिट करेंगी। हमारी जो कोयले की कंपनी और बिजली देने वाली कंपनियां हैं, उनके ड्यूज़ भी अगर समय पर पूरा करेंगे तो मेरे ख्याल से हमें आपके स्टेट को सपोर्ट करने में ज्यादा सुविधा होगी।

कर्नल सोनाराम चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान खासकर, जैसलमेर, बाड़मेर में आज भी 50% गांव अंधेर में रहते हैं। हालांकि, आपने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कुछ दिया है, राजस्थान सरकार ने कुछ किया है। फिर भी अभी 50% गांव अंधेरे में हैं। इसकी वज़ह यह है कि वे काफी दूर-दराज़ के क्षेत्र हैं। दूसरा इन्होंने यह किया है कि जहां की आबादी एक सौ से नीचे हैं, वहां बिजली नहीं लगाएंगे। वहां लोग ढाणियों में रहते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जो से यह सवाल है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत ये कितना पैसा देंगे? खासकर जहां 50 परसैंट विद्युतीकरण हुआ है।...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज बहुत महत्वपूर्ण सवाल सदन में उठाया है। राजस्थान एक बड़ा विचित्र राज्य है, जहां पर छ: वर्ष पूर्व लगभग बिजली की कमी नहीं थी, पूरी बिजली प्रदेश में मिलती थी। स्टेट के डिस्कॉम्स की भी हालत अच्छी थी। पूरे स्टेट की गवर्नमेंट के डिस्कॉम्स और जेनरेटिंग कम्पनीस को मिला कर कर्जे का बोझ सिर्फ 15 हजार करोड़ था। उसके बाद पांच वर्षों में स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड्स जो नुकसान करते थे, वह 15 हजार करोड़ रुपए से बढ़ कर 70 हजार करोड़ हो गया। ...(व्यवधान) शायद यह एक ही राज्य है, जहां 55 हजार करोड़ का नुकसान सिर्फ पांच वर्ष में हुआ। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि वे आज बिजली नहीं खरीद पा रहे हैं, समय पर पैसा नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राजस्थान की मुख्य मंत्री जी ने सबसे पहले मुझे काँटेक्ट किया। जैसे ही मैंने मंत्रालय का भार संभाला, उन्होंने कहा कि मुझे अपने राज्य में 24 घंटे, सातों दिन हर घर को बिजली देनी है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने मिल कर, मैं स्वयं वहां गया और हमने बहुत डिटेल में स्टडी की, हमने मिल कर एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनाई है। इस परिस्थिति को कैसे सुधारा जाए, कैसे राजस्थान में हर घर को बिजली मिले, यह देखना होगा। साथ ही साथ राजस्थान की जो ढाणियां हैं, उनकी हमें बहुत चिन्ता है, मुख्य मंत्री जी ने इस तरफ विशेष ध्यान आकर्षित किया। हम जल्द ही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कुछ परिवर्तन लाकर ऐसी कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार कुछ पैसा उसमें से ढाणियों पर लगा कर उनको भी बिजली दे पाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कृपया बैठ जाइए। मैं देख रही हूं, सभी लोग इस पर प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। यह प्रश्न गांव एवं बीपीएल परिवार से भी संबंधित है। इस पर आधे घंटे की चर्चा दी जा सकती है। आप डिमांड करें तो अच्छा होगा।

...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: अध्यक्ष महोदया, मैं अनुभव से बताता हूं कि इस पर आधे घंटे की चर्चा से कुछ नहीं होगा, आप जरा समय-सीमा ज्यादा रखिएगा।

माननीय अध्यक्ष: पहले कोई चर्चा आप मांग लीजिए। सचमुच यह सब के दिलों का बहुत करीबी प्रश्न है, मैं एलाऊ करूंगी।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि इसी सदन में हमारी पार्टी के, इस लोक सभा और राज्य सभा में रहे हमारे पूर्व मंत्री, श्री यशवंत सिन्हा साहब, जिनके पुत्र जयंत जी यहां बैठे हैं, अपनी कांस्टीट्यूएंसी में 55 वर्षों से एक ट्रांसफार्मर और पोल नहीं लगा था, उसकी मांग को लेकर दो हफ्ते तक जेल में बंद कर दिए गए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या ४२५ - श्री विष्णु दयाल राम।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इस प्रश्न में यह बात नहीं आती।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह नहीं होता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने कहा नहीं हो सकता है।

(Q.425)

श्री विष्णु दयाल राम: अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में कुल कृषि योग्य भूमि 159.7 मिलियन हैक्येयर है, यानी 394.6 मिलियन एकड़। इसी प्रकार कुल सिंचित भूमि 48 मिलियन हैक्टेयर है, यानी कुल करीब 112 मिलियन हैक्टेयर भूमि असिंचित है। मैं इस बात से अवगत हूं कि सिंचाई राज्य का विषय है, बावजूद इसके मैंने यह प्रश्न किया है, चूंकि मैं चाहता हूं और जानता हूं कि सरकार के पास इसका उत्तर उपलब्ध होगा।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि शेष असिंचित भूमि में सिंचाई की व्यवस्था कराने की सरकार की, राज्य सरकारों की क्या कोई कार्य योजना है? यदि कोई कार्य योजना है तो यह कितने वर्षों में पूरी होने वाली है?

श्री संतोष कुमार गंगवार: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहुंगा। हमारे देश के अंदर कृषि क्षेत्र 140 मिलियन हेक्टेअर है और 112 मिलियन हेक्टेअर सिंचित है, जबकि 88 मिलियन हेक्टेअर उपयोग में आ रहा है। यह भी बात समझ में आती है कि हम कृषि प्रधान देश हैं और जिन राज्यों ने अच्छी चिंता की, उन राज्यों में सिंचित क्षेत्र निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश को बधाई दूंगा कि मध्य प्रदेश ने इसमें एक बहुत ही जबरदस्त तरक्की की और कृषि उत्पादन में इस समय देश में सबसे बड़ा योगदान मध्य प्रदेश का है। जैसा आपने बताया कि 88 मिलियन हेक्टेअर उपयोग में आ रहा है, हम सब जानते हैं कि यह राज्य का विषय है। राज्य योजनाएं बनाते हैं और योजनाएं बनाकर उसको क्रियान्वित करते हैं, पर निचले स्तर पर किस ढंग से इनका क्रियान्वयन होता है, इसे हम सब जानते हैं। इस पर मैं कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। हम सबकी समझ में आना चाहिए कि हम अपनी राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि जिस प्रकार से, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, छत्तीसगढ़ तक में यह काम हो रहा है और दक्षिण के राज्यों में भी यह कार्य हो रहा है। माननीय सदस्य जिस राज्य से आते हैं, वहां पर इस क्षेत्र में कमजोरी है। केवल आधे से अधिक क्षेत्र ही सिंचित हो पाया है, 52 प्रतिशत के करीब। इस काम में निचले स्तर के जो काम होते हैं, वे राज्य सरकारों के द्वारा करवाये जाते हैं। हमारी रूचि है कि देश का हर क्षेत्र सिंचित हो जाये और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि यह राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें जो भी मदद चाहेंगी, प्रत्येक स्तर पर हम मदद करने को तैयार रहेंगे।

श्री विष्णु दयाल राम: मैं झारखंड राज्य के पलामू संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। पलामू की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। वहां हर दूसरे वर्ष सुखाड़ आता है।

माननीय अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए, समय कम है।

श्री विष्णु दयाल राम: मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि 40 लाख हेक्टेअर जमीन में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। झारखंड की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, जिससे वह अपने संसाधनों से सिंचाई की व्यवस्था कर सके। क्या मंत्री महोदय एआईबीपी के अन्तर्गत जो तीन योजनाएं हैं, कनहर, मंडल और अमानत में सहायता प्रदान करना चाहेंगे तािक वे योजनाएं समय पर पूरी हो सकें।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, केन्द्र को मदद करने में कोई आपित नहीं है, पर इसकी प्रक्रिया है कि राज्य सरकार को वह योजना प्रारम्भ करनी पड़ेगी और उसके बाद हमसे आग्रह करना पड़ेगा। जो तीन योजनाएं आपने बतायी हैं, हम तीन योजनाओं के अन्तर्गत जितना अधिकतम सहयोग कर सकते हैं, उस हिसाब से हम काम करेंगे क्योंकि आपका राज्य दूसरी श्रेणी में आता है। इसमें परियोजना की लागत का 75 प्रतिशत ही सहयोग करने की बात रहेगी। इसमें जो भी सहयोग होगा, राज्य सरकार को हम लोग देने को तैयार रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष: श्री आनंदराव अडसुल जी, शार्ट क्वैश्चन पूछिए।

SHRI ANANDRAO ADSUL: Madam Speaker, as you know, unfortunately Vidarbha is known for the suicide of farmers. The reason is that there is no irrigation potential in that area, and the farmers have to totally depend upon the monsoon. In the year 2006, the then hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh had given a package of Rs.2,177 for small and medium irrigations but the then Maharashtra Government had misappropriated that money. I would like to know from the hon. Minister whether he will make any inquiry on this, and also whether he will give any special package to the farmers of Vidarbha.

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में हमारी इन योजनाओं के अंतर्गत 186 स्कीम्स थीं, जिनमें से 100 पूरी हो गयीं, जबिक 86 शेष हैं। जैसा हम समझते हैं और माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि इसके कारण आत्महत्यायें भी हो रही हैं। पिछली सरकार ने क्या किया, इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हम आपको इतना अवश्य बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में टोटल 11,578 करोड़ रूपए खर्च हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार जो भी हमें सुझाव देगी, क्योंकि हमारी राय में महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है, जिसमें इस काम को आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम कर सकते हैं। जिस प्रकार से भी सहयोग की आवश्यकता होगी, हम महाराष्ट्र सरकार को देने का काम करेंगे।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam Speaker, AIBP Scheme had come into existence from the year 1996-97. It is given in the answer that the irrigation

potential created is about 80 per cent of ultimate potential of the country. That has to be verified.

12.00 hrs.

It is not up to the satisfactory level because the land component is included in the AIBP Programme.

So, my specific question to the hon. Minister is that whether he would revamp the Scheme so as to include the land component also in the AIBP Programme.

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 11वीं और 12वीं योजनाओं में जिस ढंग का काम हो रहा है, उससे हम भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। हम इस पर विचार कर रहे हैं और वैसे हम लैंड कंपोनैंट इंक्लूड कर रहे हैं। हम लोग सत्र के बाद विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुलाकर राज्य की स्पेसिफिक समस्याओं पर बात करेंगे कि कैसे इनका निस्तारण किया जाए। हम भी समझते हैं कि इन के लिए हम जितना अधिक काम कर पाएंगे, देश के लिए उतना ही अच्छा रहेगा।

12.0 ½ hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now Papers to be laid on the Table.

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, सुश्री उमा भारती की ओर से मैं वर्ष 2014-15 के लिए जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(Placed in Library, See No. LT 627/16/14)

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (DR. NAJMA A. HEPTULLA): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Minority Affairs for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 628/16/14)

Outcome Budget of the Ministry of Minority Affairs for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 629/16/14)

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

- (1) निम्निलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)(एक) वर्ष 2014-15 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

 (Placed in Library, See No. LT 630/16/14)
 - (दो) वर्ष 2014-15 के लिए वस्त्र मंत्रालय का परिणामी बजट।

 (Placed in Library, See No. LT 631/16/14)
- (2) सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 632/16/14)

- (3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 633/16/14)

(5) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1633(अ) जो 27 जून, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 31.01.2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 294(अ) में अतर्विष्ट आदेश की वैधता जो 30 जून, 2014 को समाप्त हो रही थी, को उक्त आदेश के अवसान से आगे पांच माह की अविध या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी गई है, की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा जिसका शुद्धिपत्र जो 23 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1890(अ) में (हिन्दी संस्करण में) प्रकाशित हुआ है।

(Placed in Library, See No. LT 634/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Power Finance Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 635/16/14)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 636/16/14)

(4) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 637/16/14)

- (5) A copy of Notification No. JERC-11/2010 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 8th January, 2014, containing corrigendum to the Notification No. 224 dated 7th August, 2013, issued under Section 182 of the Electricity Act, 2003.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 638/16/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MANOJ SINHA): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Railway Welfare Organisation, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Railway Welfare Organisation, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 639/16/14)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)---
 - (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT 640/16/14)

(दो) कामराजर पोर्ट लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT 641/16/14)

- (2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)--
 - (1) का.आ. 1306 (अ) जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूपति-आंध्र प्रदेश/तिमलनाडु सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
 - (2) का.आ. 332 (अ) जो 5 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादिगरी-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
 - (3) का.आ. 506 (अ) जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादिगरी-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
 - (4) का.आ. 1241 (अ) जो 8 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गुंडुगोलानु-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
 - (5) का.आ. 1239 (अ) जो 8 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
 - (6) का.आ. 1283 (अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95 (विजयवाड़ा से मछलीपटनम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
 - (7) का.आ. 877 (अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरी-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(8) का.आ. 2744 (अ) जो 11 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (तिरूवनंतपुरम सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (9) का.आ. 2140 (अ) जो 11 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकलुरीपेट-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (10) का.आ. 1763 (अ) जो 19 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (चेन्नई-कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (11) का.आ. 1303 (अ) जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकराबंडी-कुंबाकोनम-तंजाबुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (12) का.आ.1063 (अ) जो 9 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजाबुर-मनामदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (13) का.आ.533 (अ) जो 25 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (तिदिवणम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (14) का.आ.1267(अ) जो 13 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजाबुर-मनामदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (15) का.आ.1064 (अ) जो 9 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजाबुर-मनामदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (16) का.आ.1280 (अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजाबुर-मनामदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (17) का.आ.367 (अ) जो 10 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तिमलनाडु राज्य में पल्लावरम और मीनमवक्कम गाँवों के एयरपोर्ट जंक्शन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (18) का.आ. 1174 (अ) जो 30 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुंबाकोणम -तंजाबुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (19) का.आ.529 (अ) जो 25 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या

- 45ग (विक्रावंडी-कुंबाकोणम -तंजाबुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (20) का.आ. 1809 (अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कन्तूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (21) का.आ. 638 (अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (चेरथलाई-ओआचिरा खण्ड) (प्रोजेक्ट चेनेज) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (22) का.आ. 2857 (अ) जो 7 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वनियमपारा-त्रिसुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (23) का.आ. 2207 (अ) जो 18 सितम्बर,, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (24) का.आ. 1303 (अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है तथा उसका एक शुद्धिपत्र 18 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3711(अ) में प्रकाशित किया गया है।
- (25) का.आ. 2564 (अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (जोरहाट से डिब्रुगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (26) का.आ. 3425 (अ) जो 12 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (27) का.आ. 3464 (अ) जो 25 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (28) का.आ. 3471 (अ) जो 25 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (अंबाला-कैथल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (29) का.आ. 3500 (अ) जो 27 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (30) का.आ. 3501 (अ) जो 27 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या

10 से 71 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (31) का.आ. 3473 (अ) जो 25 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (अंबाला-कैथल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (32) का.आ. 3684 (अ) जो 17 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कोजीकोड खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (33) का.आ. 1757 (अ) जो 19 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूपति-आंध्र प्रदेश/तिमलनाडु बोर्डर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (34) का.आ. 55 (अ) जो 9 जनवरी, 201 4के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरी-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (35) का.आ. 68 (अ) जो 9 जनवरी, 201 4के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरी-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (36) का.आ. 246 (अ) जो 27 जनवरी, 201 4के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (चेन्नई-कोलकाता कोरिडोर) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (37) का.आ. 159 (अ) जो 21 जनवरी, 201 4के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरी-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (38) का.आ. 152 (अ) जो 21 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरी-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (39) का.आ. 2520 (अ) जो 21 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरी-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (40) का.आ. 1464 (अ) जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा-कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (41) का.आ. 1858 (अ) जो 17 अगस्त, 201 2के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (42) का.आ. 1238 (अ) जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में

42

- प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1829 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (43) का.आ. 2577 (अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरी-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (44) का.आ. 2766 (अ) जो 22 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (45) का.आ. 1301 (अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (चेन्नई-कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (46) का.आ. 1277 (अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (47) का.आ. 57 (अ) जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (हिसार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (48) का.आ. 134 (अ) जो 17 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 (यमुनानगर-पंचकुला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (49) का.आ. 135 (अ) जो 17 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डाबवाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (50) का.आ. 158 (अ) जो 21 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिरयाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 105 (हिसार-डबवाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (51) का.आ. 249 (अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मई 3 मई, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 969 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (52) का.आ. 775 (अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

- हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमागों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (53) का.आ. 872 (अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ)में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (54) का.आ. 873 (अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमागों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (55) का.आ. 866 (अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमागों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (56) का.आ. 838 (अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमागों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (57) का.आ. 871 (अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमागों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (58) का.आ. 869 (अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमागों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (59) का.आ. 870 (अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमागों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (60) का.आ. 841 (अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ)में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (61) का.आ. 842 (अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमागों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (62) का.आ. 836 (अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमागों को नए राष्ट्रीय

- राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (63) का.आ. 837 (अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (64) का.आ. 864 (अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमागों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (65) का.आ. 865 (अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (66) का.आ. 766 (अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमागों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (67) का.आ. 839 (अ) जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (68) का.आ. 768 (अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमागों को नए राष्ट्रीय राजमागों के रूप में घोषित किया गया है।
- (69) का.आ. 364 (अ) जो 10 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमागों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (70) का.आ. 769 (अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 364(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (71) का.आ. 772 (अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमागों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (72) का.आ. 1121 (अ) जो 22 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या

11 (रींगस से सीकर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

- (73) का.आ. 1549 (अ) जो 17 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वायटीला-अरूर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।
- (74) का.आ. 2565 (अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तिमलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची बाईपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (75) का.आ. 2568 (अ) जो 23 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तिमलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (76) का.आ. 1368 (अ) जो 18 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तिमलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 विस्तार (डिंडीगुल-थेनी-कुमिल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (77) का.आ. 2382 (अ) जो 6 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (78) का.आ. 2684 (अ) जो 5 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तिमलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (अतिपल्ली-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (79) का.आ. 2137 (अ) जो 11 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तिमलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(80) का.आ. 2638 (अ) जो 30 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तिमलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (81) का.आ. 707 (अ) जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपन्न में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (82) का.आ. 1418 (अ) जो 4 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (83) का.आ. 711 (अ) जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तिमलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (कराईकुडी-रामनाथपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(Placed in Library, See No. LT 642/16/14)

- (3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
 - (1) केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2014 जो 19 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 99(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (2) केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 152(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (3) केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 11 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 277(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (4) केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2014 जो 22 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 287(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (5) केन्द्रीय मोटर यान (पाँचवां संशोधन) नियम, 2014 जो 22 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 291(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (6) केन्द्रीय मोटर यान (पाँचवां संशोधन) नियम, 2014 जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 324(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (7) केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2014 जो 19 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 345(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (8) केन्द्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 364(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (9) केन्द्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2014 जो 9 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 389(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित अधिसूचनाओं से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 643/16/14)

12.01 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 39th Report of Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Ministry of Panchayati Raj*

THE MINISTER OF STATE IN THE **MINISTRY** OF RURAL DEVELOPMENT. MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI UPENDRA KUSHWAHA): Madam, I beg to present the statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 39th Report (15th Lok Sabha) of the Standing Committee on Rural Development in pursuance of the direction 73A of the hon. Speaker, Lok Sabha vide Lok Sabha Bulletin-Part-II dated September 1, 2004.

The 39th Report of the Standing Committee on Rural Development (15th Lok Sabha) was presented to the Lok Sabha on 30.04.2013. The report relates to examination of Demands for Grants of Ministry of Panchayati Raj for the year 2013-14.

Action taken statement on the recommendations/observations contained in the report of the Committee had been sent to the Standing Committee on Rural Development on 30.08.2013.

The present status of implementation of the various recommendations made by the Committee is indicated in the Annexure to my Statement which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House to read out all the contents of the Annexure. I would request that this may be considered as read.

^{*} Placed in Library, See No. LT 644/16/14.

12.03 hrs.

MOTION RE: FIFTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): Madam, I beg to move:

"That this House do agree with the Fifth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 6th August, 2014"

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Fifth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 6th August, 2014."

The motion was adopted.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, I have given a notice of Adjournment Motion regarding holding of Civil Service Examination.

HON. SPEAKER: I will allow you. But let us have the Bills introduced first.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने एडजर्नमेंट मोशन भी दी है। मगर मैने कहा कि एडजर्नमेंट मोशन नहीं लेंगे। ...(व्यवधान)

DR. M. THAMBIDURAI : At least, tell me.

माननीय अध्यक्ष: जैसे ही शून्य काल शुरू होगा तो पहला नम्बर आपका ही होगा। मुझे बिल इंट्रोड्यूस करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैंने कॉलिंग अटेन्शन के लिए नोटिस दिया है।...(व्यवधान) कश्मीरी पंडितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

12.05 hrs.

GOVERNMENT BILLS - Introduced

(i) Railways (Amendment) Bill, 2014 *

HON. SPEAKER: Now, Bills to be introduced.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Railways Act, 1989.

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Railways Act, 1989."

The motion was adopted.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Madam Speaker, I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 7.8.2014.

12.06 hrs.

(ii) The Factories (Amendment) Bill, 2014*

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोज़गार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय): अध्यक्ष महोदया, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. SPEAKER: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Factories Act, 1948."

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, I have given notice under rule 19B of the Directions by the Speaker. I have got objection to this Bill because we have not seen it... (*Interruptions*) He has introduced it. That is why, I am objecting. So, before he gets the consent, I have to say.

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, आप डायरैक्शन 19 (बी) सुन लीजिए, उसके बाद बात कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप जो बोल रहे हैं, वह मैं बता रही हूं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Shri Mallikarjun Kharge Ji, before I call you to raise objections to the introduction of the Factories (Amendment) Bill, 2014, I may inform that under Direction 19B, the Speaker is empowered to relax the requirement of two days prior circulation and permit the inclusion of a Bill in the List of Business for introduction.

In the instant case, Shri Narendra Singh Tomar, the Minister in-charge of the Bill requested me to relax the requirement of two days prior circulation and I have acceded to his request.

You may, therefore, now raise other objection, if any.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): A number of notices are there.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 7.8.2014.

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं। क्या आपके नेता बोलने में सक्षम नहीं हैं।

...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, I requested you because this is not an urgent matter. Naturally, you have used your discretion to exempt it. I can say that you have considered his request. But I do not want to say other things. But anyway, why this is important and why we are objecting... (*Interruptions*)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, इस बारे में आपने व्यवस्था दे दी है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप बैठिए। मैंने उन्हें बता दिया है। अगर इसके अलावा कोई बात है तो वे बताएंगे।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: He can raise it, please.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I am not challenging your order.

HON. SPEAKER: Right, you are not challenging.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I accept your verdict. But why I am requesting is because this is a very, very important legislation and a number of amendments are there and nobody has seen them. He has sought the permission. If the Bill has one or two amendments, we can see it one day and we can say, okay, like the Bill Sadananda Gowda Ji brought because it is a small Amendment Bill. But this is a comprehensive amendment and it requires time. So, if he could have circulated it two days earlier, at least we all could have read it. Without reading, if you give consent and bring it for consideration tomorrow, then it will be very difficult. Therefore, I request you to kindly withhold this and circulate the Bill so that we can study because this is a question of crores of labourers' lives, which is involved. Therefore, the entire House, those who are in favour of the workers, will agree. Therefore, I request you to kindly withhold the consent and ask him to circulate the Bill, and take it next time. We will express our views whether it

should be taken up for consideration or it should be referred to the Standing Committee. We will decide that later on.

माननीय अध्यक्ष: इस पर सब नहीं बोलेंगे। उन्होंने लिखित में दिया था, इसलिए हमने उन्हें बोलने का मौका दिया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मेरा आज इतना ही निवेदन है कि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है। अभी वह पासिंग के लिए नहीं लिया जा रहा है। यह इंट्रोडक्शन है, you will get sufficient time. अगर आपको कोई अमेंडमैंट देना है, स्टडी करना है, तो बिल आने तक आपको सिफशेंट टाइम मिलेगा। Today is only introduction. खरगे जी, आप मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने कोई नोटिस नहीं दिया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका ऑब्जैक्शन है। मैं समझ सकती हूं कि बिल महत्वपूर्ण है इसलिए यह आया है। आज केवल इंट्रोडक्शन है। अभी इसमें समय है, इसलिए आप अपने अमेंडमैंट्स दे सकते हैं। जो भी होंगे, वे भी ग्राह्य होंगे। आज बिल पर तुरंत चर्चा नहीं हो रही है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: It is only being introduced. Now, Minister may introduce the Bill.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: The Bill is circulated.

... (Interruptions)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): अध्यक्ष महोदया, अभी केवल इंट्रोडक्शन हो रहा है। आपको समय मिलेगा, इसलिए उस बीच आप अपने अमेंडमैंट्स दे सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ...(व्यवधान) खरगे जी, खुद अनुभवी हैं।

पूर्व मंत्री जी खुद अनुभवी हैं। ...(व्यवधान) आप लोग कल तक कह रहे थे कि बिजनेस नहीं है। जब हम बिजनेस लेकर आये, तो उसे आप रखने की भी अनुमित नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान) यह अच्छी बात नहीं है। ...(व्यवधान) Once the Chair has given permission, please do not make any controversy. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Factories Act, 1948."

The motion was adopted.

श्री विष्णु देव साय: अध्यक्ष महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.12 hrs.

(iii) Apprentices (Amendment) Bill,2014*

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोज़गार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय): अध्यक्ष महोदया, मैं श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षु अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए। HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Apprentices Act, 1961."

The motion was adopted.

श्री विष्णु देव साय: अध्यक्ष महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): मैडम, कश्मीर के मुद्दे पर मुझे भी कुछ कहना है। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: शून्य काल में आपका नोटिस नहीं है। अभी कुछ नहीं आया, तो आप बीच में कैसे खड़े हो गयें।

Now, let us take up 'Zero Hour'. Shri Thambidurai ji.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 7.8.2014.

12.14 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Need to include Tamil and other languages enshrined in the Eighth Schedule of the Constitution as a medium of examination in the UPSC

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, for the last few days, there is a raging controversy about the CSAT examination conducted by the UPSC. The aspirant-students are undergoing severe mental agony because in another two week's time, they have to undertake that examination.

Our forefathers taught us 'unity in diversity'. When India is having a federal set up, all the languages and cultures must be respected and regarded equally. Recently, in the newspapers we have read that the Government is going to call an all-party meeting to discuss this issue.

At present, the exam is held only in Hindi and English languages. What about other languages? Therefore, we are demanding that the examination must be conducted in Tamil, Telugu, Malayalam, Bengali and all other languages, which are included in the Eight Schedule of the Constitution.

The Government has not come forward with a clear statement in this regard. The students are suffering a lot. That is why we are demanding it. Let the examination be conducted in all other languages. Then only there will be a level playing field.

Madam, I urge the Government to make a statement assuring the House that they will consider our request that all the languages included in the Eight Schedule of the Constitution would be treated as medium of the all-India UPSC examination. I want the Government to respond on this issue.

HON. SPEAKER: S/ Shri Rajesh Ranjan, Ranjeet Ranjan, N.K. Premachandran, K. Kamaraj, B. Senguttuvan, J.J.T. Natterjee, M.B. Rajesh, P.K. Biju, P.

Karunakaran, Dharmendra Yadav, A. Sampath, P.K. Shreemathi Teacher, Adv. Joice George and Md. Badaruddoza Khan are allowed to associate with the matter raised by Dr. Thambidurai.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Those who want to associate, can send a slip.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: All of you may please associate, but this is not the way.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: You send a slip to associate.

Adv. Narendra Keshav Sawaikar.

ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR (SOUTH GOA): Madam, in the year 2011-12, the State of Goa used to get kerosene quota of around ... (*Interruptions*) **माननीय अध्यक्ष :** कोई माननीय सदस्य इस प्रकार नहीं बोलेंगे। कृपया मंत्री जी की बात सुनिए। You can associate. ऐसा नहीं करें। उन्होंने नोटिस दिया था, इसलिए उन्हें बोलने की अनुमित दी।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Speaker, this matter was raised earlier also in the House. The Minister had made a statement ... (*Interruptions*) A statement was already made by the Minister. Subsequently, some Members had raised certain apprehensions and they were also clarified, but still there are some apprehensions in the minds of some of Members. And there are divergent views. That is why ... (*Interruptions*)

These changes were made in 2011, 2012 and 2013. Now, we are in 2014. ... (*Interruptions*) Please do not make running commentary, Shri Rajesh Ranjan. You are very experienced also. ... (*Interruptions*) I will deal with it. There is no problem. Nobody should make running commentary from this side or that side, or from any side for that matter. ... (*Interruptions*) You want me to look at that side.

Normally, we look at the Speaker. There are pretty faces in front of me. So, I am looking towards you also.

Madam Speaker, three years – 2011, 2012 and 2013 – have passed with that particular system. This year suddenly, some sections of students started raising certain apprehensions about the CSAT examination. Subsequently, after hearing the Members, some small suggestion has been made to delete those 22 marks for the grading purpose. Subsequently, Members are saying that there are other aspects also.

Madam, it is a Civil Service Examination and changes cannot be done overnight. That is why, I myself have taken the initiative. Even I have, in front of the hon. Speaker in the Business Advisory Committee, made a fervent appeal that there is a force in what our friends are saying about different national languages – I do not call them regional languages - or Indian languages, and that is an issue to be debated and discussed with all the people concerned, including the UPSC. This cannot be done in 10 or 15 days. It requires time.

Keeping that in mind, my appeal is that this examination is on 24th August and children are studying seriously. In-between, some unfortunate incidents have happened – other Members have raised those issues - of lathicharge, agitation etc. Now they are peacefully studying for the examination. Let us not deviate their attention. Let the examination be over. I assure you that I will take the views of all concerned in this matter and have an in-depth discussion. Then, all of us will join together to formulate an approach for the future. That is why, I make this request. HON. SPEAKER: Adv. Narendra Keshav Sawaikar.

ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR (SOUTH GOA): Madam, in the year 2011-12, the State of Goa used to get a kerosene quota of around 19,200 KL per year. However, in the year 2012, the earlier UPA Government reduced it by around 73 per cent. This has adversely affected the people in the villages and more particularly the rural population in the State of Goa. Around 1,25,000 people in the State of Goa do not have an LPG connection. The kerosene quota, that is being

supplied, is also insufficient to cater to the needs of the people, which is only 436 KL per month. The Government of Goa has written to the Union Government and requested to raise the kerosene quota so that people in the State of Goa do not suffer. I, therefore, urge upon the Government that the kerosene quota for the State of Goa may be raised to around 1900 KL per month. Thank you.

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): धन्यवाद अध्यक्ष जी। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में सीमेंट के रेट बढ़े हैं। जून, 2014 में सीमेंट 4400 रुपये प्रित टन था, जुलाई में उसका रेट बढ़कर 5200 रुपये प्रित टन हो गया। पहले प्रित बैग सीमेंट का दाम 250 रुपये था, उसकी कीमत प्रित बैग 330 रुपये से 350 रुपये बढ़ी है। इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में तकरीबन 25 प्रितशत वृद्धि हुई है। अगर सीमेंट का रेट रेल का किराया बढ़ने से बढ़ा है, तो इसे दस रूपये तक बढ़ना चाहिए था, लेकिन यह रेट 80 रुपये तक बढ़ा है। अगर हम एक हजार स्क्वायर फिट एरिया में कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें सीमेंट के लगभग 400 बैग्स लगते हैं। यह जो 80 रुपये प्रित बैग वृद्धि को देखेंगे, तो एक हजार स्क्वायर फिट में कंस्ट्रक्शन पर 32000 से 35000 रुपये तक खर्च बढ़ा है। इसकी वजह से आरएमसी, सीमेंट टाइल्स, कंकीट ब्लॉक्स, पेविंग ब्लॉक्स, पैनल बोर्ड्स आदि के भी रेट्स बढ़े हैं। हमें लगता है कि यह ग्रोथ आर्टिफिशियल है, सीमेंट फैक्ट्री-ओनर्स और व्यापरियों की मिलीभगत से सीमेंट के रेट्स बढ़ें हैं। हमारी नेशनल एसोसिएशन क्रेडाई ने भी कई बार इसका विरोध किया है। हर आम आदमी का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो। आपकी सरकार ने भी कई बार यह मंशा जताई है कि वर्ष 2022 तक हर आम आदमी का एक घर होगा, लेकिन अगर सीमेंट के रेट्स ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, तो यह सपना, एक सपना ही रह जाएगा। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि ऐसा कोई उपाय करें जिससे सीमेंट के रेट का कंट्रोल सरकार के पास हो, न कि सीमेंट फैक्ट्री-ओनर्स और व्यापारियों के हाथ में हो।

डॉ. किरीट सोमेया (मुम्बई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदया, पीएसयू बैंक्स में हायर लेवल्स पर करप्शन हो रहा है और अभी सिंडीकेट बैंक का जो एक किस्सा सामने आया है, it is an eye-opener. मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सिंडिकेट बैंक में पिछले चार-पांच दिनों में जो किस्सा बाहर आया है कि चेयरमैन, सीएमडी अपने साले और रिश्तेदार के द्वारा 50 लाख रुपये रिश्वत लेते हैं। जो प्राइवेट कंपनीज, जिनके ऋण एनपीए हो गए, जो विलफुल डिफाल्टर हैं, उनके एनपीए, बैड-डेट को चुकाने के लिए बैंक वापस उनको कर्ज देती है, ऐसे मामले पकड़े गए हैं। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कई अन्य किस्से बाहर आने लगे हैं। जिस पीएसयू बैंक में गवर्नमेंट की शेयरहोल्डिंग 63 प्रतिशत है, उसके एक डायरेक्टर के रिटायर होने पर उसकी बेटी को बैंक में डायरेक्टर एप्वाइंट कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक के इस मामले, विलफुल बैंक डिफाल्टर्स

और बाकी पीएसयू बैंक्स में करप्शन के मामलों में सरकार सीबीआई को टाइम-बाउण्ड एक्शन प्लान देने की कृपा करे।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) was introduced in the country to give minimum 100-days work to the rural poor. Firstly, we started with certain number of blocks, and then it was made effective in all rural blocks in the country. West Bengal was one of the States, which implemented the scheme effectively, especially, during the present Government. In 2013-2014, West Bengal had spent Rs. 5,600 crore on the scheme, which was an all-India record. But the Central Government is not paying its share in the scheme. Till now, Rs. 885 crore is due from the Centre to the West Bengal Government on account of the MGNREGS. The Chief Minister of West Bengal has protested against this non-payment and she has demanded that this amount be paid immediately. Otherwise, wages due to hundred days' work cannot be paid to these poor people in rural areas.

Again, the Central Government is proposing to keep MGNREGS alive in only a few selected blocks in the country. This will be an anti-people step because the question will arise, what the poor will do in other blocks of the country.

I demand that West Bengal be immediately paid its dues so that wages to rural poor may be paid and the Scheme be kept alive in all rural blocks in the country.

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Hon. Madam Speaker, I am thankful to you for giving me the opportunity to raise an important issue.

In my constituency, Jagatsinghpur, Odisha, Paradip Port is situated. Due to transport facilities through this major Port, various industries like Paradip Phosphates, IFFCO, Indian Oil Corporation, Carbon Company, Essar Steel Plant, etc., were established. For the establishment of these industries, the local people lost their agricultural land and some were displaced. A Memorandum was signed between these industries and the State as well as the Central Governments, and as

per the rehabilitation policy, these industries are supposed to give employment to one member from each land loser's family and displaced families. However, since their inception in this region, it has been observed that they are appointing outsiders in their industrial set-ups by depriving the local people of their rights. In some cases, they are appointing the local people temporarily under the contractors, but that is not a long-term solution.

Therefore, in this regard, I demand that a comprehensive action plan should be put in place in order to facilitate the employment of local people permanently in these industrial and company set-ups.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र बीकानेर और उसके आसपास लगे जोधपुर के समाचार पत्रों में यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित हो रही है कि विगत कुछ महीनों से पाकिस्तान में दर्जनों हिन्दुओं की हत्या की गई, करीब 30 से 40 हिन्दू मारे गए हैं। लेकिन वहां एक के खिलाफ भी अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं में भयानक भय का वातावरण पैदा हो गया है। इसलिए वहां से काफी संख्या में लोग धार्मिक वीज़ा लेकर भारत आते हैं, अभी कुछ आए भी हैं। लेकिन भारत में भी उनके साथ होने वाले व्यवहार और पुनर्वास की प्राब्लम के कारण, रिसीविंग मेकेनिज्म विकसित नहीं होने के कारण, मानसिक प्रताड़ना के साथ जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। प्रताड़ित होने वाले ये सभी लोग अनडिवाइडेड फैमिली के भाग हैं। ये लोग 1947 से पहले राजस्थान के जोधपूर, फलौदी, बाड़मेर, बीकानेर आदि स्थानों से वहां काम करने के लिए गए थे। राजस्थान के राजस्व विभाग में आज भी उनके पुरखों के नाम दर्ज हैं। लेकिन मजदूरी करने के कारण वे सिंध-अमरकोट, बहावलपुर आदि स्थानों पर गए थे और वहीं बस गए। आज उनके साथ पाकिस्तान में मानवीय व्यवहार नहीं हो रहा है। ये लोग सम्मान के साथ जीवन जीना चाहते हैं और वापस भारत आना चाहते हैं। वहां वे प्रताड़ना झेल रहे हैं। अतः मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्री जी से यह मांग है कि मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर इसके लिए एक पूरा तंत्र विकसित किया जाए, जिससे मूल रूप से भारत के नागरिक, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान के नागरिक, जब भारत आएं तो सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.पी. चौधरी और डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा उठाए उपरोक्त विषय से अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (ऑवला): माननीय अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश के आंवला लोक सभा से आता हूं जो बरेली और बदांयू दोनों की लोक सभा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में बरेली जंक्शन और चनेहटी के बीच एक रेलवे फाटक है, जो लाल फाटक के नाम से जाना जाता है। महोदया, ये राजकीय राजमार्ग है जिससे अलीगढ़, बदांयू, एटावा के लिए पूरा रोड चलता है। इस रोड पर आकाशवाणी, दूरदर्शन, भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय है, देवचरा धान की मंडी है और तमाम शैक्षणिक संस्थान हैं। चनेहटी माल गोदाम होने की वजह से इस फाटक पर तमाम रेलगाड़ियां शंटिंग होती रहती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं कि वह फाटक बंद होने से बहुत लम्बा जाम लग जाता है, इसलिए उस लाल फाटक पर उपरगामी सेतु बनना बहुत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि उस सेतु को शीघ्र स्वीकृत कराने की कृपा करें।

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Thank you very much for giving me an opportunity to speak on an important matter.

I am shocked and constrained to note increase in train accidents at unmanned level crossings in various parts of the country. Recently, an accident occurred in which a passenger train rammed into a school bus at an unmanned level crossing at Masaipet, near Toopran, in Medak district of Telangana State that had killed 18 innocent students.

In this context, the compensation announced by the hon. Minister of Railways of Rs. 2 lakhs to the victims' family is very meagre and not at all justified. I would urge upon the Minister to enhance the compensation to at least Rs. 5 lakhs which will be a substantial relief to the victims of the family who have lost their loved ones.

I would request the Minister to kindly sanction adequate funds to eliminate all the unmanned level crossings in the country in a phased and time-bound manner. I would also urge upon the Minister to take preventive steps so as to avoid recurrence of such incidents.

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने शून्य काल में मुझे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। महोदया, मैं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के बारे में स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। महोदया, झुंझुनू जिले में व्याप्त स्वास्थ्य की समस्याओं के माननीय मंत्री जी को अवगत कराने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। वहां पर आर्थिक प्रगति की असीम संभावनाएं हैं, पर यह जिला अभी

भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। जिले में जितने भी प्राथिमक उपचार केन्द्र हैं, उनमें उचित आधारभूत संरचना भी नहीं है। उन केन्द्रों में या तो कर्मचारी नहीं है या अधिकांशतः पद खाली पड़े हैं या फिर गुणवत्ता नहीं है। इस जिले में जिला अस्पताल की हालत यह है कि वहां आधुनिक आधारभूत संरचना का जबर्दस्त अभाव है। सरकार गांव और दूरदराज के इलाकों में चिकित्सकों की समस्या निपटाने हेतु इंटेंशिप प्रोग्राम चलाने वाली थी, उस कार्यक्रम का क्या हुआ, यह मैं जानना चाहती हूं। इस जिले में जिला अस्पताल के अलावा कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। उसकी हालत भी संतोषजनक नहीं है। पिछली सरकार में हमारे जिले के पूर्व मंत्री जी ने दावा किया था कि इस जिले में ईएसआई अस्पताल खोला जाएगा।

माननीय अध्यक्ष: आप सभी लोग एक बात समझिये कि सभी स्टेट मैटर्स जो वहां से सोल्व होने हैं वे यहां पर जीरो आवर में नहीं डालते हैं।

श्रीमती संतोष अहलावत: मैडम, यह यहां का मैटर है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जिले के पूर्व मंत्री जी ने यह दावा किया था कि ईएसआई अस्पताल खुल गया है। अगर वह अस्पताल खुल गया है तो वह क्रियान्वयन की किस अवस्था में है, यह मैं जानना चाहती हूं।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं मध्यप्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र से आती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी में प्राकृतिक संसाधनों, खानों, खिनज सम्पदाओं की भरपूर मात्रा है। यह क्षेत्र विन्ध्य नगरी में आता है, जहां से सटे सभी जिलों में भी उत्खनन का कार्य बड़े पैमाने पर होता है। उपरोक्त विशेषताओं को देख कर इन जगहों को अभियांत्रिकीय, तकनीकीय रूप से सुदृढ़, मजबूत व यहां के युवाओं को माइनिंग की शिक्षा में दक्ष बनाने के लिए पूर्व में राज्य व केंद्र सरकार ने मेरे संसदीय क्षेत्र सिंगरौली में माइनिंग कालेज बनाने के लिए प्रस्ताव मंजजूर किया था। अतः माननीय अध्यक्ष जी, यहां धनबाद, झारखंड में बने इंडियन माइनिंग कालेज की तर्ज पर अतिशीघ्र ही एक माइनिंग कालेज बनाना जनहित, युवाहित, देशहित में सरकार का एक सही कदम होगा।

मैं आपके एवं सदन के माध्यम से कोयला व खान मंत्री भारत सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि यह विषय अति महत्वपूर्ण है। इस पर शीघ्र ही कार्रवाई कर अधर में लटके प्रस्ताव को क्रियांवित कर माइनिंग कालेज का निर्माण कराने का कष्ट करें और संबंधित कार्य को तेजी से कराने के लिए इस विभाग को आदेश दें जिससे युवा पीढ़ी को रोजगारोन्मुख लाभ मिले व क्षेत्र का विकास हो।

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Madam Speaker, my thanks are to the hon. Chief Minister, Tamil Nadu, Amma. Tamil Nadu is famous for cultivating and producing horticulture crops like cut roses, carnation, gerbera and high value vegetables like capsicum, European cucumbers in poly green houses. Around one

lakh kilograms of these horticulture products are produced from 50 lakh square metres of land by 3000 small poly house farmers. Out of these, only 500 kilograms of the produce are being exported to Delhi from Bengaluru because of high air and train freight charges.

Further, there is no facility like cold storage, grading halls and market arrangements to store these products and also unsold products. The result of this is that most of the produced things get perished within a short span of time and small farmers have to incur heavy loss. Further, these 3000 small poly house farmers are using liquid fertilizers through micro irrigation for cultivation of these cut flowers and high value vegetables. It may be supplied to them at subsidized rates as is done in the case of ordinary fertilizers.

Further, our Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi 'Amma' is granting 100 per cent subsidy for drip irrigation throughout the State for optimal use of water for irrigation. In the same way, the Union Government may give subsidy for liquid fertilizers. Hence, I would request the Union Government to take necessary action to give subsidies for export of these products by Air and train services and also to supply liquid fertilizers at subsidized rates at the earliest.

जॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): अध्यक्ष जी, आपने मुझे नेशनल हाईवे 28ए और 28बी के मुद्दे को सदन में उठाने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यह एकमात्र नेशनल हाईवे है जो कि दिल्ली से काठमांडू और कोलकाता से काठमांडू को जोड़ता है। इतना ही नहीं, नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसका अपना कोई बंदरगाह नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र रकसौल में एक बंदरगाह है जहां जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 28ए एकमात्र रास्ता है। अभी प्रधानमंत्री जी नेपाल गए थे और वहां उनका बहुत स्वागत हुआ था। उन्होंने नेपाल को दस हजार करोड़ रुपए अनुदान की राशि वहां डेवलपमेंट के लिए दी है। यह सड़क आठ अप्रैल को बन जानी चाहिए थी और पूरे नेपाल की एकमात्र डिमांड है क्योंकि उनका कोई भी कंटेनर जाता है, वह रास्ते में टूट जाता है। इस कारण नेपाल जाने का रास्ता चार-चार दिनों तक के लिए बंद हो जाता है। यहां तक कि उनके खाने-पीने की तंगी हो जाती है।

मेरा अनुरोध है कि उस कांट्रेक्टर पर कार्रवाई की जाए और इस राष्ट्रीय राजमार्ग को शीघ्र बनाया जाए, जिससे कि भारत-नेपाल के संबंध बेहतर हो सकें।

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): अध्यक्ष जी, मैं अपने को डॉ. जायसवाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करना चाहता हं।

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Madam, the entire Meghalaya is a tribal area covered under the Sixth Schedule to the Constitution of India. The President of India has powers to exempt or modify the application of Acts of Parliament to the autonomous areas under the Sixth Schedule. In order to emancipate the tribals of Meghalaya from the deep economic distress caused by the ban on timber and coal mining, I would request the Government of India to immediately issue a Presidential notification under paragraph 12A(b) of the Sixth Schedule so that these tribal areas in Meghalaya are exempted from parliamentary enactment on environment, mining and mineral development. This would ensure the resumption of timber and coal-mining activities by the tribals of Meghalaya in accordance with the tribal acts and customary practices.

HON. SPEAKER: Shri Kalikesh N. Singh Deo – Not present.

*SHRI R.K.BHARATHI MOHAN (MAYILADUTHURAI): Hon. Madam Speaker. Thank you for this opportunity. "Everybody should get everything. Let us eradicate poverty. Let us uphold agriculture and industry" Following these famous lines, Hon'ble Chief Minister Dr. *Puratchithalaivi* Amma has been implementing several welfare schemes for uplifting farmers. Particularly for the farmers of Cauvery Delta region, Hon. Amma has been providing quality seeds, fertilizer, agricultural equipments and saplings to improve their livelihood. Paddy, cotton sugarcane, coconut, banana, and other food grains are cultivated in Cauvery Delta region in all the three seasons in an area spread over about 1 lakh acres. As the Paddy Research Institute and Indian Agricultural Research Institute are located in this area, the agricultural students are pursuing their education up to Ph.D.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

These students are involved in various research activities relating to soil quality, paddy harvest, etc. I therefore urge through this august House that an Agricultural University should be set up in Aaduthurai in order to expand agricultural education and agriculture related research.

DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM): Madam Speaker, I wish to bring the attention of the House to the urgent necessity of scrapping of screening test for Indian students to study in foreign universities. I wish to make this representation regarding the long-pending issue of the foreign medical graduates and solemnly seek your valuable intervention to redress the anomalies in the screening test process forthwith.

This system of screening test came into effect in 2002 as per the Eligibility Requirement for taking Admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution Regulations 2002. The test was introduced to overcome the then prevailing human problem created with a large number of foreign medical graduates not being given registration by the MCI. This problem has been overcome now, as most of the affected doctors have cleared the screening test by March 2008.

Based on the figures obtained from the MCI, from 2008, the year in which the first batch of students who were issued eligibility certificates in the year 2002 appeared for the screening test, the average pass percentage is an abysmal 15 per cent despite the students having qualified from institutions recognized by the MCI or from institutions finding a place in the World Directory of Medical Schools published by the WHO in compliance with the MCI Act.

Hon. Speaker, I would, therefore, request that this screening test be abolished.

SHRI A. ANWHAR RAAJHAA (RAMANATHAPURAM): Madam Speaker, the new economic policy has led to all-round development. Railways on its part has gone for gauge conversions and introduction of new trains and providing facilities for passengers. But still, backward areas of our country like Ramanathapuram are yet to get the benefits of development policy.

For instance, a railway line between Ramanathapuram and Toothukkudi was about to be taken up by the British Railways in 1910 itself. A survey for this purpose was done not only in 1910 but also in 2010, after hundred long years. However, the proposal is yet to take shape in the form of a railway line linking Ramanathapuram with Thoothukkudi *via* Thiruppullani, Keelakkarai, Erwadi, Sikkal, Valinokkam, Oppilan Road, Kadaladi, Sayalgudi, Vembar, Soorangudi, Vaipar and Kulathoor.

As a short route, the proposed railway line will greatly help pilgrims from the northern parts of the country who want to go from Rameshwaram to Kanyakumari. This will save time, money and energy. Since Thoothukkudi port is being expanded, this new railway line will be of great help to move goods to many parts of the country. Also, this would help the fishermen of the East Coast area to send their catches throughout the country.

A new railway line between Karaikkudi and Ramanathapuram will also be a short route on the East Coast benefiting Devakkottai, Thiruvadanai, R.S. Mangalam, Thondi, Uppoor and Devipattinam.

For the growth of Ramanathapuram in all aspects, our hon. Tamil Nadu Chief Minister 'Amma' has allocated Rs.6250 crore in the current year.

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा के बोर क्षेत्र में 1970 में अभयारण्य घोषणा सरकार ने की थी। वर्ष 2012 में अभयारण्य की घोषणा करते हुए प्रस्तावित अभयारण्य की सीमा भी बढ़ाई गई। इस अभयारण्य के बनाये जाने के क्रम में लगभग 40 गांवों को अधिग्रहीत किया जा चुका है और करीब 10000 पशु भी इससे प्रभावित हुए हैं जबिक इस क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय दूध उत्पादन है। अधिग्रहीत क्षेत्र में पशुओं को चराने हेतु जाने पर पशुओं को वन विभाग द्वारा जब्त कर लिया जाता है और किसानों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिये जाते हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चरागाह की इस स्थिति के कारण किसानों द्वारा पशुधन को बाध्य होकर कसाइयों को बेचा जा रहा है। इस कारण दूध उत्पादकों को गहरा झटका लगा है। मेरा आपसे आग्रह है कि दूध उत्पादकों, किसानों के विरुद्ध दर्ज किए गए अपराधिक प्रकरण को वापिस कराकर किसानों को अधिग्रहित भूमि को पशुओं को चरागाह को प्रयोग करने की अनुमित दी जाए।

DR. P. VENUGOPA.L (TIRUVALLUR): Madam Speaker, through you, I would like to bring to the notice of the hon. Union Minister of Railways and the hon. House the very pathetic condition of railway coaches that the Railways run for the passengers.

As we all know, Indian Railways run one of the largest networks in the world but sadly the condition of most of the coaches is very pathetic. The coaches of some of the long-distance trains including Duronto are very old. When this is the case of premium trains needless to talk of express, mail and other passenger trains. The trains run by the Indian railways, more especially of the Southern Railway, have coaches that are more than 15-20 years old. ... (*Interruptions*) I want to share my views with the hon. Members that 150-year old locomotive factory and 60-year old Integral Coach Factory are situated in Tamil Nadu. ... (*Interruptions*) There is an urgent need to replace them with new coaches. When the Railway Ministry is boasting itself of giving the best passenger amenities, it should think about replacing the old and dilapidated coaches with new ones.

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे साउथ सालमारा के बारे में बोलने का मौका दिया। यह बहुत बुरे हाल में है और बहुत जल्दी बाढ़ में बहने वाला है। मैं 75 परसेंट कट करके बोलूंगा क्योंकि मैं समय की कमी को समझ रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : जीरो आवर में आप सभी लोग पढ़ते हैं। मैं एलाऊ नहीं करूंगी। आप सबको सिर्फ प्वाइंट रखना है।

SHRI BADRUDDIN AJMAL : Madam, 135 villages out of 201 have been completely eroded in South Salmara Revenue Circle; 32,769 hectares of cultivable land out of total land of 44,068 hectares have been eroded. In South Salmara subdivision 614 villages have been eroded. The total area of South Salmara subdivision is 63,026 hectares. It has got 325 numbers of *chars* or river islands. पहले सालमारा में डेढ़ लाख की आबादी थी। अभी यहां 201 में से 135 गांव बह गए हैं और अभी भी बकायदा इरोज़न चल रहा है। हम कहते-कहते थक गए लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मेरी मांग है कि केंद्र सरकार इस मामले को देखे और साउथ सालमारा को बचाए।

12.45 hrs.

SUBMISSIONS BY MEMBERS-Contd...

(ii) Re: Request for necessary help for rescue, relief and rehabilitation to the flood affected people of Odisha

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I thank you very much for allowing me though my notice was not in the list even when I had given it earlier during the stipulated time.

Odisha is reeling now under very serious floods. A large number of area is getting inundated. The River Mahanadi is in full spate. Some weeks ago, Odisha was facing severe drought, but that is how nature has taken revenge to a certain extent.

More than 13 lakh cusecs of water is now flowing in the River Mahanadi but the embankment can hold only 10 lakh cusecs. Cuttack, Kendrapara, Jagatsinghpur, Puri, Nayagarh and Jajpur are the districts under flood water. Rivers Subarnarekha, Budhabalanga, Kansabansa and Salandi are in spate and large areas of Balasore and Bhadrak districts are also inundated. Baitrani and Brahmani Rivers have also flooded large areas of Odisha. Around 12 lakh to 15 lakh people have been marooned and those who have been rendered homeless have been shifted to temporary shelters. I would also like to mention here that till 11 o'clock no breaches have taken place but once some breach takes place large tracts of area would be inundated and many people would be rendered homeless. That is how serious the situation is. Flood water and also backwater of different rivers are creating havoc. Khurda Bolangir has been cut-off; Banki of my constituency in my district also has been cut-off.

I am thankful that the Home Minister is present here. I would urge upon the Government to provide all necessary help to Orissa Government for rescue, for relief and for rehabilitation of the affected people. I would be very happy if the Home Minister can respond to this issue.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदया, ज्यों ही उड़ीसा में फ्लड क्राइसेस के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई, मैंने तुरंत उड़ीसा के मुख्य मंत्री, श्री नवीन पटनायक जी से बात की। जो भी आवश्यक सहायता केन्द्र के द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती थी, वह हमने उपलब्ध कराने की उनसे बात कही, उन्होंने मुझे इस बात की जानकारी भी दी कि जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है, वह वहां पर पहुंच चुकी है और स्टेट के पास स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है, जिसमें 75 परसैन्ट कंट्रीब्यूशन सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट का होता है। मैंने मुख्यमंत्री जी को यह कहा है कि उसमें यदि और किसी भी प्रकार के हमारे सहयोग की आवश्यकता हो तो हम फ्लंड से पीड़ित लोगों का सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I thank the Home Minister for this

response.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): अध्यक्ष महोदया, में आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की निरंतर बिगड़ रही स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। किसी राजनैतिक दल या चुनी हुई सरकार की आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं है, परंतु किसी चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसके शासन काल में सब लोगों की सम्पत्ति व सम्मान सुरक्षित रहे तथा लोग कानून के राज को महसूस करें। मेरे संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी में 30 जुलाई, 2014 को एक बड़ी नाटकीय घटना हुई। दो सजायाफ्ता कैदी जेल के अंदर से अवैध हथियार लेकर आये और मुख्य द्वार पर उपस्थित संतरी और पुलिस के लोगों को हथियार दिखाकर मुख्य द्वार से फरार हो गये। उससे पहले 10 जुलाई को एक सजायाफ्ता कैदी, जो उम्रकैदी था, वह भी फरार हो गया। 10 सितम्बर को एक कैदी ने अदालत के अंदर पुलिस के सिपाही की हत्या कर दी और वह वहां से फरार हो गया। अभी 29 जुलाई को निघासन थाने से हथकड़ी सिहत एक इनामी अपराधी फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 30 जुलाई के दिन एक युवती के अपहरण का प्रयास किया गया और ये वे सारे क्षेत्र हैं जो उच्च सुरक्षा जोन के अंतर्गत आते हैं, जहां कचहरी है, पुलिस लाइन है, जिला जज का आवास है, पुलिस अधीक्षक का आवास है और उसके साथ-साथ जेल गेट के सामने पुलिस चौकी थी और दुर्भाग्य था तथा बड़ा नाटकीय दृश्य था कि उस समय पुलिस चौकी में ताला लगा हुआ था।

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह स्थिति निश्चित रूप से निराशाजनक है। इससे पूरे जिले में दहशत और भय का माहौल है। चूंकि यह नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है, इसलिए ये सारे अपराधी नेपाल में चले गये हैं। पुलिस की जानकारी है, लखीमपुर जिले के व्यापारियों और उद्यमियों को धमकाकर लाखों रुपये की वसूली की जा रही है। वहां के लोग दहशत में हैं, निरंतर ऐसी घटनाओं से सरकार पर से भी लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। शासन, प्रशासन तथा पुलिस से लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि इन घटनाओं का संज्ञान लेकर उत्तर प्रदेश को भारत सरकार अवगत कराने का कष्ट करे, तािक वह प्रभावी कार्रवाई करे, जिससे वहां के लोग भयमुक्त होकर सम्मान सहित शांति से अपना जीवन जी सकें।

साध्वी निरंजन ज्योति (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदया, आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर के संबंध में मैं कुछ चर्चा करना चाहती हूं। यह जनपद दो निदयों के मध्य में एक किलोमीटर के इर्द-गिर्द बसा हुआ है। इसके एक तरफ बेतवा नदी है और दूसरी तरफ जमुना नदी है। जब भी बाढ़ आती है, क्योंकि यह जनपद ऐसा है, जो रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए जब बाढ़ की स्थिति आती है तो रास्ता कट जाता है और निकलने के लिए कोई साधन नहीं रह जाता है।

दूसरी बात यह है कि बेतवा नदी से मोरम बहुतायत में निकलती है। माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी वहां 80 फीट गहराई से मोरम निकाली जा रही है। एक किलोमीटर के मध्य में बसे हुए हमीरपुर जनपद में कदाचित कहीं जरा सा भूकंप का एक झटका आ गया तो पूरा का पूरा हमीरपुर जनपद दोनों निदयों में समा जायेगा।

अतः आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि दोनों निदयों के तटबंध बनाये जाएं। मैंने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया था तो उन्होंने कहा था कि केन्द्र सरकार इसमें कुछ सहयोग करेगी तो हम तटबंध बनवाने की कोशिश करेंगे। मेरा आग्रह है कि वहां दोनों निदयों के किनारे तटबंध बनवाकर हमीरपुर जनपद को सुरक्षित कराने की व्यवस्था की जाए।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय अध्यक्षा जी, जैसा कि आपके संज्ञान में है कि उत्तराखण्ड की आर्थिक व्यवस्था चारधाम यात्रा और उसके पर्यटन पर निर्भर होती है। वह चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो, गंगोत्री-यमुनोत्री की यात्रा हो, बद्रीनाथ-केदारनाथ की यात्रा हो, हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा हो, पर्यटन की दृष्टि से फूलों की घाटी हो और चाहे वह हरिद्वार हो, नैनीताल हो, मसूरी हो। महोदया, पिछले साल आई भयंकर त्रासदी के कारण सारी सड़कें न केवल ध्वस्त हैं बल्कि लोग पैदल जाने की स्थिति में भी नहीं है। जहां पहले एक दिन में 20-20 हज़ार लोग केदारनाथ जाते थे, अब 200-300 लोग भी नहीं जा पा रहे हैं जब कि यह सीमावर्ती क्षेत्र भी है। एन.एच. की सड़कों की बहुत ही खराब स्थिति है। आपके माध्यम से मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि यह सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण और देश और दुनिया के लिए आध्यात्म और पर्यटन की ऐसी स्थली होने के कारण उन एन.एच. के मार्गों को, चार धामों की यात्रा के मार्गों को अपने हाथ में लेकर युद्धस्तर पर बनाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने व्यवसायिक दृष्टि से बैंकों से लोन लिया था, उनके खेत-खलियान, मकान और दुकान सब बर्बाद हो गए हैं। उनको बैंकों से नोटिस मिल रहे हैं। वे जेलों में जाने की स्थिति में हैं। ऐसी स्थिति में उनके सामने मरने के सिवाय कोई दूसारा रास्ता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिनका सब कुछ लुट गया, उनके पास कुछ भी नहीं है और उनको बैंकों से नोटिस आ रहे हैं। उनके लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। उनके ऋणों को माफ किया जाना चाहिए। उनको आगे व्यवसाय चलाने के लिए रियायती दरों पर बैंकों से ऋण दिलाया जाए।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदया, आज अवैध हथियारों का इतना ज्यादा बोलबाला हो गया है कि हर जगह जो मर्डर हो रहे हैं, उनका यही कारण है। मैं टोंक-सवाई माधोपुर से चुन कर आया हूँ। वहां पर मांस का जो व्यापार हो रहा है, वह सिर्फ अवैध हथियार के कारण हो रहा है। हमारे राजस्थान के दो जिले हैं अलवर और भरतपुर और हरियाणा के पांच जिले हैं, जिनमें गुड़गांव, मेवात, पलवल रेवाड़ी, जहां लाखों नहीं तो कम से कम 40-50 हज़ार लाइसेंस ऐसे हैं, जो नागालैण्ड से बने हुए हैं

07.08.2014 73

और रिन्यू यहां पर हो रहे हैं। वहां सारे क्रिमिनल प्रवृत्ति के लड़के अवैध हथियार ले कर रात को खनन करते हैं। रात को बजरी का खनन हो रहा है, पहाड़ों में ट्रक चल रहे हैं। इनको रोकना बहुत जरूरी है। अगर यह नहीं रोका गया तो बहुत दिक्कत होगी। मैं समझता हूँ कि जितना भी क्राइम आज देश में हो रहा है, इसमें 75 पर्सेंट अवैध हथियारों का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि इस पर गौर किया जाए। माननीय गृह मंत्री जी को मैंने लिखित रूप से भी यह जानकारी दे दी है।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में एक बहुत संवेदनशील मामला ला रहा हूँ। हरियाणा में कुछ ऐसे एिलमेंट्स के थू, पहले जब पंजाब में संताप भंडाया, पिछले दस वर्षों में, उन लोगों ने फोर्सिबली गुरुद्वारा साहिब में कब्जा कर लिया। वहां की सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की ओर से माननीय गृह मंत्री जी गुरुद्वारा साहिब की मर्यादा को कायम रखने के लिए जो गलत एिलमेंट वहां जबरदस्ती गुस आ गए हैं, उनको निकालने के लिए कोई उपाय किए जाएं। वहां बहुत तनाव बना हुआ है। कहीं और भी घटना घट सकती है। कुरुक्क्षेत्र में महाभारत होने को तैयार है। उसके लिए भी वहां की सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि उसमें तुरंत ध्यान दिया जाए।

श्री भगवंत मान (संगरूर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। इराक के मूसल में जो 41 भारतीय अगवा हुए हैं, उनके बारे में अचानक से कल के एक अंग्रेजी अखबार में एक खबर आ गई तो उनके परिवार चिंतित हो गए। वे 40-41 परिवार दिल्ली में आ गए हैं। खबर में यह आशंका व्यक्त की गई है कि शायद उनको मार दिया गया है क्योंकि 15 जून के बाद पारिवारों के साथ उनका कोई लिंक नहीं है, उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये परिवार इस बात से चिंतित हैं कि सरकार यह कह रही है कि वे सुरक्षित हैं। इसका मतलब है कि उनका संपर्क है।

07.08.2014 74

13.00 hrs.

सरकार यह इंश्योर करे कि वे सुरक्षित हैं, वरना उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनके बुजुर्ग यहां आकर बैठे हैं। अगर इस मामले में गवर्नमेंट ज्यादा प्रयास करे, तेज प्रयास करे तो उनको राहत मिल सकती है।

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय का ध्यान देश की प्राचीन धरोहरों की रखवाली की ओर दिलाना चाहता हूं। आम तौर पर देखा जाता है कि वे सारी धरोहरें खंडित हो रही हैं और उनकी उचित समय पर देखरेख नहीं होती है। मैं अपने लोक सभा क्षेत्र सतना के अंतर्गत चित्रकूट की तरफ विशेष रूप से आपका ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं, जहां बहुत प्राचीन मंदिर और अन्य सांस्कृतिक स्थान हैं। उनके संरक्षण एवं दीर्घजीवी बनाने के लिए रामायणम परिसर विकसित करने के लिए 86 करोड़ का एक प्रस्ताव भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

में आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार उसकी स्वीकृति दें।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमिरियागंज): महोदया, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने पूरे देश के गन्ना किसानों का जो वर्ष 2013-14 का बकाया मूल्य है, उसके संबंध में मुझे बोलने की अनुमित दी हैं, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं।

पूरे देश में गन्ना किसानों का 10,541 करोड़ रूपया वर्ष 2013-14 सत्र का बाकी है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 119 चीनी मिलों पर करीब 7,465 करोड़ रूपया बकाया हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य की चीनी मिलों के मालिक कह रहे हैं कि अब हम अगले साल से पेराई सत्र शुरू नहीं करेंगे। यह एक गंभीर संकट पैदा हो गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार कहती है कि हम गन्ने के मूल्य का भुगतान करायेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है। तीन करोड़ लाख टन चीनी पड़ी है, अगर उसको बेचने की सरकार कोशिश कर ले तो निश्चित तौर से नौ हजार करोड़ रूपए उस मूल्य से आ जाएंगे, जिससे हम सात हजार पांच सौ कुछ करोड़ रूपए किसानों का बकाया दे सकते हैं। किसानों को उनका गन्ना मूल्य न मिलने से उनके सामने कई दिक्कतें हैं, उनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही हैं, उनकी बेटियों के हाथ पीले नहीं हो रहे हैं, बच्चे की फीस दाखिल नहीं हो रही है, वह अपने बूढ़े बाप का इलाज मेडिकल कॉलेज में नहीं करा पा रहा है। क्योंकि नगदी फसल केवल गन्ना है और अगर किसानों की मेहनत का गन्ना उन मिलों को दे दें और एक साल तक उनको पैसा न मिले, वह केन यूनियन का चक्कर लगाये, चीनी मिलों का चक्कर लगाये, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार की तरफ से कोई रेस्पांड हो जाए कि आखिर इन किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कैसे होगा। शुगर केन कंट्रोल एक्ट में अगर 15 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान न

हो तो उस पर दस प्रतिशत ब्याज दिया जाना चाहिए। ब्याज की बात छोड़िए, किसानों को मूलधन नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष जी आप मां हैं, मां की तरह से आप कृषि का, किसान का दर्द समझ सकती हैं। उस दर्द की मैं व्याख्या कर रहा हूं कि सरकार कम से कम इसका संज्ञान ले और भुगतान कराने की सुनिश्चित कार्रवाई हो।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

13.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

07.08.2014 76

14.01 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at One Minute past Fourteen of the Clock.

(Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up Matters under Rule 377.

Shri Ramesh Bidhuri -- Not present Dr. Sakshi Swami Maharaj -- Not present

(i) Need to shift railway siding at *roza mal godam* away from NH 24 in Sahajahanpur parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): महोदय, शाहजहाँपुर-सीतापुर रोड पर रोजा माल गोदाम साइडिंग पर लगभग पाँच वर्ष पूर्व रेलवे लोडिंग हेतु एक लाइन बिछायी गयी थी। कार्य की अधिकता के कारण अब उसे कई लाइनों में परिवर्तित कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप अब वह नेशनल हाइवे-24 के संपर्क में आ गई है। पहले यह साइडिंग माल गोदाम रोड से लगभग दो किलोमीटर अंदर थी। इससे सड़क पर किसी भी प्रकार का आवागमन प्रभावित नहीं होता था। लेकिन अब प्रतिदिन यहाँ पर दो रेक कोयला उतारा जाता है जिसके कारण आये दिन जाम लग जाता है। कोयले के कण निरंतर हवा में उड़ते रहते हैं जिससे प्रदूषण फैल रहा है तथा वहाँ से निकलने वाले वाहन या पैदल चलने वाले यात्रियों की आँखों में गिरकर दुर्घटनाओं का सबब बन रहा है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि रोजा साइडिंग को लगभग दो किलोमीटर अंदर की ओर स्थानांतरित करने का आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

(ii) Need to provide pedestrian way to civilians living in the surroundings of cantonment area in Ranchi, Jharkhand

श्री राम टहल चौधरी (राँची): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रांची (झारखंड) में रक्षा मंत्रालय के लिए हज़ारों एकड़ ज़मीन सुगनू, खटंगा, गाडी होटवार एवं नामकोम राँची में ली गई है जहाँ पर मिलिट्री छावनी बनी है। लोगों का रास्ता पहले से है उसमें वे बिना रोकटोक के चलते थे। मिलिट्री के जवान गांव वालों को बराबर परेशान कर रहे हैं। कभी रास्ता बंद करते हैं, यहाँ तक कि तालाब एवं मंदिर में भी जाने से रोकते हैं। इसकी वजह से लोग शादी विवाह में नहीं जा पाते हैं। सुगनू ग्राम का आधा किलोमीटर कच्चा रास्ता है, नक्शे में भी है, उस रास्ते को भी नहीं बनाने देते जिससे गांव वालों को भारी परेशानी हो रही है। अभी हाल में नामकोन छावनी में ग्रामीणों का रास्ता रोकने का प्रयास किया गया तो गांव वालों के विरोध करने पर रास्ता खोला गया। जबिक अनेक जगहों पर राज्य में कई छावनियाँ हैं, कहीं इस तरह से परेशान नहीं किया जाता है। चारों तरफ तार का घेरा है, रास्ता अलग है, इसके बावजूद गांव वालों को बराबर परेशान किया जाता है। पहले जब मैं पूर्व में सांसद था तो इस मामले को मैंने कई बार सदन में उठाया था एवं रक्षा मंत्रालय को पत्र भी लिखा था। परन्तु आज तक ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

अतः मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच अविलम्ब कराई जाए। ग्रामीण जनता को आवागमन में हो रही परेशानी का समाधान कराया जाए अन्यथा जनता इसके विरुद्ध बाध्य होकर अपनी ही सेना के खिलाफ आंदोलन करेगी। ग्रामीण जनता ने मिट्टी के भाव ज़मीन दी है, आज उन्हीं को परेशान किया जा रहा है।

07.08.2014 78

(iii) Need to ensure road safety on National Highways in the country

SHRI JAYANT SINHA (HAZARIBAGH): Hon. Chairman, Sir, our Highways are among the most dangerous in the world. Moreover, fatality levels are unacceptably high. The National Highways Authority of India needs to benchmark highway safety across the country and develop effective means to improve safety in the worst-affected areas.

(iv) Need to formulate a scheme for an effective sewerage system in Ambala, Yamunagar and Panchkula Municipal Corporations in Haryana particularly in Ambala Cantonment

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): महोदय, अम्बाला लोक सभा के अंतर्गत पड़ने वाले तीनों नगर निगमों अम्बाला, यमुना नगर व पंचकुला में पानी की निकासी के लिए किसी कारगर योजना के अभाव में वर्षा के दिनों में सारी सीवरेज व्यवस्था व पानी की निकासी प्रायः ठप्प पड़ी रहती है। जिस के परिणामस्वरूप नगरवासियों को बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। अम्बाला नगर निगम के अम्बाला कैंट में पानी कई-कई दिनों तक जलजमाव रहने के कारण नगरवासियों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन नगरों में नगर निगम के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों पर जन सुविधाएं प्रदान कराने हेतु माननीय मंत्री महोदय आवश्यक कार्यवाही हेतु शीघ्र निर्देश जारी करें।

(v) Need to extend the proposed railway line from Mugalsarai to Chakiya Naugarh upto Robertsganj District Headquarters

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज): सभापित जी, पूर्व मांग पर वर्तमान बजट सत्र में मुगलसराय से मोहनीया भभूआ रोड, मुन्डेसवरी, चिकया नवगढ़ तक रेलवे लाइन का सर्वे किया गया है, लेकिन वहां की आम जनता की परेशानियों को देखते हुए माननीय रेल मंत्री जी से इस रेलवे लाइन को 35 किलोमीटर बढ़ाकर रॉबर्ट्सगंज (सोनभद्र) जिला मुख्यालय तक करने की सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं। साथ-साथ रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन पर विस्तार करने जिसके अंतर्गत एक प्लेटफार्म का निर्माण, यात्री शेड का निर्माण, शौचालय का निर्माण एवं यात्री प्रतिक्षालय बनाने एवं रेलवे लाईन का दोहरीकरण एवं सौन्दर्यकरण का सदन के माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं। चूंकि रॉबर्ट्सगंज जिला मुख्यालय होने के कारण आम नागरिकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए जनता के हित को देखते हुए जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू कराया जाए।

(vi) Need to provide adequate facilities at all the railway stations in Bikaner Parliamentary Constituency declared as model railway stations.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, रेल मंत्रालय ने पिछले वर्षों में मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में कई रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन घोषित किया है। इनमें नोखा, लूनकरणसर, नापासर, श्रीकोलायत, अनूपगढ़ देशनोक, श्री डूंगरगढ़ आदि प्रमुख हैं। इन वर्तमान घोषित आदर्श स्टेशनों पर अभी तक कोई समुचित विकास कार्य संपादित नहीं किये गये हैं। रेल मंत्रालय द्वारा घोषित आदर्श रेलवे स्टेशन पर क्याक्या कार्य संपादित किये जाने होते हैं तथा उन्हें कितना बजट उपलब्ध करवाया जाता है, इस हेतु रेलवे स्टेशनों पर भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आम नागरिकों में यह चर्चा होती है कि रेल मंत्रालय ने इस रेलवे स्टेशन को आदर्श घोषित कर दिया है लेकिन इससे किसी भी तरह की आदर्श स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। इस से रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों का रेल मंत्रालय से विश्वास उठने लगता है।

महोदय, आपके माध्यम से मेरी रेल मंत्रालय से यह मांग है कि पिछले पांच वर्षों में मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में जितने भी रेलवे स्टेशन आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित किये गये हैं, वहां सरकार की नीति के अनुसार आधारभूत सुविधाओं का विकास यथाशीघ्र संपादित करायें जिससे सरकारी योजनाओं के प्रति नागरिकों का विश्वास बना रह सके।

माननीय सभापति : श्री जगदम्बिका पाल - उपस्थित नहीं।

(vii) Need to address the problem of people in Srinagar in Garhwal Parliamentary Constituency facing threat to their lives and properties due to seepage of waters from the under-construction Alaknanda Hydro Power Project.

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गढ़वाल लोक सभा के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर श्रीनगर, चौरास में बनायी जाने वाली अलकनन्दा हाइड्रोपावर कॉरपोरेशन परियोजना निर्माणकर्ता कम्पनी द्वारा निर्मित गुणवत्ताविहीन नहर के विप्लव के कारण वहां निवास करने वाले समस्त नागरिक भारी कठिनाई झेल रहे हैं। नहर, गांवों के ऊपर चारों ओर से सीवेज लाइन लीक कर रही है। नहर के रिसाव के कारण लगभग 1200 नाली उपजाऊ भूमि तबाह होकर बंजर पड़ गयी है।

नहर से रिस कर पानी रिहायशी बस्ती में मकानों के अन्दर से निकल रहा है। लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई मकानों में व्यय की है। किन्तु, आज गांव के मकान भारी खतरे की ज़द में हैं। इस मानवकृत आपदा के सृजन से यहां के लोगों से जीवित रहने का अधिकार छीना जा रहा है। मुझे बताया गया है कि कम्पनी ने ग्रामवासियों के नुकसान का मुआवज़ा देने का वायदा किया था लेकिन अभी तक कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया है।

महोदय, मेरी सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इसकी शीघ्र ही उच्च कोटि की जांच करवाएं व समस्या का समाधान करवायें।

माननीय सभापति : श्रीमती कमला पाटले - उपस्थित नहीं।

(viii) Need to give priority to local people in recruitment to various posts in public sector undertakings.

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग): सम्माननीय सभापित जी, मैं आपके समक्ष एक ऐसा विषय उठा रहा हूं जिसका प्रभाव पूरे देश भर के सार्वजिनक उपक्रमों पर पड़ेगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित भिलाई स्टील प्लांट जो कि 5 मिलियन टन से 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता तक विस्तारित किया गया है, यहां नयी भर्ती में स्थानीय लोगों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया है। वस्तुतः सार्वजिनक उपक्रम राष्ट्रीय स्तर की भर्ती के नाम पर अधिकतर बड़े अधिकारियों की सिफारिशों पर नियुक्तियां करते आए हैं। जबिक स्थानीय स्तर में भी आजकल उच्च शिक्षा प्राप्त युवा उपलब्ध हैं। राज्य में बड़े उद्योग, खनन, पर्यावरण प्रदूषण से लेकर सामाजिक संरचना में बदलाव तक का असर स्थानीय आबादी पर पड़ता है। ऐसे में अगर रोज़गार प्रदान करने की स्पष्ट नीति स्थानीय लोगों के हित में नहीं होगी तो वह क्षेत्र ठगा हुआ महसूस करेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात पर खींचना चाहता हूं जिससे सार्वजनिक उपक्रमों में भर्ती के लिए स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान करने का प्रावधान किया जा सके।

(ix) Need to extend agricultural loan to coconut farmers who suffered damage to their crops due to adverse weather condition in Tamil Nadu

SHRI S. SELVAKUMARA CHINNAIYAN (ERODE): The hon'ble Finance Minister has allocated Rs. 8 lakh crore as credit support to the agriculture sector in this year's Budget and expressed the hope that banks would utilize this amount in providing loans to farmers. I would like to bring it to the notice of the Central Government that for the past two years, many States are experiencing drought. In Tamil Nadu, the farmers could not raise any crops due to severe drought as the monsoon has failed successively for the past two years. Many coconut trees have dried up with the result that the coconut growers have been put to a great loss.

Due to severe drought condition in Tamil Nadu, farmers could not repay the loans which they have already taken from the nationalized banks. Though the present Government has sanctioned Rs. 8 lakh crore as credit support to agriculture sector this year, the defaulters would not be able to avail this benefit. Hence, I would like to urge upon the hon'ble Finance Minister to consider this issue sympathetically and issue suitable directions to all the nationalized banks so as to help the needy farmers of our country.

(x) Need to construct a 'Tsunami Wall' along the sea coast in Viluppuram Parliamentary Constituency

SHRI S. RAJENDRAN (VILUPPURAM): On 26th December, 2004 Indian ocean Tsunami triggered a series of devastating consequences along the coasts of landmasses bordering the Bay of Bengal and Indian Ocean killing 2,30,000 people. The following fisherman villages were severely affected which are situated in my Villupuram Parliamentary Constituency, Tamil Nadu. These villages are as follows- (1) Mattu kuppam (2) Vasan kuppam (3) Kaipani kuppam (4) Azhan kuppam (5) Ekiyar kuppam (6) Puthu Kuppam (7) Komuttikuppam (8) Anumanthai Kuppam (9) Chetty Nagar Kuppam (10) Nochi Kuppam (11) Eaaimedu Kuppam (12) Muthaliyar Kuppam (13) Anchicham Kuppam from Vannur Ondirum (14) Pillai savadi Kuppam (15) Poomiyar Kuppam (16) Chinna Muthaliyar Kuppam (17) Thanjirani Kuooam (18) Sothanai Kuppam (19) Nadu Kuppam. The above area is spread over 25 km length and requires Tsunami wall that prevents or deters the force of a Tsunami-wave. Tsunami proof "Great wall of Tsunami" divides villages in this coastal region and more than 10,000 people are living in these villages. I am requesting the Union Government to allocate the necessary funds to build the Tsunami wall to save these villagers and their valuable property.

I urge upon the Union Government to take the necessary steps to protect the fishermen villages from the natural calamity. Already in the general Budget, an announcement of Rs.188 crore to meet the disaster preparedness has been made. Out of this fund, a Tsunami wall having a length of 25 km along the coast may be built to protect the fishermen villages.

(xi) Need to address the problems of Jute farmers and Jute mills in West Bengal

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Sir, I thank you very much for calling me. Of course, I am going to read as per the rule. But if I may suggest that the spirit of the House has always been *extempore*. At some future date, if we can amend this rule and also start speaking *extempore* it will be fine because we are all public representatives.

I would like to draw the kind attention of Government, through you, Sir, towards the deteriorating condition of jute industry in West Bengal. Importance of jute industry in my State cannot be stressed enough, as it employs more than 2,14,714 people and accounts for nearly 79.57% of production in the country.

The Ministry of Textiles states that it provides MSP to encourage jute farming, however, the fact is that for the last 12 years, beginning 2001-02 to 2012-13, production of Jute in West Bengal has come down by nearly 7% highlighting that the present price system does not support the Jute farmers.

The jute mills in West Bengal are in dire straits. Five units of the National Jute Manufacturers Corporation Limited., the Bird Jute & Exports Limited, and others have been declared sick during the last 10 years. Though 3 of them are now part of a revival scheme, they continue to function with a lot of losses.

Under the Jute Packaging Materials (Compulsory use in Packing Commodities) Act, 1987, the Government of India has consistently reduced the mandatory jute packaging provisions from 100 per cent for both food grains and sugar in 2011-12 to 90 per cent and 20 per cent respectively in 2013- 14, citing inadequate supply.

Sir, 10 mills have shut down in West Bengal between 2010-11 and 2012-13 and newspaper reports state that 6 more mills have shut in the past two months. I request the Government to urgently look into this matter in order to support jute farmers and jute mills and prevent large scale unemployment. For this, I request

you to change the provisions under JPM Act, 1987 for mandatory jute packaging for foodgrains and sugar to 100 per cent each.

HON. CHAIRPERSON:

Shri Prataprao Ganpatrao Jadhav – not present.

Shri Jayadev Galla – not present.

(Xii) Need to fix remunerative price of Jute and establish jute mills in Dhubri district of Assam

SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI): Assam has been producing 20% to 25% jute since the beginning of the 20th century. As a commercial crop, Jute has always been making great contribution to the economy of Assam. The State has produced 8,23,000 bales of raw jute in the year 2012-13. But the peasants are not getting the proper price of this crop. The jute mill in Silghat of Assam has been using only 2.5 per cent of the total jute produced in Assam. Though the Jute Corporation of Assam has been entrusted with the responsibility of purchasing jute from the peasants, it has been estimated that only 10 to 15 per cent of the total jute produced in Assam is being purchased by the Jute Corporation of India. So the peasants are to sell their raw-jute to the middlemen, who never pay proper price. On the other hand, the production cost has increased due to which the jute-producing peasants are not able to repay their loans and compelled to commit suicide. On October 10, 2011, while thousands of peasants were agitating in Bechimari of Darrang district demanding proper price of jute, police opened fire at them in which four peasants lost their lives and many got injured.

My submission before the House is that the Government should take steps to fix the proper price of jute crops and also consider the establishment of some jute mills in the State, including Dhubri district which produces about 30 per cent of the total jute production in Assam, especially in Mankachar sub-division of Dhubri, which is the highest jute producer in Dhubri.

(xiii) Need to take remedial measures to control cancer in Punjab and provide adequate medical facilities to the patients

श्री भगवंत मान (संगरूर): महोदय, देश में कैंसर की बीमारी बहुत घातक हद तक फैल रही है। पंजाब में तो हालात और भी बदतर हैं, खास तौर पर मालवा जोन, भटिंडा, मानसर, संगरूर, पटियाला, लुधियाना वगैरह। पंजाब में कैंसर का कोई अस्पताल न होने की वजह से लोगों को इलाज में दिक्कतें आ रही हैं। पीने लायक पानी और दूषित पानी एवं फसलों पर कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल इसका बड़ा कारण है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि पंजाब राज्य में कैंसर के बढ़ते मामलों की रोकथाम, इलाज, एवं इसके कारणों की जांच कर इस दिशा में शीघ्र उचित कदम उठायें।

(xiv) Need to address the problem of drinking water in Delhi

श्री रमेश विधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिल्ली में पानी की गंभीर समस्या व पानी के लिए त्राहि-त्राहि करते लोगों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। राजधानी दिल्ली में पानी की गंभीर समस्या काफी लंबे समय से चल रही है जिसका अभी तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं हो पाया है जिसके उत्तरदायी बहुत से कारण हैं जैसे कि दिल्ली व हरियाणा का पानी संबंधी समझौता है, जिसमें हरियाणा हमारे हिस्सा का पानी यमुना में रोक लेता है और उसे छोड़ता नहीं है। वर्ष 1995 में दिल्ली में पानी की पूर्ति के लिए मुनक नहर का निर्माण कराया, जो नहर अभी तक पानी की बाट जोह रही है। इस संदर्भ में भी पर्यात कदम उठाए जाएं। हिमाचल प्रदेश में तीनों बांधों रेणुका, कलसा और लाखवर-व्यासी का कार्य पिछले 20 वर्षों से लंबित है, इस संदर्भ में भी ठोस कदम उठाए जाएं। यह समस्या दिल्ली की 70 फीसदी आबादी की है।

मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी से अपील करता हूं कि इस संदर्भ में संज्ञान लें ताकि दिल्ली की जनता को पानी की समस्या से निजात मिल सके।

(xv) Need to provide financial and administrative power to Kshetra Panchayat Members to enable them to fulfil the aspirations of the people at the Panchayat level

श्री जगदिन्वका पाल (डुमिरेयागंज): सभापित महोदय, भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर लागू है। भारत में प्रजातांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा, विधान सभा एवं लोक सभा की अवधारणा पर आधारित प्रजातांत्रिक प्रणाली कार्य करती है। उक्त तीनों अंग जनता के द्वारा चुने जाने के कारण जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की एक ईकाई क्षेत्र पंचायत सदस्यों की होती है। इन क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव पूरे देश में औसत दो हजार आबादी के द्वारा चुनकर अपने वायित्व का निर्वहन करते हैं। संविधान में वर्णित व्यवस्था के कारण क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सिर्फ अपने प्रमुख को मतदान करने के अलावा कोई वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार नहीं दिया जाता है। यहां तक कि वह क्षेत्र पंचायत की बैठक में ग्राम सभा के विकास संबंधी कोई प्रस्ताव भी नहीं दे सकता है। फलस्वरूप इतनी बड़ी आबादी से चुनने के बाद भी क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने आप को पंचायती राज व्यवस्था में उपेक्षित महसूस करता है और अपने को मतदाताओं की अपेक्षाओं पर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सक्षम नहीं पाता है जिससे कहीं न कहीं त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की गरिमा के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है।

मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वह क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदान करें ताकि वे भी जनता की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को स्थानीय स्तर पर पूर्ण कर सकें।

(xvi) Need to upgrade the sub-Post Office at Janjgir in Chhattisgarh as Main Post Offic

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा): सभापित महोदय, प्रधान डाकघर स्थापित करने हेतु कम से कम 20 उप डाकघर का होना जरूरी है। जांजगीर चाम्पा जिला सीमा क्षेत्र में 36 उप डाकघर संचालित हैं जिनमें 12 कोरबा, 24 बिलासपुर प्रधान डाकघर के साथ संलग्न है।

15वीं लोक सभा के दौरान अतारांकित प्रश्नों एवं तत्कालीन मंत्री जी द्वारा विभागीय कार्यवाही कर जांजगीर उप डाकघर को प्रधान डाकघर स्थापना करने हेतु उपयुक्त होने एवं इस संबंध में कार्यवाही करने की जानकारी दी थी।

सरकार से मेरी मांग है शीघ्र जांजगीर उप डाकघर को प्रधान डाकघर का दर्जा दिए जाने संबंधी आदेश पारित कर प्रधान डाकघर की स्थापना जांजगीर में की जाए।

(xvii) Need to take measures to ensure remunerative price to the onion growers

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): सभापित महोदय, नियम 377 के माध्यम से अनुरोध है कि महाराष्ट्र राज्य में प्याज की खेती बड़े पैमाने पर होती है। गुजरात, कर्नाटक एवं राजस्थान में भी प्याज का उत्पादन होता है। परन्तु कई कारणों से प्याज के उत्पादक अत्यन्त परेशान हैं। प्याज के उत्पादकों को प्रकृति की अनिश्चितता पर निर्भर रहना पड़ता है। भारी वर्षा से, कम वर्षा से एवं गैर मौसमी वर्षा से प्याज की फसल पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसानों की फसल खराब हो जाती है। जो किसान प्याज का उत्पादन करते हैं उन्हें अपनी लागत भी नहीं मिल पाती है। प्याज खराब होने की आशंका से उन्हें प्याज लागत से कम मूल्य पर बेचना पड़ता है। बाजार हस्तक्षेप का अनुरोध राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार को करना पड़ता है जिसके अनुमोदन में काफी समय लग जाता है। प्याज के निर्यात पर नियंत्रण लगाने से किसानों द्वारा उत्पादित मृल्य कम हो जाता है।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि प्याज पैदा करने वाले किसानों को प्याज के वाजिब दाम मिलें और उनका मूल्य उनकी लागत से ज्यादा होना चाहिए और प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध न लगाया जाए।

14.33 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

Need to have stringent legislation to check increasing atrocities against women and children in the country-Contd....

HON. CHAIRPERSON: Now, Item No. 14; discussion under Rule 193. Shrimati Bijoya Chakravarty to continue.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Sir, yesterday, I had given some statistics regarding crime against women in my State. But, I would not like to go beyond that because I do not want to politicize the crime against women.

Sir, sexual harassment is on the rise in our country. This kind of torture is high also in the high profile people or high profile society. Especially those women who work in various concerns, be it private or otherwise, they are harassed in various ways. When the accused is the boss, in that circumstance, it is very difficult to raise the finger against him. It is because, the lady who raised the finger, might lose her job or there might be other consideration too.

Hence, in such cases, my suggestion is that there should be a strict kind of labour management to provide justice. In every concern, there should be a system to protect vulnerability of women, be it in high place or be it in low place, so that in any eventuality the working woman must be protected by the society or the people who work there.

It is felt that it is the mindset of people especially male – excuse me – to look down upon the women as objects or as commodities. It started since the days of *Manu*. *Rishi Manu* died long before but still that mindset is there. There is no end to it. The attitude 'I am the boss' kills the very fabric of our society.

We call women as goddess Durga, goddess Kali, etc. But it is only for the deities who are installed in the place of worship. So far as women are concerned, the views are different. Woman seems to be a property for enjoyment. Even today, the society, especially the male-dominated society thinks like this.

Dignity of women that was prevalent since pre-historic days in our country is died long ago. That is why, statistics will show that among one lakh women, 15 per cent of them has been the victim of harassment or rape. Look at the figures which I want to state here. In 2011, the percentage of pending cases was 36.6, the percentage of pending trial was 83.6 per cent, and the percentage of conviction rate was only 26 per cent. In 2012, the percentage of pending cases was 35.9, the percentage of pending trial was 85.1 per cent, and the percentage of conviction rate was only 24. In 2013, the percentage of pending cases was 31.5, the percentage of pending trial was 83.4 per cent, and the percentage of conviction rate was only 26.4 per cent.

Sir, courts are very slow in these cases, and not even half of the rape cases have been tried so far. There are lots of cases relating to atrocities against women, and due to lack of evidence, those culprits became emboldened and started committing such crimes again and again.

The question is why people resort to such heinous crimes, and why the rapists or molesters cannot envisage that women might be their wife, might be their mother, might be their grandmother and might be their daughter. So, I want to assert here that due to carelessness of our law protector and in some cases due to careless of our police force also, evidences as required by law to prove the cases are not being submitted in the courts properly. That is why, I want to assert here again that the dominating male mindset needs total transformation in our society. People use rape as an instrument to take revenge, to subjugate so that they can keep women under their feet. This mindset has been there for a very long time, and it is still there. That is why, the outside civilized world, on seeing the condition of women in India, expressed their shock many a time. One Senator has written a letter to the Government, and asked the Government to stop the criminality against women and to stop crimes and atrocities against women.

Let us ask ourselves certain questions. Have we stopped being human? Why everywhere monsters like attitude prevail? Be it boy, be it youth, bet it old

men, the same thing happens, and they have the same kind of mentality and attitude. Even in Delhi, the crime rate is so high, and so, Delhi is called 'rape city'. It is very unfortunate because Delhi is our Capital.

Why can we not create a protective environment for every girl and every woman in the society? What we need today is a responsive society and a stringent set of laws. We should create a congenial atmosphere for a child at home, for a child in the society and for a girl child everywhere so that they can learn to respect girls as their mothers and sisters. So, proper monitoring of law protectorate is urgently necessary. There are so many cases but due to paucity of time, I do not like to explain them. There are many things. In some cases, some of the law protectorate have the evidence but they destroy the evidence. That is why many cases cannot be proved.

Sir, I would suggest here that even the juvenile, who committed such a crime, should not be spared. They should be treated like as a matured person. Quick trial and quick disposal of such cases is urgently necessary because we know that 'justice delayed is justice denied'. Presently, every parent is afraid of sending their girls outside their houses alone. Even we, many lady MPs, are also afraid to go out alone. When we cannot protect ourselves in such a condition, how can we give protection to the others?

इसलिए अंत में, मैं महिला होने के नाते पूरे सदन से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देश में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, सारे राज्यों में जो अत्याचार हो रहे हैं, इसको बंद करना बहुत जरूरी है। जितनी भी महिलाएँ इस सदन में हैं, जैसा कि मैं अभी कह चुकी हूँ we are also not safe alone.

वहाँ पर कोई कॉनजेनियल ऐटमॉसफेयर हम लोगों के लिए भी नहीं है। बच्ची से लेकर बूढ़ी तक और पढ़ी-लिखी औरत से लेकर पागल औरत तक, कोई भी आज के समय में निरापद नहीं है। पागल औरते भी रास्ते में बलात्कार की जाती हैं, इस तरह के बहुत सारे केसेज़ हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सरकार इन अपराधियों के खिलाफ सख्त-से-सख्त कानून बनाकर उसे प्रभावी ढ़ंग से लागू करे, जिससे देश में सभी महिलाएँ सुरक्षित रह सकें। मेरे विचार में, प्रत्येक राजनीतिक दल का दायित्व है कि महिला को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एकजुट हों। जो महिलाएँ एवं लड़कियाँ बलात्कार की शिकार होती हैं, उनका जीवन बहुत ही दुखदायी होता है। वे लोग जीना नहीं चाहते हैं। वे आत्महत्या करना चाहते हैं। ऐसी बहुत-सी

महिलाएँ हैं, जो आत्महत्या कर चुकी हैं। मैंने देखा है, ऐसी बहुत सारी महिलाएँ मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं। इसलिए बलात्कार के मामले में हम सबको राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोग इस पर राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि सरकार की मदद करेंगे ताकि एक सख्त कानून बने। महिलाएँ सुरक्षित हों, हम लोगों की माताएँ सुरक्षित हों, बेटियाँ सुरक्षित हों तथा पिलयाँ सुरक्षित हों। एक सुरक्षित वातावरण में हम लोग जी सकें ताकि बाहर के सिविलाइण्ड वर्ल्ड में हम लोगों की शिकायत न हो सके।

07.08.2014 94

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): सभापित महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी, मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी तथा श्री खड़गे जी को धन्यवाद दूँगी कि इन्होंने महिलाओं के इस अति संवेदनशील मुद्दे पर मुझे बोलने के लायक समझा।

सभापति महोदय, महिलाओं तथा बच्चों पर अत्याचार एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं अपनी बहन, जो अभी बोल रही थीं, उनका धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि महिलाओं के मुद्दे पर, बलात्कार पर, अत्याचार पर, चिल्ड्रेन एब्यूज़ पर राजनीति न शोभा देती है और न इस पर राजनीति हम लोगों को करनी चाहिए। सबसे पहले मैं कहना चाहुँगी, जब हम महिलाओं की बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, उन पर अत्याचार की बात करते हैं, तो मन में एक भावना उठती है, जो बचपन से आज तक हम देखते आये हैं, ऐसा महसूस होता है कि सबसे पहले हम महिलाओं को अपना सम्मान खुद का करना चाहिए। पहले हम खुद अपने सम्मान की रक्षा करें, उसके बाद हम पुरुषों पर आएँगे कि वे हमें सम्मान दें या न दें। यहीं से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। सुरक्षा की बात हो या अत्याचार खत्म करने की बात हो, तो हम पुरुषों की बात से शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे अत्याचार हैं, दहेज है, बाल-विवाह है, भ्रूण हत्या है, बलात्कार है। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि हम दहेज की बात करते हैं, महिलाओं को जलाने की बात करते हैं, दहेज केसेज में पूरे परिवार को जेल भेजने की बात करते हैं, बाल-विवाह की बात करते हैं, भ्रूण हत्या की बात करते हैं, बेटियों के असम्मान की बात करते हैं, लेकिन इनमें इनवाल्व कौन हैं। भ्रूण हत्या को हम कानून से किस तरह रोकेंगें। यदि परिवारवाले और डाक्टर, दोनों शामिल हों, तो कौन सा कानून आड़े आएगा, किसको पता चलेगा कि वहां भ्रूण हत्या हो रही हैं। दहेज इस समाज में एक अभिशाप है। शायद शहरों में 20-30 प्रतिशत लोगों को यह एहसास नहीं होता होगा, जो लड़कियां आज पढ-लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हैं। गांवों में आज भी एक गरीब व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी के लिए एक साइकिल या मोटर साइकिल, 25-50 हजार रुपये दहेज के रूप में देना पड़ता है, भले ही लड़का कुछ भी न करता हो, उसके पास एक ध्रुर जमीन भी न हो। एक मां होने के नाते मैं भी महसूस करती हूं कि जरूर उस महिला के मन में यह भावना आती होगी कि काश भगवान मुझे बेटी न देता। एक बहुत बड़ी पीड़ा उस महिला के अंदर होती है। आज यदि हम महिलाओं एवं बच्चों पर अत्याचार की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से इन सभी चीजों को एक चेन की तरह जोड़ना होगा। दहेज एक ऐसा अभिशाप है, जब तक यह खत्म नहीं होगा, तब तक हम भ्रूण हत्या को नहीं रोक सकते। मैं बहुत सी महिलाओं से मिली, बहुत लोगों से पूछा कि आखिर क्यों आप अपनी बच्ची का बाल विवाह करते हैं, वे कहते हैं कि क्या करें, आज लड़का मिल रहा है, आज दो लाख रुपये में मिल रहा है, दो साल बाद उसी लड़के को चार लाख रुपये में खरीदना पड़ेगा। जब तक हमारी यह दहेज की परम्परा चलती रहेगी और लड़के बिकते रहेंगे, तब तक हम कानून बना लें, हम चाहे जितने सख्त हो जाएं, कुछ

नहीं होगा। आज कानून या जेल की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है समाज के सुधरने की, पहले हम अपनी मानसिक स्थिति को सही करें, अपनी सोच को सही करें, दहेज को खत्म करें। भ्रूण हत्या से पहले उस दहेज जैसी मांग और उस मजबूरी को खत्म करें।

हम बलात्कार की बात करते हैं। बहुत अफसोस होता है, ऐसे लोगों से घृणा होती है। किसी जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति जब कोई शब्द बोलता है, तो पूरी दुनिया सुनती है, खासकर जब वह व्यक्ति राजनीति में हो, न्यायपालिका में हो या मीडिया में किसी उच्च पद पर बैठा हो। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा, ऐसे असम्मानित शब्द बोलता है कि शर्म आती है। ऐसे लोग जो राजनीति और लोकतंत्र में रहकर आधी आबादी का सम्मान नहीं कर सकते, उनको राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। कल जीरो आवर में मैं एक मुद्दा उठाना चाहती थी। मैं स्पीकर मैडम से भी मिली, इंडिया डीटी टाइम्स में एक न्यूज आई थी। बहुत शर्म आती है। लोग कहते हैं कि गरीब, अनपढ़, अशिक्षित लोग बलात्कार करते हैं। डीटी टाइम्स बहुत से लोगों ने देखा होगा, हाई प्रोफाइल फैशन इंडस्ट्री के लोग, जिन्हें बहुत पढ़ा-लिखा माना जाता है, डीटी टाइम्स में उनके एक शो की पिक्चर आई, जिसमें उन्होंने निर्भया काण्ड पर एक फैशन शूट किया। दो मॉडल एक लड़की को बस में उसी तरह इमेजीनेशन कर रहे हैं कि किस तरह से उस लड़की की इज्जत लूटी होगी। हमें शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के पढे-लिखे शोकॉज लोग हमारे भारत में रहते हैं। कौन सा कानून, किस तरह की सोच, आज हमें जेल की नहीं, एम्स की जरूरत है कि ऐसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराओ, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। आप उस माँ से पूछे, जिसकी बच्ची के साथ यह हुआ था। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी भी 11 साल की बेटी है। एक बार सब महिलाएं-पुरुष अपनी बेटियों के बारे में सिर्फ यह महसूस करें कि पांच साल की बच्ची के साथ अगर बलात्कार हुआ, मैं चुपचाप उस वक्त अपनी बेटी को देखती हूं और महसूस करती हूं तथा अपने आप से पूछना चाहती हूं कि कैसा महसूस होता, यदि उसकी जगह मेरी बेटी होती। यहां जरूरत है खुद महसूस करने की, तब ही हम इस विषय की गम्भीरता और चिंता को समझ पाएंगे।

कुछ समय पहले निर्भया कांड हुआ, हम कैंडल्स लेकर इंडिया गेट पहुंच गए, प्रोटेस्ट किया, लेकिन क्या हुआx हुआ यह कि 33 प्रतिशत रेप दिल्ली में बढ़ गए। बेंगलोर में एक बच्ची के साथ स्कूल में रेप हुआ, कोच द्वारा। चार दिन के बाद एक स्कूल के स्टाफ के बेटे ने रेप किया। कानून नहीं, सोच बदलने की जरूरत है। निर्भया की माँ से कोई व्यक्ति जाकर पूछे, यदि उसने यह पेपर देखा तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि उस माँ को एक फिर से यह दोहराया गया कि उसकी बच्ची के साथ किस तरह से रेप हुआ था। इस कारण उसे जेल होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए और फांसी देनी चाहिए।

में कुछ बातें और सदन में कहना चाहूंगी। हम और हमारा समाज देवी-देवता के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, हर देवी के रूप में महिलाओं को इज्जत देते हैं। लेकिन सबला नहीं बनाना चाहते, अबला ही कहना चाहते हैं। मेरी बहन अभी कह रही थीं कि हम कब सुरक्षित होंगे, हम संसद में 61 के करीब सांसद हैं। लेकिन हम भी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्या कोई पुरुष आकर या आपका पित आकर या पिता आकर बचाएगाх नहीं, ऐसा नहीं है। राखी से हम लोगों का क्या तात्पर्य है, क्या आपकी शादी चाहे हो गई है या आप कहीं पर काम करती हैं, तो राखी बंधवाने वाला भाई आकर हमें बचाएगा। मैं उनसे माफी मांगते हुए यह कहना चाहती हूं कि जब तक हम महिलाओं की सोच इससे ऊपर नहीं उठेगी, जब तक हम अपने आपको बचाने के लिए पुरुष जात पर निर्भर रहेंगे, तब तक आप बार-बार धोखा खाएंगे। हम क्यों अपने आपको इतना कमजोर समझती हैं। आखिर क्या कमी है हम लोगों में, जो आज हम यह महसूस नहीं कर पा रहे कि आप किसी से कम नहीं हैं...(व्यवधान) बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आपके घर में भी माँ-बेटी है। अपनी पत्नी को भी उतना दम दो, जितना मुझे पप्पू जी ने दिया है। इसलिए कृपया हंसिए मत।

हम अपने आपको क्यों इतना मजबूर समझती हैं, पिता के रूप में, पित के रूप में या भाई के रूप में हमारी परविरश घर से होती है। घर से ही शुरू होता है हमारे साथ भेदभाव, और घर से ही शुरू होता है आपको बेहद मजबूत एहसास दिलाना।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात अब समाप्त कीजिए।

श्रीमती रंजीत रंजन: सभापित जी, मैं कुछ समय और लेना चाहूंगी, क्योंिक यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। गर्व करती हूं अपने माता-पिता पर कि उन्होंने कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक बेटी हूं। यही फर्क है मेरा, लड़के-लड़िकयों के साथ। मैं कुछ बातें लिखकर लाई थी, लेकिन सभापित जी जब आप घंटी बजाते हैं तो सारी एकाग्रता भंग हो जाती है।

सभापति जी, भारतीय संस्कृति में दुर्गा, लक्ष्मी, काली और सरस्वती को पूजने की परम्परा रही है। महिलाओं के प्रति सम्मान और आदर भाव होना हमारी संस्कृति की पहचान है। कंधे से कंधा मिलाकर चलना, पुरुष के रूप में, पिता के रूप में हो या बेटे के रूप में हो या भाई के रूप में हो, पुरुषों ने ही सिखाया है।

आज जब हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे, स्त्रियों में ज्ञान की ललक पैदा हुई, युग परिवर्तन की वह इबारत लिखने लगी, सामाजिक परिवर्तन का यह सौपान हमने भी शिद्दत से महसूस किया और इसी परिवर्तन का हम भी अटूट हिस्सा बनने लगे। ऐसी परवान चढ़ती महिला को जो व्यक्ति ऊपर उठाता है, धीरे-धीरे उसी में यह परम्परा लागू होने लगती है कि अरे, एक महिला मुझसे आगे निकलने लगी। ऐसा परिवर्तन होने के बाद भी आज महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस करने लगीं, पहरेदार ही

आज हबशी बनने लगे, अधरों पर मुस्कान लाने वाले अस्मत लूटने लगे, ख्वाब दिखाने वाले सरेआम बेचने लगे हैं। आज हम किस युग में जी रहे हैं, क्या वास्तव में यह 21वीं सदी है? मेरे ख्याल से 21वीं सदी चमचमाते हुए सपनों की हकीकत में बदलने का यह सुखद सपना तभी पूरा हो सकता है जब आप आधी आबादी को उनका हक दें। मेरी एक बहन कह रही थी कि मुझे भी डर लगता है। यह सपना तभी पूरा हो सकता है जब हवा के झोंकों से यह महसूस न हो कि पीछे से कोई हमारी इज्जत लूटने के लिए आ रहा है। यह तभी संभव है जब हम अपनी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आयेंगे। ताज्जुब होता है जब हमारे कानून बनाने वाले कह देते हैं कि घर की दहलीज लांघोगी तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लड़के बाहर जा सकते हैं लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं। कौन सी प्रोटैक्शन हमारा कानून देता है? कौन सी प्रोटैक्शन हमारा पुरुष समाज देता है? प्रोटैक्शन का मतलब लड़कियां रात में बाहर न जाएं, प्रोटैक्शन का मतलब लड़कियों के होस्टल में कफर्यू लग जाए, प्रोटैक्शन का मतलब लड़कियां स्कर्ट न पहनें, छोटे कपड़े न पहनें। क्यों? क्योंकि लड़कों का मन खराब हो जाता है।

निर्भया कांड हुआ, बहुत बड़ा प्रोटैस्ट हुआ, विरोध हुआ। मैं सैल्यूट करती हूं उन लड़िकयों को जिन्होंने तीन-चार कोटैशन लिखकर ऐसे व्यक्तियों के मुंह पर तमाचा मारने की कोशिश की। एक था 'मेरे कपड़ों से ज्यादा जोरदार मेरी आवाज है, मेरे कपड़ों को मत देखो।' एक लड़िकी पहली बार इस विरोध में शामिल हुई, उसने लिखा, 'तुम बलात्कार इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें मेरे कपड़े उकसाते हैं, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, क्योंकि तुम्हारी इस हरकत ने मुझे उकसाया है।' निश्चित तौर से इस सोच से जिस दिन लड़िकयां चलने लगेंगी, लड़िकों में डर उभरना शुरु हो जाएगा।

महिलाओं के लिए हमें पितृसत्तात्मक चौकसी की जरुरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यहां मत जाओ, रात में मत जाओ। क्या पुरुष समाज हमें अधिकार देता है कि हम रात में घूम-फिर सकें। एक उदाहरण देती हूं। जोखिमपूर्ण काम मर्द करते हैं तो आप उन्हें महिमामंडित करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट पर भी। निर्भया कांड के बाद, फरहान अख्तर साहब, हर मूवी से पहले महिलाओं के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। मुझे बहुत हंसी आती है, उसमें वे कहते हैं 'दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाओ, क्या आप मर्द लोग मेरा साथ नहीं देंगे।' मर्द क्यों? औरतें क्यों नहीं? क्यों महिलाएं अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकतीं, क्यों आप ऐसी एड नहीं देते हो कि महिलाएं खुद अपनी रक्षा कर रही हैं। क्या हम मैरीकॉम को भूल गये, क्या हम पी.टी.उषा को भूल गये, क्या हम झांसी की रानी को भूल गये, क्या हम सानिया मिर्जा को भूल गये? असली मर्द की क्या पहचान हैं। एक एड है बहुत सारे लड़के लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं और जो लड़की की सुरक्षा कर रहा है उसके बारे में कहा जाता है यह मर्द है।

07.08.2014 98

15.00 hrs.

हर बात में मर्द ही सामने क्यों आते हैं। हम अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों इस सोच से हमारा सारा समाज चलता है, हमारी सोच चलती है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Second speaker from your Party will not get a chance to speak.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): महोदय, मैं पांच मिनट और बालूंगी। खड़गे साहब से परिमशन ले ली है। हम दो लोग ही बोलेंगे।

माननीय सभापति: आपके लिए ग्यारह मिनट का समय दिया गया था।

...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन : महोदय, मैंने स्वयं नोटिस दिया था।...(व्यवधान) महिलाओं पर अत्याचार की बहुत बड़ी जड़ पुरुष मानसिकता ही है। हम बार-बार इसी सोच की तरफ जाते हैं कि पुरुष ही हमें बचाएंगे। लोग कहते हैं कि विज्ञापनों में नग्न तस्वीरें दिखाई जाती हैं। पंखे की एड है तो कास्ट्यूम में महिला को दिखाया जाता है। शेविंग क्रीम की एड है, तब भी कास्ट्यूम में महिला को दिखाया जाता है। क्या हम कोई वस्तु हैं, जिसे केवल मनोरंजन के लिए यूज़ किया जाता हैं। सिर्फ नग्न तस्वीरें ही नहीं, बल्कि टीवी पर दिखाए जाने वाले सीरियल भी यही दिखाते हैं कि अगर एक सभ्य महिला है, उसका पित चार शादी करके आ रहा है लेकिन वह बहुत लायक पित है। महिला का काम है कि उसकी दूसरी शादी को स्वीकार करे और अपनी परम्परा को मानना। हम अपनी बच्चियों को मना करते हैं कि सीरियल मत देखो। मैं उन माताओं में से नहीं हूं जो अपनी बच्चियों को यह सिखाएं कि बेटे और बेटी में फर्क है। कुछ समय पहले सानिया मिर्जा हमारे देश की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है और हमारे देश की उस पर गर्व है। यह बीमार मानसिकता है कि वह पाकिस्तान की बहू है या हमारी बेटी है, इसके पहले भी सानिया मिर्जा हमारे तिए गौरव है, गर्व है क्योंकि वह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है। उसने रोते हुए कहा कि एक लड़की ने दूसरे देश में शादी की है इसलिए एब्यूस किया जा रहा है अगर यही काम किसी लड़के ने किया होता तो कोई बात नहीं उठती।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी पार्टी के अन्य सदस्य को बोलने के लिए समय नहीं मिलेगा।

...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन: महोदय, मैं केवल चार-पांच सुझाव देना चाहती हूं। शहरों में वेश्यावृति को अन्य देशों की तरह लीगलाइज कर देना चाहिए। यहां जो सैक्स वर्कर हैं उन्हें न तो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं, न ही वे अर्निंग कर पाती हैं दलाल और पुलिस सारा पैसा ले लेते हैं। पुलिस को हफ्ता दिया जाता है, हम क्यों

नहीं इसे लीगलाइज करते हैं। इसके अलावा गांव में अलग तरह के रेप होते हैं, शहरों की मीडिया की अलग सोच होती है और गांव के मीडिया की अलग सोच होती है। गांव में अगर बलात्कार होता है तो लड़की के पिता को अपनी एड़ियां घिसनी पड़ती हैं, लेकिन उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है।...(व्यवधान) महोदय, सुखे और बाढ के विषय पर सदन में चार दिन चर्चा होती रही, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है। लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े रेप का कारण हैं। मैं पुछना चाहती हुं कि क्या दलित और आदिवासी महिलाओं का बलात्कार कपड़े देख कर किया जाता है। एक बलात्कार बदला लेने का होता है और एक बलात्कार अमीरी और गरीबी की कुंठा होती है। पिक्चरों में देखते हैं और अमीर की लड़की को पकड़ नहीं पाते हैं, तो वहीं कुंठा सड़क पर किसी भी लड़की के साथ निकलती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं। मेरे सामने बिहार में दो साल पहले तीन महीने में 15 बलात्कार हुआ 12 साल से छोटी बच्चियों का। दो बच्चियां ट्यूशन पढ़ने जाती हैं। एक बच्ची को मालूम चला की बड़ी लड़की उस ट्यूटर के साथ भाग रही है। मात्र सात-आठ साल की बच्ची का दूसरे दिन इसलिए रेप हो जाता है क्योंकि उस ट्यूटर ने बदला लेना था कि उसने ऐसा क्यों किया। पुरुष मानसिकता का सबसे आसान तरीका होता है कि अगर महिला या बच्ची से बदला लेना है तो उसका रेप कर दो। इस तरह हमारे कानून शहर के लिए अलग और गांवों के लिए अलग होने चाहिए। मैं कुछ प्वाइंटस जरूर दंगी। जुवेनाइल की हम बात करते हैं, जुवेनाइल की उम्र आज 16 साल हो गई है। यह निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज हमारे 12 साल के बच्चे जितनी जानकारी रख रहे हैं, उतनी बड़े लोग नहीं रखते। लेकिन निश्चित तौर से यह स्थिति आखिर आई क्यों? आज के पेरेन्टस के पास वक्त नहीं है। आज बच्चे अकेले हैं। अपनी सोच से जी रहे हैं। पोर्न मूवी देख रहे हैं। इंटरनैट देख रहे हैं। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The next speaker is Shrimati V. Sathyabama. Please start speaking.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please help me out.

... (Interruptions)

SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on atrocities against women and children under Rule 193 discussion. I also take this opportunity to thank the hon. Chief Minister of Tamil Nadu ... (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Sir, please allow her some more time to conclude her speech. ... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, she is concluding. Please allow her to conclude. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: She has already taken more than 15 minutes.

... (Interruptions)

SHRIMATI RANJEET RANJAN: Sir, please give me two more minutes to conclude. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): The only remedy to encourage the women folk in all sections of life is by giving 33 per cent representation like it is given in Tamil Nadu, which is to be extended to all other States. ... (*Interruptions*) In Tamil Nadu, we have absolute and immediate action by our hon. *Puratchi Thalaivi Amma*. ... (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : Sir, please give her one minute to speak and conclude her speech. ... (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, please allow her to speak for a minute. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI V. SATHYABAMA: For instance, our hon. CM has taken immediate action on those ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please wait for a minute. Let the hon. Member conclude her speech.

... (Interruptions)

SHRIMATI RANJEET RANJAN: I would like to mention only about the suggestions for women safety. There should be better quality roads with separately-marked pavements; street-lighting with adequate LUX levels for all roads; CCTVs to be installed at all markets, office areas, college roads and vulnerable areas; CCTVs to be installed at all public transports – rail, road and air; compulsory police verification of all commercial drivers - school buses, taxis, etc.; and women toilets to be put up at all commercial areas and are to be manned by lady staff and are to be properly maintained. As regards rural areas, toilets are to be provided inside each rural household; potable drinking water is to be provided

inside each village premise; better lighting of rural roads; and night patrolling by police. I would only like to state about a statistics regarding the children who are abused physically, sexually and emotionally, which stands at 53 per cent.

15.08 hrs (Shri Hukum Singh *in the Chair*)

मैं इसके साथ ही यह भी कहना चाहूंगी कि मैंने बच्चों और महिलाओं के बारे में जो भी बोला, वह एक एक बात मेरी भावना से, इस हिन्दुस्तान के तमाम बच्चों से जुड़ी हुई है। ...(व्यवधान) यह कोई भाषण नहीं है। मैं हर उस महिला और बच्ची के साथ हूं जिसके साथ सैक्स एब्यूज होता है। मेरा एक एक क्षण उस महिला के संघर्ष में उसके साथ है। इसी के साथ वक्त देने के लिए धन्यवाद।

SHRIMATI V. SATHYABAMA: Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on atrocities against women and children under Rule 193 discussion. I also take this opportunity to thank the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, *Puratchi Thalaivi Amma*, for enabling me to contest the general elections to serve the people of my Constituency.

The only remedy to encourage the women folk in all sections of life is by giving 33 per cent representation like it is given in Tamil Nadu, which is to be extended to all other States. In Tamil Nadu, we have absolute and immediate action by our hon. *Puratchi Thalaivi Amma* and our beloved and respected Chief Minister on these issues. For instance, our hon. CM has taken immediate action on those persons responsible at the Pollachi care house, that is, those who were responsible for the heinous crime, and gave substantial monetary and other relief to the victim's family. Female infanticide was more common during the 1980s. In the southern districts of Tamil Nadu, around 6,000 female children were killed in a span of two years, during 1987-88. The maternity homes reported a loss of 95 per cent of female children born during this period. The female infants were fed with the poisonous juice of 'Oleander' plant on the very day of their birth.

In 1992, the Tamil Nadu Chief Minister 'Amma' launched a 'Cradle Baby Scheme' in Salem District that urged parents to drop the child in the cradle instead of killing them. During the said period, under the 'Cradle Baby Scheme', out of 1,338 children who were taken care of, 1,272 were girls.

The Government also launched another campaign in which the parents of girls undergoing sterilisation were compensated and a 'Gold Ring' was presented to the girl on her 20th birthday to ease her marriage expenses.

Tamil Nadu is the first Indian State which has set up 'All-Women Police Stations' to deal with crimes against women.

After the gang-rape case in Delhi in 2013 in which a girl was gang-raped in a moving bus leading to her death, the Tamil Nadu Government unveiled a 13-Point Action Plan including installation of Closed Circuit Televisions (CCTVs) in

all public buildings and booking offenders under the Goondas Act of 1982 that ensures non-bailable retention up to one year. The Government has also ordered speedy investigation of all pending cases related to crimes against women, and the setting up of Fast Track District Courts to deliver speedy justice. The State also proposed to the Centre to modify the existing rules to render heavy punishment to the offenders, like death and chemical castration.

Recently, we heard the news stating that two young girls in a rural village were gang-raped and then hanged from a tree. Another news story reported that four girls in the age group of 16-17 years were attacked and sexually assaulted in a rural village in Haryana. These two brutal assaults made the headlines in a week's time. Girls in villages across India are at the risk of sexual assault, and Indian cities are not safer for women and girls anymore.

Women and girls in Delhi are already well aware that public spaces which they pass through every day are unsafe, and that an attack that will rock India and catch the world's attention is, unfortunately, likely to happen sooner than later.

One in every five women in India often chooses not to engage in public life because they fear for their safety.

Broader approaches are needed to combat sexual violence and that Governments need to take seriously any attack on women and also to hold the perpetrators of sexual violence accountable for their crimes.

Do women and girls feel safer? Are the perpetrators of sexual violence held accountable? Or is justice languishing in court rooms and police stations, while women continue to fear for their safety every time they step out of their homes?

This violence, humiliation and degradation continue daily for women and girls in public spaces in New Delhi. At the market, on trains, in shopping centres, on the sidewalk, it is common practice for men, young and old, to make lewd gestures at women or sexually abusive comments or to intentionally brush up against them or grope them in public. It does not matter what their economic or

educational level is. Typically, no one who sees these things happening intervenes. The ordinariness of this is shocking and frightening.

The sad truth is that the political sphere is just one of the many places in India that women find as dangerous. More than 17 per cent of working women in India have experienced some form of sexual harassment at workplace. 63 per cent of women in Delhi survey were found to be afraid to go out after dark alone and 21 per cent stated that they do not go out at all. 95 per cent of women and girls feel unsafe from unwanted sexual harassment in public spaces in the city of Delhi.

Violence against women is not women's issue but it is everyone's issue. Think about it. If half of our population does not feel safe to participate in society or is too battered to go to work, how can you truly build a strong economy?

Protests continue to ensure that recent legislative recommendations for stricter sexual violence laws are not diluted or misinterpreted in a hastily drafted ordinance. Now, it is time for serious introspection for each one of us. We have to shift our antiquated notions about men's and women's role. We need to begin this with our youth in schools and at home to debunk stereotypes that drive gender inequality and violence. We must groom our next generation to value non-violence, respect and equality in our everyday lives.

A rape survivor must have rapid access to the health clinic that can administer emergency medical care including treatment to prevent HIV, unintended pregnancies and counselling. A woman who is beaten by her husband must have someplace to go with her children to enjoy safety, sanity and shelter.

A victim of violence must have confidence that when she files a police complaint, she will receive justice and the perpetrator will be punished.

The action plan of the Government of India should be around the following four P's: protection of human rights, prosecution of offenders, prevention of violence and provision of services to the survivors.

I once again convey my thanks for giving me an opportunity to speak on this burning topic.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Thank you Chairman Sir, today, I stand here in this citadel of democracy and justice in an appeal to the collective consciousness of our nation to respect womanhood. Women when they are in utero - to stop foeticide, women; when they are less than one year of age - to stop infanticide, women; when they are in their youth - to prevent maternal mortality, to prevent rape on them, to prevent domestic violence on them, to prevent sexual harassment on them in their workplaces, harassment on the road, and harassment everywhere. I appeal to the collective consciousness of this nation also to respect women in every aspect of their life.

Had Agatha Christie been alive, she would have written a book "Mystery of the missing girls". It is really shocking. Sometimes in dismay and disbelief, I pinch myself "do I breathe the same air as men do and do I tread the glades as men do in this country" because I am still alive. Women are not allowed to be born in this country. The United Nations has sounded an alarm. They have declared emergency on India.

The Assistant Secretary General of the United Nations has said that the sharply declining child sex-ratio in India has reached an emergency proportion and an urgent action has to be taken. The sex ratio in 1961 is 976. Now, it stands at 918. Delhi has sex ratio in 800s. In Punjab, it is 846. It is 834 in Harayana. It is really shocking that a little child, a little girl sleeping peacefully in her mother's womb is murdered by doctors. These erring doctors should be sent to jail and if found guilty, they really should be hanged.

I completely agree with my sister here who has spoken about it. The sexratio and gender biased sex selection has really reached to such an extent that the falling numbers can be attributed to many reasons which include dowry as already has been discussed. It is tragically ironic that the one who creates life, that is the mother, is not allowed to be born or not allowed to live. Out of the 12 million girl children born every year in the country, one million do not reach their first birth day. They are killed even before they reach one year of their age. Our State

Government has taken positive steps towards it. Our hon. Chief Minister Kumari Mamata Banerjee has respected the reservation for women in the highest body of Lok Sabha by fielding nearly 30 per cent women candidates. Here, nearly 30 per cent of our elected Lok Sabha Members are women. I am proud of her. I am proud of my Party.

She has also started the Kanyashree Scheme by which she is helping the girl children to study. Kanyashree-II Scheme says that at the age of 18 if she remains unmarried and is studying, she gets Rs.25,000. It not only addresses the issue of education, it not only addresses the issue of empowerment because at the age of 18, if she is unmarried, she remains to become a healthy mother and a healthy child is born. That addresses the issue of the Millennium Development Goal-V where she is not killed during child birth.

The hon. Chief Minister started girls' hostel in the State. She has recruited women police. She started courts to treat women's issue. So, I would again request that we have enough laws let us implement those. Today's subject is: 'Need to have stringent legislation to check increasing atrocities against women and children in the country'. But we have laws. We have laws against Domestic Violence; we have laws against sexual harassment; we have the Vishakha Judgment and the guidelines. It is not stopping from the happenings that are taking place here.

I would like to, through this deep concern, request this august House that we have to sensitise our citizens – men and women equally. Women are equally to blame. They should have enough courage to stand on their feet and fight the world and then live and let live. I would say this. Though there are stringent laws, yet the implementation has to be stricter. Strict vigilance has to be kept. Rape rehabilitation has to be given a very strict thought and awareness created. I am sorry to say that this Government has only had Rs.100 crore in the Budget for awareness. It is not enough. The citizens have to be made aware. Women should be respected. They are half of our total population. Though they are doing 85 per

cent of the work in the country, yet they hold only 15 per cent of assets in the country.

We are three sisters. When somebody would ask my father: "Are you not sad that you have only three daughters?" He would say: "They are my sons; they are my moon; they are my word; they are my tune; they are my future; and they are my assets." I know of another hon. lady Member of the House, who is a single child and whose father feels the same way. We need more fathers this way – fathers who are proud of their girl child, bring them up; properly give them education so that they are empowered. Our scriptures do not contradict this vision; otherwise you would not see Draupadi in such an empowered position.

Our country has had many women who have led the nation to war. So, I would request, through your honour, to say that this is the right time. It is the best of times because we have the legislation and we are allotting two hours time in the Lok Sabha for discussion. It is also the worst of time because we have the Nirbhaya type cases. It is an era of regression because we have the Khap Panchayat, because we have 'honour killings'. A girl cannot love her own choice and she is killed by the decisions taken by elders. This has to be done away with. The hon. Minister is here. I would request that 'honour killings' must stop. This is an era of resilience because we have women here who are speaking against this social evil. So, I would request that awareness be created in the homes because we know that more than 97 per cent of the cases are in the house. It is the father, very sadly, it is the uncle; it is the cousin; it is the brother. It is somebody in the house who is raping the girl. And when the girl child is ashamed to talk about it in public, this man gets so much of encouragement that he goes out and does it to other women. So, domestic violence and what is happening inside the house should be looked at. It is not possible to have surveillance cameras in crores of houses that we have. It is the mindset that has to be changed. I would request that proper implementation of the legislation be done. Also, advertisements should be put everywhere. Doordarshan and All India Radio reach far and wide. Talks

should be broadcast on these media so that people can hear and can start respecting women as they should be.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, today in the morning when I was sitting here a colleague of mine asked me if I was present yesterday when this discussion was started by Mr. P. Karunakaran. I said that when my party's time would come I would speak because that is how the House functions. And very rightly, in today's agenda only Mr. Karunakaran's name figures though many of us had given notices to participate in this discussion. It was a lottery and that is how it was mentioned yesterday.

I would start by citing what a woman is sometimes described in our culture in Odisha, as *Duhita – dui kulaku hita, dui kulaku pitta*. It means that it depends on the girl child or the woman whether she will be beneficiary to both the families, or she becomes a contention of both the families. That is how the society's mindset is that everything depends on the woman or the girl or the lady who gets married into another family.

At the same time there is a Sanskrit saying which goes as follows: "Vina ashraya na vartanti, vanita, kavita, lata." It means that the womenfolk, poetry, and the creeper, cannot survive without any support; as if that is how the society has always lived. That is the crux of the problem. If I am a poet, I write poetry for myself and not for others. Others may appreciate it, others may denounce it, but I do it for myself. Many people have an impression that a creeper can be in full blossom only if it is on a tree. But creepers do grow in virgin forests without depending on huge trunks or trees.

So, why should the womenfolk of our society be dependent on their fathers, on their brothers, on their sons or on their husbands? That is the reason why Dr. Kakoli Ghosh Dastidar said that the single character which shines in this darkness is Yagyaseni or Draupadi. But tell me how many of us fathers have named our daughters as Yagyaseni? Very few! Why is it so? That needs to be explored.

As my friend was saying, we have a number of laws in the country for protection of the womenfolk of the country. The thing that is lacking today, or has been lacking for the last many years, is order. It is law and order both that are

important. We have ample laws before us and I may, if I am allowed to, delve further into this. I will mention the type of clauses we have to protect womenfolk of our country. What is lacking today in our society? The defects that we have in our society is the order of the day.

A society which respects women and takes care of the children is regarded as a civilised society. In every age, attempts have been made to bring in civility and thereby society has developed. All scriptures have propounded to respect women and take care of the children. Those who disrespect women and are cruel to children are termed as demons. It is the regressive male mindset that is harming the society. In ancient times, women were held in high esteem. Volumes have been written about the status of our women and their heroic deeds from the Vedic period to the modern times but because of social, political and economic changes women lost their status and have been relegated to the background. Evil traditions and customs came in which enslaved women and tied them to the boundaries of four walls of the house.

The meaning of crime against women and children is direct or indirect physical or mental crime to women and children. Crimes which are direct and specific against women in which women are victims are characterised as crimes against women and so is the case for the children. First, let us understand the concept of violence against women. Violence is known as abuse and includes any sort of physical aggression or misbehaviour. The United Nations defined violence against women in 1993. ... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. The time is up.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Sir, let him speak.

HON. CHAIRPERSON: I have just mentioned.

DR. M. THAMBIDURAI : This is an important subject on which many Members would like to speak. We cannot restrict.

HON. CHAIRPERSON: I have done my duty. I have told him. It is up to him. No problem, let him continue.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, we have some important business tomorrow also. Tomorrow, we also have the Private Members' Business. So, if some Members are in a mood to speak today, let them speak.

HON. CHAIRPERSON: The decision is not taken by me. The decision is taken by somebody else. I only follow it.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I understand your predicament. I conclude my speech here. Thank you.

माननीय सभापति : मैंने तो केवल आपको पॉइंट आउट किया था। आप बोलें।

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (DR. NAJMA A. HEPTULLA): Sir, a bold man is speaking; let him speak.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, Constitutional provisions are there. Article 14 confers on men and women equal rights; Article 15 prohibits discrimination; Article 16 provides equality; Article 42 directs the States; and there are legal provisions also.

Under the Factories Act, 1948, for which some amendments have been moved today, women cannot be forced to work beyond eight hours and it prohibits employment of women except between 6 a.m. and 7 p.m. There are many number of laws to protect the interests of women. The National Commission for Women Act came into operation in 1990; the Protection of Human Rights Act in 1993; and the Protection of Women from Domestic Violence Act in 2005. The Protection of Women against Sexual Harassment at Workplace has been passed in the Lok Sabha on the 3rd September, 2012.

When we talk of crime against women, it is classified into two broad categories. They are crimes under IPC and crimes under special and local laws. Under the Indian Penal Code, of course, there are a number of words which describe rape in section 376; kidnapping and abduction from section 363 until section 373. Dowry death is described under Section 302 and 304 of IPC, torture under Section 498 (a) of IPC, molestation under Section 354 of IPC, sexual harassment under Section 509 of IPC, and 'crime under special and local law' is

described under Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956. That has registered a decrease. Cases under Dowry (Prohibition) Act have increased by 27.7 per cent. There has been a sharp decline of cases under Indecent Representation of Women Act; one case has been registered under Sati (Prevention) Act of 1987, in Jammu and Kashmir in 2011.

There is the Verma Committee Report; the suggestion of the Committee has been placed by the Government and has been accepted by the House.

Here, I would say that after the Nirbhaya ghastly incident occurred, which woke up the conscience of the nation, the culprits are yet to be punished. More cases are coming to light. Therefore, my question is, whether we are really moving ahead with times or we are forming the largest regressive society. These are the laws that we have, yet incidents are getting multiplied year after year.

Seventeen years back, the Supreme Court of India equipped the women of this country with Vishaka guidelines, protecting their dignity at the workplace, but their own house is not free of misconduct. In 2013, a blog post by a young law intern gave details of alleged sexual misconduct of a retired Judge of the Supreme Court. The apex Court abdicated its responsibility – this is the place where I can say this and I cannot say this outside – and lost an opportunity to raise the bar for compliance with the Vishaka guidelines, it had set for others, when it concluded: "No further action is required by the Court".

The intern had asked the Court to take bold steps, as a moral responsibility to prevent other interns from facing similar humiliation in future. But the Court did not go the extra mile, and no action has been taken.

A former Additional District and Sessions Judge in Gwalior had filed a sexual harassment complaint against a Judge of the Madhya Pradesh High Court. Citizens of this country will watch keenly, what steps the Judiciary is taking in this regard. ... (*Interruptions*) I need another three minutes.

Crimes against women have been on the rise, despite concerns expressed by the public, by the media, by the politicians and by social workers.

HON. CHAIRPERSON: Can I call the next speaker now?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I need another two minutes; I have not dealt with children so far. Whatever I spoke related to women-folk.

For children, I would say that there is a need to take care. There are certain suggestions which I wanted to mention; I am not going into the National Crime Records Bureau, which is the document which the Home Ministry has given; that gives a lot of information on what we should do. This, of course, is not only the concern of the Ministry of Social Justice and Empowerment. It is the collective wisdom of this House, of the Government also to look into.

Crime against children includes violence, sexual violence and abuse. This has increased, year after year. The Ministry of Home Affairs has said that one lakh children go missing in India every year. In February 2013, a Supreme Court Bench had remarked and I quote: "Nobody seems to care about missing children".

Before I conclude, I would say here that there is a need to have more number of fast track courts to try this type of abuse and violence. When the incidents of rape is published in prominence in the first page or as 'breaking news' in different audio-visual media, similarly, the prosecution also needs to be published and telecast; and the pronouncements of judgments should also be published in the first page and it should be 'breaking news'; then only it can act as a deterrent against the culprits.

Sir, I would conclude by saying that there is a flaw in the law and that is why this type of crime is not decreasing. Conviction rate is very low. The definition of rape is such that it is not only offending but humiliating to describe it again and again in course of investigation and prosecution. There are so many laws prevalent in our country but very few orders.

Sir, my concluding remarks would be, but only legislation and law enforcement agencies cannot prevent the incident of crime against women and children. There is a need for social awakening and change in the attitude of masses so that due respect and equal status is given to women. This awakening

can come by education. Real change in our country begins and ends with social pressure. This is the force that must be harnessed to true change. Mindsets are impossible to legislate for or against but can be altered. The prevalent repressive approach of the Government of protective chauvinism and punitive laws will not keep women safe. It merely reduces women to the status of incompetence and traduces all men as potential criminals.

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Thank you, hon. Chairperson, for giving me the opportunity to speak on this burning issue of atrocities, against women.

I think the biggest atrocity against a woman in India today is that she does not have the choice to live, as the hon. Member from TMC said earlier. We are in a country where women need the permission of society to be born. The female sex ratio in India according to the census of 2011 is 944 to 1000 boys, or if you take the child sex ratio it is 918, as the hon. Member from TMC said earlier. The figure of 944 means 80 million missing daughters of India, daughters who would grow up to be living, breathing young women, daughters who were never allowed to exist. 80 million women who were never given a chance to come into this world and experience its joys, face its trials and tribulations, go to school, college, get education and live a life.

If we are serious about tackling atrocities against women, the first step in my opinion is to let them live. As a nation, the first question we must ask ourselves is how do we ensure that women can breathe. The next logical step then is how do we ensure that they can breathe freely. Atrocities against women include sexual assault, molestation, street sexual harassment, trafficking and the most saddening of all crimes, female foeticide and infanticide. It also includes the treatment meted out to women during and after conflict situations, riot victims left without support, war widows left without compensation, women who have faced the worst trauma are the ones who were left without any psychological and financial help. I do not think there is anyone in this House who doubts the need to address the issue of atrocities against women. There is an urgent need to curb these crimes and ensure that the strictest action is taken against the perpetrators.

My friends in the Opposition, who have ruled India for the last 10 years, would recall all the atrocities committed during those days against women. I do not hold you personally responsible. I am just recounting those ten years; 2,24,549 rapes, 2,73,341 abductions of women, 79,404 dowry deaths....

(Interruptions) Madam, we did not interrupt you. Please, may I finish? 34,974 women were trafficked. They are big numbers and each one of them representing a woman or a girl who has suffered. That suffering, that pain that every single one of them has undergone cannot be fully expressed even by these horrific numbers. There are many riots that have taken place in the country. My heart goes out to them, but mostly to the women, the widows of 1984, the women who were left widowed, left homeless and left jobless. Orphaned children... (Interruptions) I said all the women, you may please sit down. This is my maiden speech, let me speak and then you can give a notice and speak... (Interruptions) Kindly let me finish. You may have the courtesy to allow me to finish my speech. I did not take the name of the Congress... (Interruptions) If the shoe fits, so be it. I did not mention the name of the Congress. Kindly let me finish... (Interruptions) By the way, I spoke about all the riot victims and the women.

There were so many orphaned children. Women were left homeless and widowed, but till today compensations have not been adequately paid. If you go to Trilok Vihar you will see in what abysmal conditions they live and the children were never given any proper psychological counseling and as a result the trauma they went through made them resort to drug addiction. These women were wives of people who were contractors and businessmen. They worked as peons, they worked as *malis* and they are in a terrible condition right now. Nobody has bothered to rehabilitate them. The story of 1984 is about these women who one after the other, generation after generation have been left to fend for themselves. They are the forgotten widows of our country.

What about the Kashmiri Pundit women? Nobody really cared about those women. What happened to their children? They lived in refugee camps. Did anybody try to rehabilitate them? I say 'anybody'. I do not necessarily say 'you', 'he' or 'me'. Did anybody try to rehabilitate these women? Look at the sufferings they have gone through. I do not want to generalize about women. I want to talk about women as a whole. We all know what women in India suffer. These are

particular things which need attention. This is the first time I am speaking in Parliament and as an Indian citizen, as a resident of Punjab I need to bring this to the attention of the House.

I know all of you have been very passionate about finding solutions, especially my friends in the Opposition, to women's problems. They ruled India for 60 years. In those 60 years ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप बहुत बोल चुकी हैं। कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती किरण खेर: आप इसके बाद बोलिएगा। आप जब बोल रही थीं तो मैंने बीच में कुछ नहीं बोला।...(व्यवधान) आप इसके बाद बोल लीजिएगा।...(व्यवधान) मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया।...(व्यवधान) सभापित महोदय: आप बहत बोली है, लगातार बोलती रही हैं। आपको सब ने एप्रीशिएट किया।

...(व्यवधान)

श्रीमती किरण खेर: सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहती हूं कि इन लोगों ने इस देश में 60 साल राज किया। 60 साल में अभी तक अगर ग्रास रूट लेवल पर कोई ऐसी नीतियां बनी होतीं, जिससे हमारे लोगों का माइंडसेट चेंज होता, जैसा आप बोलते हैं, वह आ गया होता। हमारी जेनरेशन ऑफटर जेनरेशन एन्लाइटन होती तो आज हम इस स्थिति में न होते,...(व्यवधान) कि हम औरत और बच्चों के लिए सुरक्षा मांग रहे होते। इन्होंने इसके बारे में 60 साल तक कुछ नहीं किया। मुझे बहुत खेद से कहना पड़ता है।...(व्यवधान)

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं, आपने कहा कि आप क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स लाए हैं, फोर द सेफ्टी ऑफ वूमैन। ये भूल गए कि उस वक्त निर्भया कांड के बाद पूरा देश सड़कों पर उतरा हुआ था, बीजेपी के प्रेशर के बाद, नहीं तो जैसा ट्रेक रिकार्ड था, ये वैसा ही चलता जाता। वर्कप्लेस सेक्सुअल हासमेंट एक्ट में इनको नौ साल लग गए, जब कि 16 साल से विशाखा गाइडलाइंस पब्लिक डोमेन में उपस्थित थी। उस वक्त ये कहां थे, जो आज इतनी सारी स्पीचीज़ हो रही हैं।

Mr. Chairman, Sir, NDA has been in power only for ten weeks. In the Union Budget that has just been passed, the NDA Government has earmarked a sum of Rs. 100 crore for the *Beti Bachao*, *Beti Padhao Yojana* to improve the efficiency in the delivery of welfare services meant for women. The Government has announced a separate chapter on gender mainstreaming in the school

curriculum so that the mindset changes which is so urgently required. Funds have been set aside for schemes for safety of women in large cities on public transport. The Cabinet has just approved the new Juvenile Justice Bill to ensure that youngsters in the age group of 16 to 18 who commit heinous crimes like rape are not let off scot free. The Government has also requested States to increase the number of women in the police force considerably. Let us welcome these steps as responsible legislators instead of opposing for the sake of opposition.

Sir, I would like to conclude by saying that the debate on legislation alone cannot solve the problems that women face in our country. Discrimination against women, right from the moment a girl child is born, is deep rooted in our society. This is my appeal on half of the unempowered daughters, mothers and sisters of this country. What can we do today to ensure that five years from now every woman in India can write her own destiny?

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Mr. Chairman Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to participate in this discussion.

Long time back, people approached Lord Vishnu, and prayed him saying "Oh, Lord, you are in heaven and staying far away from us. Please tell us a way on how to redress our grievances." The Lord then smiled and assured them a solution by saying: "You need not worry as I shall send you a person to each one of your houses to share love, affection and to look after all your problems." He fulfilled the promise by creating the most loveable person in the Universe who is none other than the mother.

In this context, I bring to the attention of this august House a popular adage in Sanskrit which says: यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता। Such is the importance given to women by our society. We all need to honour and respect women in all aspects as women play a pivotal role in all walks of our life as mother, wife, sister and daughter. However, in reality, we still find that women are not being respected as they are to be which is a very sad state of affairs in our country.

Women in India constitute nearly 50 per cent of its population. The position of Indian women has been subject to many great changes over the past few decades. Indian women in the past enjoyed an exalted position in society. They excelled in various spheres of life and enjoyed every kind of liberty to develop themselves socially, morally and intellectually. However, the position did not remain the same for long. She was deprived of a wide measure of liberty and was confined within the four walls of the house.

In modern India, women have held high offices including that of the President, Prime Minister, Speaker of Lok Sabha and Leader of the Opposition. However, in spite of their great achievements in our country, women still continue to face atrocities such as rape, dowry killings, acid throwing, etc.

We must remember that women have a vital role to play in the modern society for nation-building activities. Her in-born honesty, sincerity and earnestness shall breed a nation of strong and dedicated men. Indeed, she has to become a source of supreme inspiration to man on his onward march.

The preference for boys is also evident in the gender gap in the literacy rate in 2011 census which shows that 82 per cent of males and 65 per cent of females are literate. The difference of 17 per cent indicates that many Indian parents still believe that educating the sons takes precedence over daughters while allocating family resources.

Much of the violence against Indian women is in the form of domestic violence, dowry deaths, acid attacks, rape, abduction and cruelty by husband and in-laws.

Although several enactments have been made in Parliament, nothing has been strongly implemented till date. There have been instances where women or girl children, after being raped by perpetrators, were scared of going to the police station to lodge a complaint against them due to societal stigma and also procedural wranglings adopted there by men police force.

I would suggest the Government to recruit more women force in every police station of the country so that the victims can meet them without any hesitation to redress their grievances.

Finally, to uphold the tradition of our Indian culture, I would earnestly appeal to all my sisters, daughters and girls to dress dignifiedly. I would also appeal to all my brethren to treat every girl, lady and woman as their own family member which will be a great tribute to our Mother India. We all know that India has a special place in the comity of nations when it comes to culture and tradition.

I would urge upon the Government to implement the Criminal Law Act, 2013 in letter and spirit; and strict action should be taken against the perpetrators and rapists as per the law so that atrocities against women, including rape can be eradicated. ... (*Interruptions*)

श्रीमती रंजीत रंजन: क्या इनके पास बोलने के लिए कोई लाइन नहीं हैं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I entirely agree with you. It should not have happened.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please take your seats. I will look into it. It is a very serious matter. I entirely agree with you.

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): He should be asked to leave the House.... (*Interruptions*) It should be expunged.

HON. CHAIRPERSON: Just hold on. The Chair will take the decision.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: It is not proper.

... (Interruptions)

श्री गोडम नगेश (आदिलाबाद): सभापित महोदय, आपने मुझे 193 के तहत महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने से संबंधित विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद। ... (व्यवधान) हमारे देश में महिलाओं और बच्चों पर अट्रॉसिटिज हर रोज होते हैं, इसके बारे में बात करने से मन दुखी होता है। यह दुख की बात होते हुए भी हमें यहां सोचना होगा। ... (व्यवधान) यह दुख की बात है। ऐसी जो घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं देश में नहीं घटनी चाहिए। इस संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग हर रोज न्यूज पेपर देखें और टी.वी. देखें। देश में शहरों से ले कर गांवों तक, हर जगह ऐसी घटनाएं घटती हैं। आज देश में महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। आप सभी जानते हैं कि पाठशाला में बच्चे जाते हैं। वे वहां पर भी सुरक्षित नहीं हैं। कार्यालय में उद्योगी जाते हैं, कर्मचारी जाते हैं तो महिला उद्योगी वहां पर सुरक्षित नहीं हैं। वे कॉलेजे जाएं या बाजार जाएं, वे कहीं पर भी जाएं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अब हमें सरकार की ओर आंकड़े दिखाए जाते हैं कि क्राइम रेट हर साल कितनी बढ़ रही हैं। आप सभी राजधानी दिल्ली की क्राइम रेट जानते हैं।

16.00 hrs.

यहां जो इंसीडेंट्स होते हैं उनमें जो दोषी पाए जाते हैं, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारे यहां इन्वैस्टीगेशन जल्दी नहीं होते जिसके कारण दोषी लोगों को सजा नहीं मिल पाती। वे रोज बाजार में घूमते रहते हैं। मेरी सरकार से अपील है कि इन्वैस्टीगेशन जल्दी हो। जो केसेज पैंडिंग हैं, उन्हें तुरंत निपटाने के बारे में सरकार ध्यान दे तािक दोषी व्यक्तियों को सजा मिल सके। मैं यह नहीं मानता कि हमारे देश में दोषी व्यक्तियों को पिनशमेंट देने के लिए एक्ट्स नहीं हैं। बहुत सारे एक्ट्स हैं लेकिन निर्णय जल्दी नहीं होने के कारण ऐसे होता है। हमारे यहां सीआरपीसी 125, इंडियन पीनल कोड 498 वूमैन हैरासमेंट्स के बारे में है। इंडियन पीनल कोड 376 (ए से के) पर इस सदन में भी कई बार चर्चा हुई लेकिन हम उसे एक्सटैंड करते गए। वैसे ही देश में डाउरी प्रोहीबिशन एक्ट भी है। डोमैस्टिक वॉयलैंस एक्ट और अभी निर्भया एक्ट भी बना है। इन सब एक्ट्स के होते हुए भी प्रतिदिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं।

16.03 hrs.

(Shri Pralhad Joshi in the Chair)

मैं ऐसे केसेज कम करने के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, जहां ज्यादा गैदिरंग होती है या जो दूर के प्रांत हैं, वहां पुलिस पैट्रोलिंग ज्यादा हो। महिला पुलिस स्टेशन ज्यादा हों। कॉलेज और कार्यालयों में भी काउंसिलंग की व्यवस्था की जाए। आजकल सिनेमा में कुछ ऐसे सीन्स होते हैं। उन पर भी ध्यान दिया जाए।

मैं सदन का ज्यादा वक्त न लेते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सीआरपीसी 125, आईपीसी 498 - वूमैन हैरासमेंट, आईपीसी 376 (ए से के), डाउरी प्रोहीबिशन एक्ट को मजबूत किया जाए। यहां

और सदस्यों ने भी बोलना है, इसलिए समय की पाबंदी है। मेरी रिक्वैस्ट है कि इन एक्ट्स, ईशूज को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाए जिससे वहां थॉरो डिस्कशन हो और इन क्राइम्स में कमी लाई जा सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Hon. Chairman, Sir, at the outset, I would like to thank you for giving me this opportunity in this august House to speak on atrocities on women and children in this country.

India is a holy land and we have been worshipping the Goddess in eight forms – for prosperity, for peace and for livelihood. Where women are being worshipped, there the prosperity prevails. That is what we learnt from scriptures. Today in this modern world, unfortunately, we are still living in a world where women are assaulted, defamed, ill-treated and molested. Today, we have got many laws, many sections, IPC sections, criminal proceedings against many people who have committed rapes on women; who have assaulted women; and who have committed lot of atrocities against women. But all these Acts and laws could not prevent the women being harassed even till date.

There are two types of harassment that the women have been facing. One is physical and the other is mental harassment which lot of women have been facing in today's world. Today, woman has emerged as a very strong power and has been participating in this democratic country as one of the lawmakers of this country. Not only that, today many women have been selected as IAS, IPS officers who are in the highest form of bureaucracy and excelled in all spheres of life. But still unfortunately even though we have been sharing the prosperity of the nation today, women are not being given the respect which they need to be given. Women have been playing many roles in life – as a mother, as a wife, and as responsible citizens of this country. But still today I stand in this august House as one of the 61 women Parliamentarians of this House in lot of pain, agony and humiliation.

Of late, I would like to draw my own example which happened in my own State, and which happened to me, as a Parliamentarian. If it can happen to me, it can happen to any woman in this country. I was being exposed to a lot of defaming and derogatory statements in the local media of Andhra Pradesh. It is an agony on my part to state that some leaders for their political purposes have used

certain women also to pass derogatory statements on women itself. I also express with a lot of humiliation that vulgar comments and derogatory statements were published in the social media today, which gave me a lot of mental harassment and which has really defamed me and put me in shame in the public society today. This I really took it very seriously because as a lawmaker of this country, sitting in Parliament, which is the highest court of esteem in the country, if I am exposed to such problem, definitely it can happen to any woman in India. So, I have filed a criminal complaint; I have brought it to the notice of the Chair; and today, I stand here, begging for justice from the Government, and demand justice from my fellow Parliamentarians. I request all of you to stand by me at this hour.

I would also like to bring to the notice of the Chair the incident that has happened at Gwalior. I have also been a bureaucrat before I entered politics. Women, who are working in the Government, are also subjected to a lot of harassment by the senior officers. Many a time, many officers cannot come forward to tell the agony and pain which they have been facing. A woman Judge has resigned from her post. She is vulnerable to such an assault. She is the Chairperson of the Women's Rights Commission. Women are treated badly irrespective of the class, creed, and even the position they are holding today. Not only the lower class of people, or women in any profession or any walk of life are very vulnerable towards such bad comments today. Hence, I would request the Government, irrespective of whatever it is, to take stringent action upon such people who are resorting to such atrocities.

Secondly, I also shamefully state that Andhra Pradesh today ranks highest in the rate of atrocities against women that are happening in the country. For the past two years, crimes against women have risen to 97 per cent in our country which is a very shameful state of affairs. I hope the Government, which has just come into power recently, will definitely take strong steps for preventing such atrocities. Mainly the change has to come – as my fellow colleagues have said – from inside, the change has to come from the men. The change has to be promoted

through the local media. Whatever cases are filed today, many people come out on bail, no charge sheets are filed and they are not punished. So, the Government has to give strict instructions to the concerned authorities so that the registered cases are solved immediately through Fast Track Courts and the culprits, who have committed such atrocities, are punished severely.

Sir, the most powerful weapon today is the social media. So, the social media should always publish stories which are of importance and which enhance the value of women, not defame women. So, a law should also be brought to punish people who publish such derogatory articles in the social media against women, against parliamentarians and against children. They are writing many vulgar articles on the websites. I would request the Government to take strict action against them.

Finally I wish sex balance is maintained so that in the coming years we will play a very prominent role in the society. I also wish that in the 16th Lok Sabha we would be able to pass the Constitution (Amendment) Bill providing for 33 per cent reservation to women in Parliament and State Assemblies so that we will also be a part of framing our laws which will shape the future of our country.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Mr. Chairman, Sir, I stand here on behalf of my party NCP to participate in this debate under rule 193 on the need to have stringent legislation to check increasing atrocities against women and children in the country. I wish more men spoke in this debate, including from my party, because they are the real perpetrators of atrocities against women. But I appreciate Shri Karunakaran for initiating this debate on such an important subject.

At the same time, it has been a very good debate so far. But I am totally disappointed from the speech made by one of our senior members who has just come to Lok Sabha for the first time. I would like to flag it. Normally I do not criticize anybody but she took the entire debate, which was so serious, to UPA versus NDA battle. I think this issue is not about UPA or NDA, but it is an issue about livelihood, about citizens who are asking for equal rights in this country. Unfortunately she is not here now. She is an elderly woman. She is probably of my mother's age.

Sir, I come from a family which is very powerful with extremely strong women even if they are not in positions of power. I see my young sister Shrimati Poonam Mahajan sitting here. We come from the State of Maharashtra which has a great legacy of women power and equal rights to women, starting from Chatrapati Shivaji, who was a great warrior, to Jyotibha Phule, who was a great reformist, to Dr. Baba Saheb Ambedkar. This is the culture that we come from and we represent. Sahu Maharaj and Ambedkar are all great leaders who have done a lot of work in social reforms.

I was listening to Shrimati Geetha talking about an incident which has just happened to her. I am proud about my friends from the AIADMK who take Amma's name every day. Everybody laughs about it. My point is, if the UPA members can take their leader's name, if the NDA members can take the name of their leader, why can they not take the name of their leader even if she is a woman? It makes me so proud as a woman that in this entire country, where

women are considered as number two in position, there are major States, including Uttar Pradesh, which has had a woman Chief Minister. I think the best part is, last week when there was the issue of defaming Amma's name on the Sri Lankan Defence Ministry's website, there were 37 men who stood here and defended a woman. This is the sense of this House.

So, let us not take it to petty politics. Atrocities committed against women and children are very serious issues. It is not a political issue. I have a lot of friends in the BJP with whom I have worked closely for several years on education, healthcare etc. There is Shri Anurag Thakur sitting there with whom I have worked closely even in the last Lok Sabha. When it comes to malnutrition, when it comes to healthcare, I do not think anybody has a different view on it. I am so happy that Maneka *ji* is sitting here. She has brought out a very important issue. All of us may have differences whether in the Juvenile Act, the age should be 16 or 18. I think we really need to debate this because there are a lot of views from different people. I think a lot of NGOs, who work in this field, have reached out to her as well. But here the discussion is about humanity. We have made so many legislations and none of our lives has changed by any legislation, if you really ask me.

Today we have dowry deaths, across party. To give you an example of my State where I come from, Konkan is an area which is very developed. A lot of my friends from Shiv Sena come from there. We are so proud to say that there is no concept of dowry in the entire Konkan area in Maharashtra. But, if you go to Marathwada, it is exactly the contrast situation. Unless there is dowry, there is no marriage in that area. So, these are all social issues and only legislations are not going to make change. I think, Kakoli Ghosh talked about Punjab. My friend, who is a Minister here now in the Union Cabinet, has worked very hard to save every girl child. I actually take offence when people say 'girl child'. You do not say 'boy child'. I think these are all the issues which we really need to take up and the sense of the entire House is that we want to fight against this. Legislations are

made. I think the Madhya Pradesh Government has started a girl child programme. It is a great intervention.

Maharashtra has shown great improvement. We were 846 about three years ago; today we are 915. We have shown a huge development. It is only due to interventions of all the parties. Every party in Maharashtra has risen over this entire political game and worked for social causes. I would like to quote the saying of Dr. Ambedkar: "A reformer who defies society is much more courageous than a politician who defies a Government." So, here today the sense of the House is this. I think, legislations will be made whether it is dowry, whether it is our young children, we must make them, but sensitization of all our Members is essential.

I will give you a small example. We all work here as women. As Geetha said, we are 61 of us here. There are little comments. If a woman aggressively talks, my male colleagues only tell me: "She is a bit over smart and an aggressive woman." What is wrong in it? Can only men be aggressive? If a woman asks for her right, why cannot she? She is looked at badly and it is said: "Oh my God, his wife is a little aggressive. She is not very nice." If she is a meek, sweet lady because the Indian ethos is, तुम अच्छी मां बनो, भूखी रहो और दुःखी रहो। That is the real image of an Indian mother. It is because, when there is enough food in the house, every Indian mother will first feed her entire family. If there is anything left, she will get it. That is why 75 per cent women of this country are anaemic today. That is why, my friend Geetha also was asking for rights. What did she say while asking them? She said, I beg for it. That is what we have to change. Geeta, it is not to be begged; you have to demand your rights. That is the change we have to bring. I think, the sense of this House is very positive. We would even urge Maneka ji and her entire Government – I can talk on behalf of all of us sitting here -that in any social causes, we would be proud to be part of you as long as you promise us that you will not get a communal angle as your other colleagues got.

Let us all rise to the occasion and give dignity to every citizen – man, woman, child – of this country.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, आज महिला उत्पीड़न के ऊपर जो ज्वलंत मुद्दा बोलने के लिए आया है उस पर हमारी बहुत सारी महिलाओं ने बोला है और हम समझते हैं कि हमारे देश में महिलाओं के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और यह चुनौती शुरु से ही है। हम देखते हैं कि घर में जब बच्ची जन्म भी नहीं लेती है, तो गर्भ में ही गर्भपात करने की समस्या सामने आती है और अगर कानून से उसे रोकने की कोशिश भी की जाती है तो भी लोग चोरी-छिपे गर्भपात करवाते हैं। घर में जन्म लेकर जो बिछया आती है उसके साथ वहीं से भेदभाव शुरु हो जाता है। हम देखते हैं कि लड़के को किस तरह का प्रेम-प्यार मिलता है और लड़कियों को उसके अनुरूप में उल्टा ही व्यवहार मिलता है। लड़कों के पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है लेकिन लड़कियों को घर के काम में लगाया जाता है। वहीं से मां-बाप के लिए यह एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है और वहीं से लड़कियों का उत्पीड़न शुरु हो जाता है। आगे चलकर महिला कमजोर होती चली जाती है, अपने अधिकार के प्रति वह जागरुक नहीं हो पाती है और वह समझती है कि उसकी दुनिया इतने में ही सीमित है। वह समझती है कि घर की चाहरदीवारी के अंदर रह कर ही आदेश का पालन करना है। उसे जहां जाना है या जो काम करना है, वह उसे घर के पुरुष से पूछ कर रही करना है चाहे वह पिता के रूप में पुरुष हो या भाई के रूप में पुरुष हो। महिला अपनी शक्ति को कम आंकती है, जबिक उसमें इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि वह कहीं भी किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम है। अगर महिला को घर से प्रोत्साहित किया जाए, तो हमारी महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। निर्भया कांड इतना फेमस हुआ और लोगों में हिम्मत आई। लोगों ने इस दुष्कर्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। हम समझते हैं कि इसकी निगरानी के लिए जो भी केस किए गए, जो भी थाना-पुलिस किया गया, वह थाना-पुलिस में जलील होने के अलावा कोई उसको संरक्षण और सुरक्षा नहीं मिलती। जो केस होते हैं, उस केस पर लोगों का ध्यान नहीं रहता, लगता है कि यह घटना घटती रहती है और सहने की शक्ति लोगों में हो और वे सहते रहते हैं। यह स्थिति हम देखते हैं कि समाज में पुरुष वर्ग है, अगर समाज में पुरुष वर्ग हिम्मत से आगे बढ़ने का दावा करे और कहीं भी गांव-मुहल्ले में इस तरह का दुष्कर्म हो तो उसका सामना करने के लिए आगे आए, तो आज लगता है कि इतनी बड़ी तकलीफें नहीं होतीं जितनी कि हमारी महिला अपनी तकलीफों और उत्पीड़न को बयान कर रही है। हमारे पुरुष वर्ग लगता है कि समाज में बीमार हो गए हैं। इस विषय में नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक-एक चीज को देखते हैं कि कानून से भी हम लोगों को सहायता नहीं मिल पाता है। कानून के द्वारा जो भी केस होता है उसमें अधिकतर लोग बच जाते हैं। उनकी पकड़-धकड़ भी नहीं होती है। अगर पकड़ भी लिया जाता है तो वह बेल पर छूट जाता है। वह इतना निडर हो गया है कि वह दृष्कर्म करने से बाज नहीं आता है। यह कानून की भी बहुत बड़ी कमजोरी है। हम यह भी देखते हैं कि प्रशासनिक पदाधिकारी जो बैठे हैं, अभी हमारी बहन कह रही थीं कि जब नौकरी में महिलाएं काम करने जाती हैं तो

वहां भी उनको टॉर्चर किया जाता है, फब्तियां कसी जाती हैं, उनको ब्लेकमेल किया जाता है। अगर कॉलेज स्कूल में लड़िकयां पढ़ती हैं तो उनके साथ भी उनका एक-एक चीज को ऐसे ढंग से देखा जाता है कि वह डाउन हो कर आए तब हम मार्क देंगे, हम यह करेंगे। हर एक स्टेप पर महिलाएं प्रताड़ित होती रहती हैं। यह चीज बढ़ कर पहाड़ जैसी हो गयी हैं कि इसका सामना करने के लिए औरत बेचारी बन गयी है। इसका सामना करने के लिए अगर मां-बाप पूरी ताकत दें, रंजीत रंजन जी ने ठीक ही कहा कि हमारे पिता ने इतनी ताकत दी है कि हर क्षण लड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं। तभी हम लोगों को अधिकार मिलेगा, तभी समाज में कद्र मिलेगा। अगर हम दबते जाएंगे तो दबाने वाले बहुत होते हैं। आज इस पंचायत में खड़ी हो कर बोलने के लिए जो मैं काबिल हुई हूं, उसमें कहीं न कहीं मां-बाप की देन है। उनका हिम्मत देना है, जिसके कारण हम यहां तक पहुंचे हैं। हम लोग जब भी इस सदन में बोल रहे हैं तो हम लोग अपने क्षेत्र में अपनी बच्चियों के लिए, अपनी महिलाओं के हर दुख-सुख के लिए हम लोग बोलते हैं। इसका एक और कारण है, गरीबी और पिछड़ापन। जो गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहा है, उसके घर में शौचालय नहीं है। शौच के लिए उसे बाहर जाना पड़ता है। उसके साथ भी आप समझिए कि रेप होता ही रहता है। वह भी एक स्थिति आ गया है कि इतने वर्षों की आजादी के बाद तीस पर्सेंट घरों में ही शौचालय बन पाए हैं, बाकी सब ऐसे हैं कि लोगों को बाहर जाना पड़ता है जिसके कारण उसके साथ घटनाएं होती हैं। इसके लिए भी आदमी को सतर्क होना चाहिए। हमारी सरकार के आने के बाद सबसे पहले शौचालय देने और गरीबों का छत देने की बात हो रही है। यह विचार बहुत पहले आना चाहिए था, यह काम बहुत पहले होना चाहिए था। जैसे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। यह सारे मुद्दे ऐसे हैं कि हमारी घर की बेटियां जो कि अशिक्षित रह जाती हैं, लोगों से भयभीत रहती हैं, लोगों से डरती हैं, अगर उसे शिक्षा मिल जाए तो वह लोगों से नहीं डरेगी, लोगों का सामना करेगी। उसके घर के सदस्य अगर उसको हिम्मत देते हैं तो हम समझते हैं कि वह आगे बढ़ कर अच्छे मुकाम तक पहुंचेगी। हमारी सरकार ने सबसे पहले सुलभ शौचालय और गरीबों को छत देने की बात कही है, यह विचार बहुत पहले आना चाहिए था। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ " इन सारे मुद्दों पर बहुत पहले ही अमल हो जाना चाहिए था। हमारी जो बेटियां अशिक्षित रह जाती हैं, लोगों से भयभीत रहती हैं, अगर वे शिक्षित होतीं तो वे लोगों से नहीं डरेंगी, बल्कि उनका सामना करेंगी। उसके घर के लोग अगर उसे हिम्मत देते हैं, तो हम समझते हैं कि वह आगे अच्छे मुकाम पर पहुंचेगी और हर मुश्किल का सामना कर सकती है।

हम समझते हैं कि ''सावधान इंडिया' में हर दिन एक-एक कहानी बताते हैं। उसको देखने के बाद शिक्षा मिलती है कि कहां पर किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक-एक कहानी में सच्चाई दिखाई जाती है और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उस कहानी को देखने के बाद आदमी सोचता है कि हम कल इस तरह की परिस्थिति में नहीं जाएं। हमारी बेटियों को और हम लोगों को होशियार करने के लिए यह दिखाया जाता

है। ... (व्यवधान) सबसे पहले हम जानेंगे कि नारी अदालत देश भर के लिए आदर्श है। गुजरात की महिला आयोग की अध्यक्ष लीला बेन अकोलिया ने सितम्बर 2013 में दाहोद की नगर पालिका हॉल में नारी अदालत का शुभारम्भ किया था जो समझिए कि संसाधन मंत्रालय की नीदरलैंड से संचालित होने वाली योजना महिला समख्या द्वारा गुजरात में पहले से ही नारी अदालतें आयोजित हो रही हैं जो कि सारे देश के लिए आदर्श है और महिला समख्या योजना जो अनेक प्रदेशों में काम कर रही हैं किंतु सिर्फ गुजरात में उसका अक्षरश: पालन हो रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे देश के एक एक कोने में इस तरह का यह न्यायालय हो और उसका परिणाम आए तब हमारा देश इस तरह के अपराधों से और इस तरह की निम्न मानसिकता रखने वाले लोगों से बच सकेगा।

महिलाओं में अपार ताकत है, क्षमता है, शक्ति है। अब जैसे मैरी कॉम बॉक्सर बनी। राष्ट्रपित हमारी प्रतिभा देवीसिंह पाटिल जी बनीं। हमारी मदर टेरेसा एक उदाहरण बनी। ऐसे में महिला की कहीं भी कमी नहीं है लेकिन पुरुष वर्ग के साथ देने के बाद और साथ न भी हो तो भी महिला आगे निकलकर आती है। कुछ पुरुषों में ऐसा संस्कार होना चाहिए क्योंकि जिस स्थिति में समाज आज पहुंचा हुआ है, उस स्थिति को सुधारने के लिए लोग चर्चा करें और जिस महिला को प्रताड़ित किया जाता है या जिस महिला के साथ रेप किया जाता है, समाज उसका सम्मान करें, उसको आगे लड़ने के लिए ताकत व हिम्मत दे।

अंत में, मैं दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। मैं चाहती हूं कि जिस महिला को आज तक केवल प्रताड़ना ही मिली है और समाज में जिसको केवल नीचे गिराने का काम ही किया गया है, समाज उसको ऊपर उठाने के लिए हर संभव कोशिश करे। उसको हिम्मत देकर आगे समाज में रखे तभी नारी का कल्याण हो सकता है। मैं आगे इसी संदर्भ में कहना चाहती हूं:

> "नारी तू चाहे सीता है या कमला, मत समझो खुद को अबला। तुम निर्बल नहीं हो। याद करो कहानी। हम जैसी थीं झांसी की रानी।" खुद को मत बना मिट्टी की मूरत, तुझसे अलग नहीं थी, सुषमा जी की सूरत। मुश्किल है क्या गर तू ठान ले, मंजिलें दूर नहीं तू जान ले।" बहनों आसमान पर लिख दो नाम कल्पना, सुनीता ने किया ये काम, आंचल में दूध और आंखों में है पानी, अब नहीं सुहाती ऐसी कहानी।"

हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं हिम्मत से लड़ाई लड़ें और आगे बढ़कर अपना नाम रोशन करें तथा महिलाओं में जो शक्ति और क्षमता है, केवल मिट्टी की मूरत दुर्गा जी और सरस्वती जी बनती हैं, उनकी पूजा होती है तो वह पूजा नहीं बल्कि वह संस्कार का दिन होना चाहिए कि इस तरह की महिलाओं का हम आदर सत्कार करें।

SHRIMATI DIMPLE YADAV (KANNAUJ): Thank you, Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak here. I would like to start from the Delhi Nirbhaya Case, which took place in December 2012 and which shook the whole nation. Within the month's time, the Criminal Law (Amendment) Act, 2013 was passed here.

Sir, before me, many MPs here have given their suggestions and I would also like to give a few suggestions. Various forms of violence against women and children continue to be on an increase. According to the National Crime Records Bureau of India, reported incidents of crime against women have increased 6.4 per cent during 2012.

I would like to bring to your notice that in every three minutes a crime against women is committed. Existing measures to protect women and children against violence have proved to be inadequate, ineffective and biased against the victims. If left unaddressed, these human right violations pose serious threat to the current and the future generations.

Sir, if a woman is raped, it is not only a physical insult to her, it is a mental insult and it is also a psychological insult to her. Sir, studies show that children who have witnessed or been subjected to violence are more likely to become victims and sufferers of agony.

Children, who by definition require the care and guidance of adults, are among the most vulnerable and most innocent victims of crimes. Crimes against children include physical and emotional abuse, neglect and exploitation. Child related crimes often are perpetrated by parents, by relatives, by neighbours and by those who know the child.

India's National Crime Records Bureau publishes detailed crime statistics in an annual report called *Crime in India* since 1953. *Crime in India 2010* includes data that relates specifically to crime against children. The national average rate for crimes against children was 2.3 per 100,000 people. For Delhi, the rate was 19.8 per 100,000. The State of Madhya Pradesh with 6.1 per cent of population

was responsible for 18.4 per cent of all crimes against children and Delhi with 1.5 per cent of population was responsible for 13.6 per cent of the crimes against children.

Kidnapping and abduction cases represent 40.3 per cent of crimes against children. Rape cases represent 20.5 per cent of crimes against children. And 8.9 per cent of all rape victims were girls under the age of 14. In 97.3 per cent of all rape cases, the offenders were known to the victims. They were their family members, relatives or neighbours. The States of Madhya Pradesh and Maharashtra accounted for 35.2 per cent of child rape cases. The number of cases of trafficking of minor girls increased by 186.5 per cent from 2009.

The framers of the Indian Constitution took note of the adverse and discriminatory position of women in the country and of children in society, and took special care to ensure that the State must take positive steps to give them equal status. Articles 14, 15, 42, 47 etc. were drafted to improve the condition of women and children in the country.

Significant progress towards the protection of women from violence has been made by the country as well as at the international level by way of lobbying by many women's rights movements, international organisations and civil society groups. As a result, worldwide governments, and international as well as civil society organisations, work actively to combat violence against women through a variety of programmes.

However, all these legislations and measures have fallen short of achieving the intended outcomes of reducing atrocities against women and children. This is evident from every day incidents that take place around us, in all parts of the country. This clearly calls out for the need to change, the need to improve, the need to be more sincere and the need to be more effective. ... (*Interruptions*)

Madam, why do you not talk to the Chairperson? ... (*Interruptions*) Sir, let her talk to you and not to me. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

... (Interruptions)

SHRIMATI DIMPLE YADAV : Sir, I would like to put across some suggestive measures to control the crime. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No cross-talks please.

Shrimati Dimple Yadav, you please continue.

SHRIMATI DIMPLE YADAV: I would like to put some suggestive measures needed to curb crime against women. By vigorously imposing the existing legislations relating to crime against women and children like the Dowry Prohibition Act, 1961; Child Marriage Restraint Act and many other such Acts. It is very important for police personnel to be responsible for their implementation. The administration and police should play a very pro-active role in detection and investigation of crime against women and ensuring that there is no under-reporting of cases.

Special centres should be created to tackle such problems. In Uttar Pradesh, we have launched a Special Women's Power Helpline Number 1090.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): It is not working.

SHRIMATI DIMPLE YADAV : Excuse me, it is working.

HON. CHAIRPERSON: No cross-talks please. You please address the Chair. It is not going in record.

(Interruptions) ...*

HON. CHAIRPERSON: It is a sensitive issue. Let us understand the seriousness of it.

SHRIMATI DIMPLE YADAV : Yes. ... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Anurag Thakur, you please sit down. You had your say.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You please address the Chair. Sh. Rajesh Ranjan, please sit down.

_

^{*} Not recorded.

... (Interruptions)

श्री अनुराग सिंह टाकुर: पुलिस अधिकारी की कंप्लेन्ट तक नहीं सुनी गई।

माननीय सभापति : आप बैठिये, जो आपके स्पीकर है, वह बता देंगे।

...(व्यवधान)

SHRIMATI DIMPLE YADAV : Sir, this 'Women Power-line', as we have named it, ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please continue.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Kindly address the Chair and no cross-talks please.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI DIMPLE YADAV: This has worked in UP. The number of complaints that were registered were 2,46,110, and out of this, 2,15,240 cases were solved. We can make a huge difference by increasing the overall representation of women in police forces, which the hon. Minister has already suggested.

There has to be sensitizing of the law-enforcement machinery towards crime against women by way of well-structured training programmes, meetings and seminars, etc. for police personnel at all levels as well as for other functionaries of the criminal justice system.

We have to develop a community-monitoring system to check cases of violence, abuse and exploitation, and take necessary steps to curb the same. Involving the community at-large in creating and spreading such awareness programmes is going to make a huge difference. Organizing legal literacy and legal awareness camps are very important points, and by providing them the knowledge regarding the laws that are available will strengthen us. This is going to change the scenario.

There should be no delay whatsoever in the registration of FIR in all cases of crime against women. ... (*Interruptions*) Sir, this is my first speech. I would need five more minutes to speak. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I understand that even after you have spoken, there is a big list before me of women speakers.

... (Interruptions)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): सर, यह इनकी मेडन स्पीच है।

माननीय सभापति : आप बैठिये, उन्हें वकील नहीं चाहिए, मैं यहां पर हूं, मैं हैंडल करता हूं।

...(व्यवधान)

SHRIMATI DIMPLE YADAV: There should be no delay whatsoever in the registration of FIR in all cases of crime against women. Strict disciplinary action is also to be taken against police personnel found wanting in this area.

We should ensure proper supervision at appropriate level of cases of crime against women from the recording of FIR to the disposal of the case by the competent court. Cases should be thoroughly investigated and charge-sheets against the accused persons should be filed within three months from the date of occurrence without compromising on the quality of investigation. The Health Departments of the State Governments should set up Rape Crisis Centres and specialized Sexual Assault Treatment Units at appropriate places. The specialized Sexual ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Madam, now you please conclude.

SHRIMATI DIMPLE YADAV: Okay, Sir. I will conclude in two minutes. The following steps should also be taken to prevent crimes against children. Firstly, we should decrease the vulnerability of children to sexual exploitation. Secondly, we should develop a nationwide capacity to provide a rapid, effective and measured investigative response to crimes against children. Thirdly, we should enhance the capabilities of States and local law-enforcement investigators through programmes, investigative assistance and task-force operations.

Sir, we have to change this all together, and I would like to ... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Okay, thank you, Madam.

SHRIMATI DIMPLE YADAV : Sir, just allow me to mention the last line. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No cross-talks please. You would have to conclude within half-a-second.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI DIMPLE YADAV: Sir, Robert Frost said these famous lines. He was a poet, and he said that: "Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep." All of us here have promises to keep.

HON. CHAIRPERSON: The next speaker is Shrimati Jayshreeben Patel.

... (Interruptions)

माननीय सभापति : वह जब विषय उठायेंगे, तब बात कीजिए, अभी जयश्रीबेन पटेल को बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

3

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): माननीय सभापित महोदय, देश में महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अत्याचारों को रोकने हेतु मुझे नियम 193 के तहत चल रही चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

सभापति महोदय, जैसा कि नारी को शक्ति स्वरूप मान कर उनकी स्तुति की जाती है। मैं महिलाओं के परिचय पर दो शब्द कहना चाहती हूँ कि -

> मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। मातृभूमि पर मर मिटने वाले उन वीरों की पीर हूँ। उन पुत्रों की दुहिता हूँ, जो हंस-हंस झूला झूल रहे। उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूर गए। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ।

ये महिला की पहचान होते हुए भी आज भी नारी प्रताड़ित है। सारे कानून बनने के बावजूद भी अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। एनसीआरबी के मुताबिक सन् 1953 के मुकाबले सन् 2011 तक अपराधों में 250 फीसदी की वृद्धि हो चुकी है। सन् 2013 में पूरे देश में 24,923 बलात्कार के मामलों की रिपोर्ट दर्ज हुई, जिनमें 24,770 बलात्कार के मामलों में रिश्तेदार शामिल थे। 93 प्रतिशत ऐसे मामलों में नजदीकी रिश्तेदारी शामिल होती है।

सभापित महोदय, महिला की सहनशीलता को आज भी कमजोर आंका जाता है। महिला को एक वस्तु के रूप में देखा जाता है न कि एक व्यक्ति की तरह देखा जाता है। आज भी महिलाओं को सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता है।

महिलाओं के साथ-साथ बच्चों पर कम अत्याचार नहीं होते हैं। नाबालिग बच्चों से भीख मंगवाना तथा नन्हें शिशुओं को संभवतः अफीम देकर उन्हें कड़ी धूप या भारी सर्दी में गोद में ले कर भीख मांगना, बाल मजदूरी से भी दुखद शोषण है। देश में गरीब परिवारों के बच्चों की हालत बहुत नाजुक है। देश में बाल मजदूरी की समस्या सबसे विकराल है।

भारत में सन् 1990 में अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संधि को अनुमोदित किया गया। इस संधि में पालन करने के जो प्रावधान किए गए हैं, उनमें जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार एवं विकास का अधिकार शामिल है। सुरक्षा का अधिकार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को मानवाधिकार मुद्दे के रूप में परिभाषित करता है। माननीय सभापित महोदय, यह संयुक्तराष्ट्र संघ के "महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसाओं के उन्मूलन पर कंवेंशन 1993 " के अनुरूप है। लेकिन पिछले कई सालों से महिलाओं के प्रति हिंसा पर, जैसे निर्भया कांड पर केवल निर्भया फंड ही होते रहे।

निर्भया के साथ हुए हादसे ने महिलाओं से संबंधित कानूनों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। दिल्ली के गैंग रेप की घटना से उद्वेलित एवं आंदोलित जनता के आक्रोश के कारण आज पूरे देश में महिलाओं की स्थिति हम सब को मालूम है। हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने कहा है कि एक्ट के साथ एक्शन भी होने चाहिए। इसलिए हमारे वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी ने महिला सुख्क्षा पर विशेष जोर दिया है। कामकाजी महिलाओं के लिए 6 नए हॉस्टल खोले जाएंगे। अपराध की संभावना वाले क्षेत्रों में महिला पुलिसकर्मी के साथ पीसीआर वैन भी तैनात की जाएगी तथा 155 महिला उप निरीक्षकों और 1434 महिला सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया भी चालू की गई है। इस वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी जिलों के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटरों की स्थापना करना भी प्रस्तावित है।

गुजरात की कर्मठ मुख्यमंत्री, हमारी पहली महिला मुख्यमंत्री, माननीय आनंदी बेन पटेल ने 2014-15 में जेंडर बजट पेश कर के महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रतिबद्धता जाहिर की है, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ।

महिलाओं पर होने वाले जघन्य अपराधों में लगभग 50 प्रतिशत किशोर शामिल होते हैं। वह इस अपराध में इसिलए शामिल होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पकड़े भी जाएंगे तो उन्हें सजा नहीं होगी। इनको भी बड़ों की तरह ही सजा मिलनी चाहिए। माननीय मंत्री मेनका जी यहां बैठी हैं, वर्तमान सरकार ने कानून में बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू की है, वह सराहनीय है।

इतना ही नहीं कई बार तो बड़े लोग भी किशोर नहीं होते हुए अपराध करते हैं। फिर भी वे अपनी छोटी आयु का प्रमाण पत्र बनवा कर दिख देते हैं और सजा से बच जाते हैं। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार में सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कानून भी बनाना चाहिए।

दुनिया में एक लाख की आबादी पर 250 पुलिसकर्मियों का नियम है। वर्ष 2011 में गृह मंत्री ने संसद में कहा कि हम एक लाख की आबादी पर 174 पुलिसकर्मियों की स्थिति में हैं। हकीकत यह है कि यह आंकड़ा वर्ष 2001 की आबादी के आधार पर था। आज की स्थिति में हमारे यहाँ एक लाख की आबादी पर 134 से ज्यादा पुलिसकर्मी नहीं हैं।

पिछले 40 सालों में बलात्कार के मामलों में सजा की दर 47 प्रतिशत से घटकर 23 प्रतिशत पर आ गयी है। यानी हर चार बलात्कार के आरोपियों में से तीन छूट जाते हैं। दस साल में 336 प्रतिशत दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं।

शहरों और गांवों में जब महिलायें अकेली रोजगार के लिए बाहर जाती हैं, तो उनको अपनी सुरक्षा का डर लगा रहता है। वह अपने रहने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में रहती हैं, जहां रहकर वह अपना रोजगार कर सके और अपने आपको सुरक्षित रख सके।

महोदय, मैं अपने सुझाव देकर दो मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। वर्किंग वूमेन हॉस्टल की सुविधा में बढ़ावा करना चाहिए, ताकि उन्हें रहने के लिए जगह-जगह न भटकना पड़े और उनको रहने के लिए सुरक्षित स्थान मिले।

महोदय, यहां बच्चों के बारे में भी कहा गया है। महिला सुरक्षा हेतु मैं एक बात कहती हूं कि शौचालय जरूरी हैं। आगे भी हमारी माननीय सदस्याश्री ने बात की थी कि महिला सुरक्षा के लिए शौचालय जरूरी है। 70 प्रतिशत महिलाओं के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। शौचालय के लिए सोच भी बदली होगी, जैसे बदायूं इसका परिणाम है, जागरूकता और जवाबदेही तय करनी होगी।

महोदय, मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, मैं उन्हें कुछ सुझाव देना चाहती हूं कि कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न के अधिनियम में कई किमयां हैं, उनको दूर किया जाए। जैसे कि फौज और कृषि में कार्यरत महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। शिकायत सिमित में सिमित के मुद्दों पर प्रशिक्षण के मुद्दों पर अधिनियम मौन है। शिकायत एवं सिमितियाँ कार्रवाई के प्रति गंभीर नहीं है। पीड़िता और यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति के बीच विवाद को सुलह द्वारा सुलझाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन उनको मानसिक, आर्थिक एवं कष्ट की भरपाई कैसे हो सके, उनके ऊपर भी मौन है। सभी जिलों में रेप क्राइसिस सेंटर जल्द से जल्द बनाये जाएं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में महिला जज होनी चाहिए। गुजरात पैटर्न की तरह जमीन दस्तावेजों की रिजस्ट्री महिला के नाम करने पर रिजस्ट्रेशन शुल्क मुफ्त किया जाना चाहिए। आज गुजरात में महिलायें अधिकाधिक संख्या में भू-स्वामी बन रही हैं, जिससे महिला आर्थिक रूप से मजबूत बन रही है। मैं सिर्फ दो वाक्य कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं।

महोदय, महिलाओं पर होने वाले अपराध पर न्यायिक प्रक्रिया के लिए वीडियो-कान्फ्रेसिंग अदालतों का निर्माण किया जाए। गुजरात पैटर्न की तरह नारी अदालतें, महिला पुलिस स्टेशन तथा 33 प्रतिशत पुलिस विभाग में महिलाओं का आरक्षण किया जाए। महिलाओं के लिए सुरक्षा की जागृति के तहत स्कूल और कॉलेजों में महिला एनसीसी को बढ़ावा दिया जाए।

महोदय, आखिर में मैं दो शब्द कहना चाहती हूं कि यदि हमें मानवीय गरिमा को जीवित रखना है, सभ्यता व संस्कृति को शिखर तक ले जाना है तो हमें महिला को सम्मान देना चाहिए। महिला के आर्थिक विकास के साथ जुड़ना चाहिए, जैसे कि " सक्षम नारी, सक्षम समाज, सुरक्षित नारी, सुरक्षित समाज। "

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): महोदय, सबसे बड़ी बुराई की जड़ मनुष्य और हमारा दिकयानूसी समाज है। इस धरती पर जितनी बुराइयाँ थीं, उसका सबसे बड़ा कारण हैं मनुष्य, यह समाज और सरकारी व्यवस्था। हम लोग उसी व्यवस्था के खिलाफ हैं। सभापित जी, जितनी देर में आपकी बेल बजेगी, उतनी देर में हिंदुस्तान में दो बलात्कार हो जाएंगे। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है। आप जितनी देर में हमारे भाषण के समय में

बेल बजायेंगे, उतनी देर में दो बलात्कार हो जाएंगे। वे बलात्कार परिवारों के बीच से होते हैं, वे बलात्कार चाचा, मामा, नानी, भाई, भतीजा, सत्यमेव जयते के दोनों एपीसोड और उन एपीसोड के बाद की कई घटनायें और चीजें इस देश और देश के बाहर जो दिखायी गयी हैं, उससे यह साफ जाहिर होता है। हम इतने लोग यहां बोलने के लिए बैठे हुए हैं।

क्या हम इस बात को समझने को मानने को तैयार हैं कि आज समाज में जितनी ज़्यादा संकीर्णता और ज़हर का ताना-बाना बुना गया है, यह मनुष्य की ही सबसे बड़ी उपज है। अपने घर में झाँककर देखिये। मेरे पास समय कम है। सरस्वती और सारस्वती कहते हैं। यहाँ संस्कृत के प्रकांड विद्वान बैठे हैं, भगवान के लोग बैठे हैं, हम लोग, सब लोग बैठे हैं। हम सरस्वती की पूजा से वंदन, नंदन और मंडन शुरू करते हैं। दुर्गा, काली, राधाकृष्ण, सीताराम, शिव-पार्वती, हर चीज़ में नमन, दुर्गा का रुद्र रूप और काली का रौद्र रूप - यदि हम उनसे अलग हटते हैं तो सिर्फ झांसी की रानी का नाम लिया जाता है। समाज के बारे में मैंने इसलिए कहा कि फूलन देवी जैसी महिलाओं को इस समाज में जब खड़ा होना पड़ता है तो उसका कारण यही समाज है, यही इंसान है जो फूलन देवी को पैदा करती है। झांसी की रानी इसलिए हम लोगों को याद आती है कि वह अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी। फूलन देवी इसलिए याद नहीं आती कि वह हिन्दुस्तान में रहने वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी।

सभापित महोदय, मैं जानता हूँ कि आप सात-आठ मिनट में घंटी बजाएँगे, इसिलए मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता कि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक शोषण सिर्फ महिलाओं का ही क्यों। परदे में रहने की पद्धित, सती-सावित्री और आज भी बाल-विवाह की जो प्रथा देश में है, जो कानून आप सदन में लाए हैं, इसके पहले आपको पता है कि हिन्दुस्तान में क्या होता था। पहले बलात्कार के बाद बच्चियों को छोड़ दिया जाता था, अब बलात्कार के बाद बच्चियों और औरतों को मार दिया जाता है, उनको ज़िन्दा नहीं रखा जाता। इसिलए, कि कोई सुबूत न रहे और 302 में उसे फाँसी न हो सके। यदि कानून पर ही दुनिया चलती तो विश्व का सबसे सुरक्षित देश यदि कहीं होता, यदि मानवतावादी, नैतिकतावादी और आध्यात्मपरक कोई देश होता तो वह हिन्दुस्तान होता। दुनिया में महिलाएँ सबसे ज़्यादा हिन्दुस्तान में सुरक्षित होतमे, यह थी हमारी तहज़ीब और संस्कृति। लेकिन है क्यां बहस। नज़रें। छोटी बच्चियों पर नज़रें। रकूल जाएँ तब नज़रें, स्कूल से निकलकर कॉलेज जाएँ तब नज़रें। कॉलेज से निकल जाओ, पित के पास जाओ, तब नज़रें। पित से आगे बढ़िये, आप देखते चिलए, महिलाओं का कहाँ शोषण नहीं होता। एक बच्ची अपने पिता के लिए आराध्य करती है, उसके बाद अपने भाई के लिए और भाई के बाद पित के लिए, पित के बाद अपने बच्चों के लिए। उसकी ज़िन्दगी तो सिर्फ देवी-देवताओं के मंदिर में माथा टेकने पर मजबूर होती रहती है, उसकी ज़िन्दगी की शुरुआत होती है मंदिर से और अंत होता बच्चों पर मंदिर से। अब उसके पास बचता क्या हैं। हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस सदन में बैठे हए लोग जितनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, आज

ही बहस नहीं हुई है, हर साल, हर बजट में, हर वक्त बहस होती रही है लेकिन कोई सॉल्यूशन हिन्दुस्तान में नहीं हुआ, बलात्कार बढ़ते गए। हम निर्भया कांड या किसी कांड पर नहीं जाएँगे। निर्भया कांड कोई एक अकेली घटना नहीं है। न जाने कितने निर्भया कांड गांवों के करबों में होते हैं जिसकी किसी थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। अभी रिपोर्ट आई है कि एक साल में दो लाख बलात्कार हुए हैं जिसमें 36 हज़ार रिपोर्ट दर्ज हुईं। 36 हज़ार के बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। गांव में जो शोषण होते हैं, गांव में जो सामाजिक शोषण है, गांवों में जो मालिक और नौकर के बीच का शोषण है, गांवों में जो पारिवारिक शोषण है, उन चीजों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ...(व्यवधान)

सभापति जी, मैं जानता था कि आप घंटी बजाएँगे। जब भी हम भाषण देते हैं, आप ही मेरे सामने होते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह मेरा कर्तव्य है, मैं क्या करूँ।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): सभापति जी, मैं दो मिनट में कनक्लूड करूँगा।

माननीय सभापति: एक मिनट में कनक्लूड करिये।

श्री राजेश रंजन: ठीक है महोदय, मैं एक मिनट में कनक्लूड कर दूंगा।

महोदय, मेरे दो-तीन सोल्यूशन्स हैं। शराब एक मुख्य कारण है। शराब परोसने के लिए क्या बेटी होती हैं। बार में नाचने के लिए क्या बेटी होगीं। हाई कोर्ट ने जब इस पर रोक लगायी तो फिर नौकरी देने के नाम पर नया कानून क्यों लाया गयां। सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि शराब, दहेज, एक। दूसरा, बाल शोषण, तीसरा- यौन शोषण। कानून कैसे तय करेगा कि किसने किस को आंख मारीं। किस ने छेड़ा या नहीं छेड़ां यह कौन तय करेगां। वहीं इनवेस्टीगेशन ऑफिसर तय करेगां, जो इसी हिन्दुस्तान का हैं। जो मज़हब और धर्म यहां हैं। जो बगैर सरकार के चलती नहीं हैं। कौन सा कानून तय करेगां। हमारे न्यायालय कहां तय कर पाते हैं। कितने दिन में लोगों को फांसी होती हैं। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार दहेज जैसी चीजों पर, इस कुप्रथा को कैसे बंद करेगीं। इस पर पूरी पार्लियामेन्ट को सोचना चाहिए। जब तक दहेज और अंत में में आपसे आग्रह करूंगा कि यह जो भ्रूण हत्या हो रही है, इस भ्रूण की जांच करने की मशीन की इजाद किसने कीं। भ्रूण हत्या की शुरूआत ग़रीबों के घर से नहीं हुई है। दहेज और भ्रूण हत्या कुद्धिजीवी, पैसे वाले और ताकतवर लोग अपनी पत्नी को ले जाते हैं और मशीनों से चैक करा कर भ्रूण हत्या करते हैं। भ्रूण हत्या इन्होंने की है, ग़रीब में ताकत नहीं है। हिन्दुस्तान के उन लोगों ने भ्रूण हत्या की शुरूआत की जो कि बौद्धिक लोग थे, पढ़े-लिखे लोग थे, पैसे वाले लोग थे। हिन्दुस्तान में सारी बुराइयों की जड़ यदि कोई है तो पढ़े-लिखे, बौद्धिक और पैसे वाले लोग हैं। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : This will not go on record. Kumari Shobha Karandlaje's speech will go on record.

(Interruptions) ...*

^{*} Not recorded.

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): Hon. Chairman, at the outset I would congratulate the Union Government that yesterday the Cabinet cleared the Juvenile Justice Bill, 2014 that gives powers to Juvenile Justice Board to decide if a juvenile above 16 years involved in a heinous crime like rape should be tried in the court.

After 67 years of Indian Independence, the official statistics show that there is a decline in the number of girls for thousand boys, and there is a decline in the health status, literacy rate, work participation and political participation among the women, comparatively men.

Indian Constitution assures gender equality in its Preamble, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy. Within the framework of the democratic polity, our laws and our development policies, our plans and our programmes have aimed at women's advancement in different spheres. Articles 14, 15, 16, 19A and B, and article 42 of the Indian Constitution give equal rights and equal opportunities women. The Constitution prohibits discrimination against women. It provides equal livelihood in home and at work place for women. We have got many other legal provisions also.

A report says that every seven minutes, a crime is committed against women in India; every 26 minutes, a woman is molested in India; every 34 minutes, a rape takes place; in every 10 rape cases, six are of minor girls; every 42 minutes, a sexual harassment incident occurs; every 42 minutes, a woman is kidnapped; and every 93 minutes, a woman is burnt to death over dowry. One quarter of the reported cases involve people under the age of 16 but the vast majority of them are never reported. Although the penalty is severe, the convictions are rare.

Throughout our lives we face violence. It starts in the womb. To take birth also we suffer. Sex selection abortions fail to protect girls who are aborted as foetuses. Because of sex selection abortion, the sex ratio is declining every year. Most of the women do not take lead in the matters of sexuality, family and reproductive choices in India.

17.00 hrs.

Women are pressured into a vicious cycle of abortions in the hope of a male child. Women in India face economic and social barriers including property rights, marriage dowries and condemnation of girls even before they are born.

In Karnataka, to protect the girl child, under the leadership of Shri B.S. Yediyurappa, the State Government had formulated a programme called 'Bhagyalakshmi'. Under this programme, at the age of 18, every girl child will get Rs. 1 lakh for marriage or further education.

When it comes to female infanticide, killing of female infants are reported from all parts of India. Negligence of girl children leads to malnutrition. There is also discrimination in the selection of schools. In many parts of India, it is reported that while sending children to schools, they select good schools for the male child and send the female children to government schools. अगर बेटा हुआ तो उसे मेडिकल की पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है और गर्ल चाइल्ड है तो, she will have to just pass S.S.L.C., come back home and get married. This discrimination happens in every part of India.

In India, around 50 million girls are missing from its population of 125 crore. It is really alarming. Nobody knows where these girls have gone; 99 per cent of them are untraced. Most of the vulnerable girls are lured with the promise of jobs by trafficking agents. Once trapped in the racket, they are sold to agents of brothels in the red light areas of metro cities and other areas like Mumbai, Goa, and Hissar in Haryana. Some of the Kannadiga girls are found in Mallappuram district of Kerala. Many are found in Kerala State. Some are sold to Arab countries. A report says that poor Muslim girls from Hyderabad are taken away by Arabs in the name of marriage. They are sexually harassed and used for domestic work in Arab countries. The number of cases are actually more than the ones registered as many trafficking victims get stuck in the flesh trade and are unable to escape.

17.02 hrs (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

Every year, Rs. 40,000 crore are involved in female and male prostitution business in India. Of this, 25 per cent accounts for child prostitution in the age group of 15 to 18 years. Five lakh boys and girls are forced into this trade every year. Low conviction rate encourages trafficking. Lack of co-ordination among the police and prosecuting bodies, advocates and courts is a key reason for the delay in disposing of cases of atrocities against women.

This august House passed the Criminal Laws Amendment Bill, 2013 but the State Governments are implementing the same. The Union Government should give strict instructions to the States to implement the law on the basis of the Criminal Laws Amendment Bill, 2013. For example, I asked the Home Minister of Karnataka to please implement the Criminal Laws Amendment Bill, 2013 in Karnataka. In response to my letter, he has given in writing that it is not necessary now. In Karnataka, in the last one month 70 cases have been reported. The Karnataka Government is not taking any action against any culprit or any offender.

In our Indian society, rape is equal to death. It is very difficult to get married off a rape victim. Her family faces great humiliation. Many of the family members of rape victims are not even attending social functions. So, these cases should be booked under IPC's section 302. The Government should instruct the police personnel accordingly; it is only then that people will get scared of the law of the land.

The Government should take immediate steps to ban obscene videos and visual clips in TV channels, cinemas, Internet and cell phones. It is very difficult to sit with family members and watch TV channels or cinemas.

Stringent laws and speedy disposal of cases can bring down the number of crimes against women. The Government should establish adequate number of fast track courts in the country.

I am appealing to the advocate community of India not to take the cases of rape offenders or culprits. Please do not protect the offenders by your arguments. The advocates should follow this and they should not take up and argue the cases of rapists. I am appealing to the male community and say that we do not need their sympathy. I am saying very clearly that we do not need their sympathy; we need respect. So, give respect and take respect.

In Karnataka, for the last many days, crimes are rising, but the Government of Karnataka is not taking any action. I mentioned this to the Union Minister of Women and Child Development. She has already written a letter to the Government of Karnataka. But the Karnataka Government is not taking any action. Please direct the State Government to take strict action against the rapists.

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद): सभापित महोदय, अति महत्वपूर्ण विषय पर काफी गंभीर चर्चा शुरू हुई है। कई माननीय सदस्यों ने जो बातें रखी हैं, वह निश्चित तौर से राष्ट्रीय कलंक है। लेकिन इस पर चर्चा, परिचर्चा हम करते रहे हैं और कानून की सख्ती के बाद भी ये घटनाएं, दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मेरा अभिमत है कि पिछले कुछ वर्षों में समाज में एक कमजोरी विकसित हुई है, समाज टूटा है। समाज की मजबूती से ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अक्रॉस द पार्टी लाइन यह कहना चाहता हूं कि लोग इस बात पर गौर करें कि पिछले 30-40 वर्षों में उत्तरोत्तर, गिरावट क्यों होती जा रही है? विकास का जो दौर है, क्या उसमें मानवीय मूल्यों का समावेश नहीं होना चाहिए? आज इस बाजारवाद में समाज में मूल्यों का घोर अवमूल्यन हो रहा है और समाज का ड्राइविंग फोर्स विचार नहीं, बल्कि पैसा हो गया है। इसका कारण है कि आज समाज में ऐसे अराजक तत्व बड़ी संख्या में विकसित हो रहे हैं। कई माननीय सांसदों ने यह बताया कि पुरुष मानसिकता की वजह से यह है और फिर उसी महिला सांसद ने यह भी कहा कि मेरे पिता ने फख के साथ यह कहा कि मैंने जो बेटी पैदा की है, यह बेटे से बढ़ कर है। ये दो कंट्राडिक्शन कैसे हो सकते हैं? समाज में चाहे पुरुष हो या महिला हो, समाज को व्यवस्थित करने के लिए दोनों का सहयोग आवश्यक है। यह नकारात्मक वृत्ति भी निकालनी चाहिए। महिला हो या पुरुष हो, यदि वह मानव है और उसमें सेंसिटीविटी है तो निश्चित तौर से एक अच्छे समाज के निर्माण में सहयोगी हैं। आज मैं जो इस अवमूल्यन का कारण मानता हूं, वह यह है कि सरकार को शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए। शिक्षा पर बल देने का मेरा मतलब है, राष्ट्र निर्माता शिक्षक होता है। पिछले 30-40 वर्षों में जो विश्वविद्यालयों की स्थिति हुई है, हम सर्विशिक्षा अभियान चलाते जरूर हैं। हम सबको शिक्षा जरूर दे रहे हैं, लेकिन हम आदमी का निर्माण नहीं कर रहे हैं। उसी विद्यालय से, उन्हीं महाविद्यालयों से, उन्हीं यूनीवर्सिटीज से ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, जिसमें उनसे बेहतर अपढ लोग भी आज समाज में निर्मित हो रहे हैं। इस निर्माण की प्रक्रिया को यदि बल देना है तो हमें ऐसे शिक्षकों की एक बड़ी फौज खड़ी करनी होगी, जो आदमी का निर्माण करे। सबसे बड़ी फैक्ट्री यदि कोई है, तो वही है जहां से एक सफल राजनेता पैदा हो सकता है, जहां से एक सफल वैज्ञानिक पैदा हो सकता है, जहा एक सफल मां और पिता हो पैदा सकते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस गिरावट का निदान स्ट्रिन्जेंट लॉ नहीं है, इस गिरावट का निदान शिक्षक है, विद्यालय है, जहां से आदमी पैदा होता है और आदमी पैदा होने वाली यदि यह फैक्ट्री बंद हो गयी, गुमराह हो गयी, गलत दिशा को अवधारित किया तो आप चाहे पुलिस पर जितना पैसा खर्च कर लें, आप चाहे अन्य कानून व्यवस्था के माध्यम से इसको खत्म करने के लिए जितना खर्च कर लें, हम समस्या का निदान नहीं कर पायेंगे। मेरा अनुरोध है कि चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, पटना विश्वविद्यालय हो, चेन्नई विश्वविद्यालय हो, यदि इन विश्वविद्यालयों का आंकड़ा मंगायेंगे तो इन

विश्वविद्यालयों में आउट सोर्सिंग हो रही है, शिक्षक जिसे अनवरत सम्पूर्ण जीवन, मरते दम तक पढ़ना है, आज वह सड़कों पर है, भविष्य के प्रति अन्धकार में है, कुंठा का शिकार है। यदि शिक्षक कुंठा का शिकार होगा, चाहे वह पुरूष हो या महिला हो तो नयी पीढ़ी कमजोर मानसिकता की होगी, विकृत मानसिकता की होगी, वह राष्ट्रधर्मी नहीं होगी। महोदय, हमारा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस समस्या का निदान चाहे वह चाइल्ड एब्यूज का हो या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का हो, निश्चित तौर से इसका एकमात्र निदान है कि हम जो तीस, चालीस वर्षों में जो एक शॉर्टकट तरीका आउटसोर्सिंग करने का अपना लिये हैं, उसे बंद करें। शिक्षक, जो निर्माण की प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जहाँ हमारे पुरखे इन्हें राष्ट्र निर्माता के रूप में देखते थे, चाहे समाज का अपराधी वर्ग हो, चाहे जिस वर्ग से लोग आते हों, विकृत मानसिकता के लोग भी शिक्षकों को यदि सम्मान समाज देगा और सरकार देगी, इसे एक सरकारी मशीनरी न समझकर के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढायें।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): सभापति जी, आपने मुझे महिलाओं के अत्याचारों पर जो सदन में गंभीर चर्चा हो रही है, उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मैं शिव सेना का सांसद हूं। हमारी शिव सेना जब घोषणा देती है तो जय भवानी कहती है, फिर जय शिवाजी कहती है। जय भवानी मतलब भवानी माता का नाम लेकर हम अपना काम शुरू करते हैं। में यह सब सुनकर बड़ा व्यथित हुआ कि इतने सारे कानून हैं, लेकिन फिर भी आज महिलाओं पर अत्याचार होना कम नहीं हुआ। यह सिलसिला चलता रहा है। छोटे से ऐतिहासिक उदाहरण दूंगा, कुछ लोगों ने नाम भी लिए हैं। झांसी की रानी का नाम लिया गया, उसके पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की मां का नाम लुंगा, जीजा माता जी, जिनके मन में स्वतंत्रता का भाव आया। इस देश में अगर स्वतंत्रता की नींव किसी ने रखी तो जीजा माता ने रखी। उनके पति वहां मुगलों के साथ काम कर रहे थे और वह स्वतंत्रता का सपना देख रही थी, बच्चे को पढा रही थी कि देख शिवा बाकी जगह क्या चल रहा हैं। उस शिवा ने आगे चलकर इतिहास रचा। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। Behind every successful man, there is a woman. वह मां खड़ी थी, जिस मां ने छत्रपति शिवाजी को बनाया। हमारे यहां कोल्हापुरा में तारा रानी हैं, महालक्ष्मी जी हैं, जो रानी लक्ष्मी बाई की बात करते हैं, वह भी हमारे महाराष्ट्र से हैं। वर्ष 1942 में मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में 'भारत छोड़ो आंदोलन' शुरू हुई। महात्मा गांधी जी ने घोषणा की कि अंग्रेज चले जाओ। उस घोषणा के बाद देश के सारे नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आंदोलन को आगे चलाने के लिए एक लड़की खड़ी हुई। उसका नाम अरूणा असफ अली था। उस लड़की ने तिरंगा झंडा अपने हाथ में लिया। उसने भारत माता की जय कहा। देश की सारी जनता उसके पीछे चल पड़ी। स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व भी हमारी भगिनी/बहन ने किया। आज हमें उस पर गर्व होता है। लेकिन समय बीत गया, लोगों का नजरिया बदल गया, लोगों को स्वतंत्रता मिली। कल तक हमारी मां-बहन घर के चौखट के अंदर रहती थीं, वे बाहर निकलीं, वे नौकरी करने लगीं। वे कुछ जगह काम करने लगीं। लोगों का नजरिया बदलने लगा। उनकी स्वतंत्रता पर हमने इतनी पाबंदी लगानी शुरू कर दी कि वे क्या पहनें, वे क्या नहीं पहनें, कैसे ढंग से बात करें, ...(व्यवधान) कुछ चीजें गलत हो रही हैं। ...(व्यवधान) महिलाओं की तरफ से भी कुछ होता है। ...(व्यवधान)

मेरे घर में सबसे पहले लड़की ने जन्म लिया तो मैंने देखा कि मेरी मां का चेहरा सबसे ज्यादा दुखी था। मैंने कहा कि लड़की का जन्म हुआ है तो आप क्यों दुखी हैं। ...(व्यवधान) लड़की के जन्म लेने पर दुःखी कौन हुईं। लड़की के जन्म लेने पर महिला दुःखी हुई। ...(व्यवधान) उसने लड़की को जन्म दिया तो सबसे पहले महिला दुःखी हुई। वह दुःखी इसलिए हुई कि उसके मन में वह संस्कार था। ...(व्यवधान) वह संस्कार यह था कि अगर हमें घराना आगे चलाना है तो लड़का ही होना चाहिए, समय बदल गया। आज

लोग ऐसा कहते हैं कि लड़के के ऊपर विश्वास नहीं है। लड़की है तो वही मां-बाप की सेवा कर सकती है। उनको लेकर विचार कितने बदल गए हैं, उस पर गर्व करना चाहिए।

आप व्हाट्स-ऐप पर देखते होंगे कि उस पर कितने मैसेजेज आते हैं। खराब वक्त आए तो कौन दौड़ कर आएगां। आपकी बेटी दौड़ कर आपके पास आएगी।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, कृप्या आसन को संबोधित कीजिए।

श्री अरिवंद सावंत : महोदय, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, आपको याद होगा कि इसी सदन में फूलनदेवी थी। वह यहां सांसद चुन कर आई थी। उस पर कितने अत्याचार हुए थें। अत्याचार होने के बाद भी एक महिला सारे समाज को ठुकरा कर, अत्याचार के खिलाफ खड़ी रही, फिर सांसद बनी और आवाज दी कि कैसे अत्याचार होता है। हमारी भिगनी गीता जी कुछ रही थीं, जिन्हें सुन कर दुःख हुआं वह ऐडिमिनिस्ट्रेटिव कैडर की महिला हैं। उस पर अत्याचार हो रहा है, हम देख रहे हैं। हमारे बाला साहेब ने अलग संस्कार दिए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे। वह भरी रैली में महिलाओं के लिए कहते थे। वह कहते थे कि डरो मत, शिवसेना तुम्हारे पीछे खड़ी है। वह कहते थे कि अगर तुम अकेली हो तो अपने पर्स में मिर्ची पाउडर और चाकू रखो। यह कहने की हिम्मत उस नेता में थी। वह कहते थे कि अपनी सुरक्षा स्वयं करो। वे और भी उदाहरण देते थे। वे कहते थे कि जिन टैक्सियों और ऑटो रिक्शा पर शिवसेना का शेर, बाघ, तीर-कमान या धनुष लगा हो और अगर महिलाएं उन पर बैठती हैं तो उन्हें लगनी चाहिए कि वह सुरक्षित है। उनके मन में डर कभी आना ही नहीं चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि वह जहां जाएगी, सुरक्षित जाएगी। उन्होंने एक उदाहरण दिया था।

हमारे कुछ लोग रिशया में गए। ...(व्यवधान) वहां हवाई अड्डे पर महिला ने स्वागत किया। वहीं गाड़ी चलाने वाली थी। वह चारों लोगों को ले कर रास्ते में चल पड़ी। जब वे जा रहे थे तो उन्हें इर्द-गिर्द कोई मनुष्य नहीं दिख रहा था। कहीं कोई बस्ती नहीं दिख रही थी। महिला गाड़ी चला रही थी और चार पुरुष गाड़ी में थें। उनके मन में बुरे ख्याल आने लगे। एक आदमी ने साहस कर उससे पूछा, उसने उसे बहन तो नहीं बोला, उसने कहा यस प्लीज, आप अकेली गाड़ी चला रही हो और हम चार लोग हैं। अगर हम लोग कुछ बुरा करेंगे तो आप क्या करेंगी। उसने कहा कि आप यह जान लीजिए कि आप रिशया में आए हैं। अगर मेरे बाल को भी धक्का लगा तो आप इस रिशया से बाहर नहीं जाएंगे। हमारे देश का कानून ऐसा होना चाहिए कि महिला कह सके कि आप हिन्दुस्तान में आए हो, अगर मेरे बाल को भी धक्का लगा तो हिन्दुस्तान से बाहर नहीं जा सकते है, ऐसा हमारा कानून होना चाहिए। तब जाकर कुछ होगा, ऐसा मुझे लगता है।...(व्यवधान)

जब हमारी सरकार आई तब हमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी जड़ में है कि हमारे बच्चे संस्कार नहीं सीख रहे हैं। वे अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं। वहां कभी नमस्कार करते हैं, कभी कुछ और करते

हैं। हमने सोचा कि स्कूलों में एक घंटे का समय उन्हें संस्कार का ज्ञान देने के लिए होगा। देश की संस्कृति का ज्ञान दिया जाएगा कि महिलाओं की तरफ कैसे देखें, मां, बहन की ओर कैसे देखें। हमने महाराष्ट्र में ऐसा शुरू किया था। मुझे गर्व है कि महाराष्ट्र के स्कूलों में ऐसा कार्य शुरू किया गया।...(व्यवधान) मैं इतना ही कहूंगा कि सिर्फ कानून बनाने से ही यह खत्म नहीं होगा, हमारा नजरिया बदलना चाहिए। हम संस्कृति से दूर जा रहे हैं। किसी ने कपड़े पहनने पर रोक लगाई, यह गलत है या सही है, इसे देखना चाहिए। जिस ढंग से सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है, उसके ऊपर भी खासकर कानून बनाकर कड़ी नजर रखकर उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, शासन देना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बैतूल): सभापित महोदय, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। महिलाओं की उत्पीड़न का यह विषय भारत के लिए बहुत गंभीर व्यवस्था के असंतुलन का प्रभाव है। अगर मैं पिछले दशक की बात करूं तो बहुत दुख होता है। अभी हमारे एक सांसद भाई कह रहे थे कि यह वही देश है, इस देश के वही संस्कार हैं जहां बच्ची के जन्म पर गांव में ढोल बजते थे, खुशियां मनाई जाती थीं। बेटी को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता था। जिस घर में बेटी का जन्म होता था, यह कहा जाता था कि यदि इस घर का वैभव और सुख-शान्ति है तो इस बेटी और लक्ष्मी से है। लेकिन आज जब हम उसके दूसरे रूप को देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि यह वही भारत है जहां आज की स्थिति में हमारे संस्कार हैं।

यदि हम वर्ष 2011 के आंकड़े देखें तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ दुराचार और उत्पीड़न का प्रतिशत बहुत ही अचंभित करने वाला और असंभवकारी है। मैं एक महिला हूं और इस नाते यदि उस बहन, बेटी और मां के साथ ऐसा उत्पीड़न होते हुए देखती हूं तो बहुत दुख होता है और होना भी चाहिए। आज जब हम इस सदन के माध्यम से इस बात को कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारा दायित्व होता है कि समाज में जहां ये घटनाएं घटती हैं, उन्हें कैसे रोकें। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा सबसे अधिक है। यदि हम उस आंकड़े को देखते हैं तो दुख ही नहीं पीड़ा भी होती है। यदि हम उत्तर प्रदेश का वर्ष 2011 का आंकड़ा देखते हैं, वह 22 हजार को पार कर चुका है। आज हम वर्ष 2014 में बदायुं और अन्य चीजों को देखेंगे तो सारी स्थिति स्पष्ट नजर आ जाती है।

सभापित महोदय, देश की आबादी में महिलाओं का हक आधा है, यानी 50 प्रतिशत महिलाओं की आबादी वाला देश अगर संस्कार विहीन हो जाये, तो दिल की पीड़ा ही नहीं होती, बल्कि इस समाज में जो भावनाएं हैं, कुरीतियां हैं, उन्हें भी हमें सुधारने की आवश्यकता है। यह शुरूआत और पहल हम सबसे पहले अपने आप से करें। इस तरह हम इस समाज को ही नहीं बदल सकते, बल्कि देश में महिलाओं पर अत्याचार करने वालों की भावनाओं को भी बदलने में सहायक साबित होंगे। बिहार में ये आंकड़े 10 हजार को पार कर चुके हैं। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, अभी मैंने शुरूआत ही की है। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको बोलते हुए पांच मिनट हो गये हैं, इसलिए अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती ज्योति धुर्वे : महाराष्ट्र में ये आंकड़े 15 हजार को पार करते हैं। आंध्र प्रदेश, जहां भगवान विष्णु का वास है, वहां लक्ष्मी ही लक्ष्मी है और बिना लक्ष्मी के भगवान विष्णु तो कहीं रहते ही नहीं हैं। वहां अगर हम यह आंकड़ा देखें, तो वह 28 हजार को पार कर चुका है। यह महिलाओं की दुर्दशा है और इस पर हमें कहीं

न कहीं चिंतित होने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे देश के प्रधान मंत्री की ने एक स्वर्णिम सोच ही नहीं, बिल्कि एक उदार सोच को प्रदर्शित किया है। आज देश उसका सम्मान कर रहा है। प्रधान मंत्री जी अपनी उदारता से लगातार नये-नये आयाम तैयार करने में लगे हुए हैं। वित्त मंत्री जी ने तो अपने खजाना ही खोल दिया है। आज हमारे गृह मंत्री जी ने पुलिस बल को बढ़ाने का ठोस निर्णय लिया है। उन्होंने महिलाओं के प्रति अत्याचार को कम करने के लिए पुलिस कांस्टेबिलों की लगभग 27 हजार तक की संख्या बढ़ाने का जो ठोस निर्णय लिया है, उसके लिए मैं उनका स्वागत करती हूं।

सभापित महोदय, यदि हम इस उत्पीड़न के आंकड़े देखें, तो इसमें 35 प्रतिशत उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति उनका सहयोगी होता है, 25 प्रतिशत उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति उनका पड़ोसी होता है और 17 प्रतिशत उत्पीड़न करने वाला आंकड़ा जो हमारे सामने आया है, तो वह कहीं न कहीं उसके परिवार का ही सदस्य होता है। ...(व्यवधान)

सभापित महोदय, मैं चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर रही हूं। ...(व्यवधान) आप बहुत अच्छे हैं। आप मुझे पिछली लोक सभा में बहुत बोलने का मौका दिया करते थे। ...(व्यवधान) मैंने दिल्ली के आंकड़े आपके सामने रखे ही नहीं हैं। दिल्ली ने तो सारी सीमाएं पार कर दी हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए वहां महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन आज दिल्ली की स्थिति यह है कि यदि महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध कहीं हो रहे हैं, तो वह दिल्ली प्रदेश है। यहां महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा उत्पीडन हो रहा है।

सभापित महोदय, यौन उत्पीड़न से लेकर दहेज उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि को देखा जाये, तो यह सब क्यों महिलाओं के साथ होता हैं। पुरूषों में जो संकीर्ण भावनाएं हैं, वे कहां से उत्पन्न हुई हैं। समाज में उन्होंने इन कुरीतियों को क्यों सहारा दिया हैं। हमने इसे बदलने का विश्वास क्यों नहीं लिया हैं। हमारे अंदर कौन सी ताकत की कमी है, जो महिलाओं को अपने बराबर बैठने या उन्हें रखने की हमारी सोच है, वह इतनी कमजोर क्यों है, यह मुझे जानना है। हमारी इतनी सारी बहनें ...(व्यवधान) सदन में अगर देखा जाये, तो यहां महिला सांसद की संख्या लगातार बढ़ी है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : ध्रुर्वे जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती ज्योति धुर्वे: सभापित महोदय, मैं 30 सैिकंड में अपनी बात समाप्त कर रही हूं। महिलाओं का जो परसेंटेज है, जितनी महिलाएं आज यहां सांसद बनकर आयी है, उन्हें जनता ने पूरे सम्मान के साथ भेजा है। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2014 से लेकर आने वाले पांच सालों में प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री द्वारा महिलाओं को पूरा संरक्षण और सुरक्षा दी जायेगी। वे उन्हें सभी माध्यमों से पूरी तरह से सुरक्षित करेंगे। ...(व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Hon. Chairman, Sir, I would thank you for giving this opportunity to speak on this subject. When my Party asked me to speak on this topic मैंने भी इंटरनेट चलाया, सारा डाटा मैं पढना शुरू किया। But the most interesting statistical data that has not been said in this House is which are the three most dreaded words in this country and those three words are: it is a girl. "कि बेटी हुई है। " ये तीन शब्द सबसे ज्यादा उरावने हैं इस देश में। The question is that most of what is significant to bring a change in this nation has already been said in this Parliament by women Parliamentarians and my colleagues who are males.हमने देखा था जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस सदन में आए, सबसे पहले संसद से अंदर आते वक्त अपना माथा टेका था। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा यह लगा कि सदन से पहले उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया था। So, as a woman, I appreciate it. पर सवाल यह उठता है कि ऐसा भी दिन हमने देखा था कि दिल्ली में बलात्कार इतने बढ़ गए थे निर्भया कांड से, कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी को कहा गया था कि आप इस्तीफा दीजिए। लेकिन आज मैं जब भी सुबह पेपर खोलती हूं, रोज कोई न कोई जेंडर-बेस्ड क्राइम रिपोर्ट हो रहा है। इस डिबेट को पोलिटिसाइज न करके, मैं यह कहूंगी कि this country expects a change. This country expects that as policy-makers, we will bring a change in this scenario. How do we do it? What has emerged from the oneand-a-half day long debate is that law is not the solution. Justice Verma's Report, I think one of the most comprehensive reports that this nation has delivered in the case of gender violence against women, also recognizes that law is not the solution. The solution is giving our women equality. एम्पावरमेंट क्या होता हैं। एम्पावरमेंट यह नहीं होता है कि हमको पुरुषों से भी आगे निकलना है. Empowerment means equality of opportunity. आज यह सरकार सबसे पहले जो कानून बनाया है, उसने ट्राई एक्ट अमेंड किया। उस बात का मुझे दुख नहीं है। But, as a Member of Parliament who is a woman, I would have been very happy had the Women's Reservation Bill been brought forward as the first legislation of this Parliament. That is the change of mindset. What did Mahatma Gandhi say? He said that you have to be the change that you want to see in the world.

Today, it is very sad that we see the mindset of our political class: to say boys will be boys; to say that to file a rape case is a fashion; to say that this is the manner of things in this country that we take these things casually. This mindset has to change.

Now, the hon. Minister is not in this House. But we can ask this Government that why is it that some of the provisions, some of the schemes of this Government like the ICDS, like the Gender Budget have not seen any increase. I say this because making laws will not change. These schemes have to go to the grassroots level. We have to take these schemes to the grassroots level women who are not living in Delhi, Bengaluru, Mumbai, Hyderabad so that they can be empowered.

Today, a lot of political things have been said. But when snooping happened in Gujarat, what hurt me more, the question that came to my mind is not that why a woman has been followed and who is the *Saheb* who wanted the report but the fact is that it was a violation of the Indian Telegraph Act. It does not allow you to follow a private citizen's life unless it is a matter of national security. Today, an officer at the level of Under-Secretary writes to the Karnataka Government and allows snooping.... (*Interruptions*)

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): It is a *sub judice* matter. I do not want to disturb you. . Please continue.

KUMARI SUSHMITA DEV: These are the laws.... (Interruptions)

These are the laws that I felt were being violated. Today, the nation expects that there will be a change.

I am sad to say that I come from the legal profession. But recently in Madhya Pradesh, we have seen that a Judge had been accused of sexually harassing another lady Judge. The question is that what Lord Meghnad has said in *The Indian Express*, and that is the reality of women's history in this country. It has changed. There is an empowered Sushmita Dev; there is an empowered Sushmaji here; and there is Soniaji here. But the fact is सीता का अपहरण, द्रौपदी का

वस्त्रहरण और निर्भया का निर्जातन। This is also the reality of India. It must change. And we must come together to change this. I hope that the mandate that you have got, you would use it to bring the Bill which gives 33 per cent reservation for women in State Assemblies and Parliament, which we could not because of politics within the coalition Government. I thank very much the Chairman for the opportunity.

*SHRIMATI M. VASANTHI (TENKASI): Hon'ble Chairman Sir, I thank you Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi Amma for giving me an opportunity to speak on need for stringent laws to prevent atrocities against women and children. Even after India got its independence, women are not enjoying freedom in the true sense of the term. From newspapers we come toknow of increasing incidents of rape, sexual assaults and other crimes against women. These crimes are on the rise day after the other. If such crimes continue to take place, what would be the end? It is a matter of great worry. There are many loopholes in the current legal system which allow criminals to go unpunished. This is an important discussion in Lok Sabha. Through this discussion, the Union Government should try to find permanent solutions to all the problems presently faced by women.

We call our nation, mother India. We have a tradition of respecting women. Every human being is given birth by a mother. God has given this great pride and distinction to women. Mahatma Gandhi once said, "if a woman can walk freely without fear in midnight only then we could say we achieved real freedom". Next to rapes there are high incidents of dowry harassment in the country.

In the world, particularly in India, dowry harassment is a challenge. National Crimes Records Bureau (NCRB) says that some women are addicted to such heinous crimes. It is a cultural set back. As per statistics of NCRB in 2010, 8391 death cases have been registered in the country. In every 90 minutes, a bride is burnt alive. In every lakh women, 1.4 per cent die due to dowry harassment. On an average for every 1 lakh women, 3.6 percent commit suicides. Many women's organizations have been fighting against dowry harassment. By using Dowry Prohibition Act, 1961, Criminal Law (second amendment) Act, 1983 and under Section 498A of Indian Penal Code, women rights activists have been fighting against dowry harassment for more than 40 years. In order to protect women from domestic violence, Dowry Prohibition Act is very much needed. Even after

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

enactment of Prevention of Domestic Voilence Act, the number of dowry cases has not come down. Dowry harassment is also prevalent in foreign countries. Criminals often go scot-free. Bride-burning takes place. Brides are burnt alive. Husband and in-laws commit such horrendous crimes.

Dowry has not been abolished in the Indian society. Bride and bride's family are subjected to embarrassment and harassment due to dowry related issues. The bridegroom side behaves so cruel and even in some cases by using kerosene they burn the bride alive. These incidents are not reported to police. They are hidden in most of the cases. They go unnoticed and unregistered.

As per statistical data, in every 12 hours a woman is burnt alive. Although these are heinous crimes, 90% of such cases are registered as accidents; 5 percent as suicides and only 5 per cent as murders. Dowry harassment has gone deep in our society. After determination of female child, even in foetus, families below poverty line, in fear of dowry kill such fame children. Even after birth, female children by spoon feeding oleander juice which is poisonous. In 1991 hon. Amma introduced Cradle Baby Scheme and adopted such female children. That scheme is being successfully implemented even today. Recently, in west Delhi a woman named Pooja was harassed and brutally killed by her husband. Cases were registered against her husband under sections 498A and 304 of Indian Penal Code. As per statistics of NCRB, from 1st January, 2001 to 30th December 2012, 92202 cases of dowry harassment have occurred in the country. Out of these, 84,013 registered cases are under trial in hon. Courts. In Nagaland and Lakshadweep, dowry harassment deaths are not registered. Union Government should come forward to enact stringent laws to protect women and children from these atrocities.

Hon. Amma has taken several measures for protection of wome. CCTV cameras were installed in malls, commercial complexes, working places of women, temples and other important places in order to check and prevent crimes against women. Fast track courts are also set up in all districts of Tamil Nadu to

deal with cases relating to women. All women Police stations are effectively functioning in Tamil Nadu. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Amma remains a role model to others. Perpetrators of heinous crimes and sexual assaults should be brought to book and awarded rigorous punishment.

Union Government should follow the government of Tamil Nadu in protecting the rights of women and children. In December 2012, a gang rape incident occurred in Delhi in which six persons raped and brutally attacked a girl inside a moving bus. This has shaken our conscience. She was given treatment in Singapore hospital. But despite various efforts, she succumbed to death due to injuries and infection on 29th December, 2012. This incident has raised several questions above the safety and security of women in our country. So, many years have passed since then but still the criminals are not punished. The criminals are roaming free without punishment. Severe punishements should be awarded to such criminals so that nobody would dare to commit such crimes in future.

I urge the Union Government in this regard. In every 30 seconds, it is shocking to note that a woman is raped somewhere in the country. During last 13 years, in 28 states, 2,82,844 rape cases were registered. In Delhi alone 8,060 rape cases were registered.

Because of strict measures taken by hon. Chief Minister Puratchithalaivi Amma, the number of sexual crimes has come down in Tamil Nadu. There is no doubt at Tamil Nadu will soon become a crime-free State. Tamil Nadu Police force under the leadership of Puratchithalaivi Ammals functioning effectively in addressing women's issues.

Therefore, I urge the Union Government to bring stringent legislation to prevent atrocities against women and children.

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I am, as a woman, really pained and disheartened that even after 67 years of Independence, still there is a need to speak on atrocities against women and children. Our Constitution, on paper, does not distinguish anybody on the basis of gender and provides equal rights and opportunities. However, in reality, it is very sad that day in and day out we keep hearing how women and children are abused and subjected to different forms of violence.

It is only the tip of the iceberg that is coming to our notice and that many kinds of violence against women and children go unreported or under-reported due to our social and cultural norms, taboos, stigma and the sensitivity of the subject itself. If reliable and full data is available to us, all of us would have got further depressed and ashamed of what is going on around us.

Indian women have been victims of humiliation, torture and exploitation since time immemorial. There are different types of violence perpetrated against women at different time periods in a woman's life. They are, for example, rape, marital rape, domestic violence, honour killing, dowry violence, acid throwing, sexual harassment, mistreatment of widows, witchcraft accusations etc. Apart from this, there are instances when women are also exposed to violence by the police when they approach police for redressal of grievances.

Since Independence, in view of the legislative measures adopted with regard to women, spread of education among women and women's gradual economic independence, women are being gradually recognized as important and meaningful in society. Still there is a need to raise voice and fight against atrocities against women and children.

Victimization of women and child abuse are closely linked. Those who victimize women also abuse their children. Women victims themselves neglect their children. Child labour, juvenile crime, orphans are the main types of child abuse. There is a tendency that the abused boys and girls become abusive parents.

The recent incidents of rape involving women across the country that has shaken the conscience of this country, is an indication of growing incidents of atrocities against women. I am confident that this Government will take necessary measures to combat the problem.

We have to do much more to end the victimization and child abuse and provide speedy justice to the women and children who have suffered the violence.

The atrocities against women and child abuse has a very negative effect on society and the nation as a whole and has a bearing on the public health, productivity etc. The effects of violence remain with the victims throughout their lives.

Effective redressal mechanisms are to be put in place and any legislation that is required is to be taken up on a priority basis not only to provide justice to the victims but also to provide confidence to the Indian women. Over the years, the share of women has considerably gone up in Legislatures, Government jobs and, thanks to Information Technology, even in private jobs.

Sir, in spite of this, I regret to state that this growth in the participation of women in governance does not have much demonstration effect in reducing the atrocities against women. This is because of the minimal presence of women in places where it matters. The presence of women as police officers, prosecutors and judges will not only strengthen justice for women and child abuse but also acts as deterrent to the potential criminal while infusing confidence in the weaker sex. I would request the Government to provide reservation to women for a specific timeframe as is done in the case of Scheduled Castes and Tribes, in the All India Services and in the higher judiciary. I am sure that this Government is alive to this burning issue and am confident of substantial progress in this regard during our current tenure.

Sir, I am sure that we are all eagerly waiting for the day when we achieve equality between men and women and find equal number of women in all spheres

of life, be it the Legislature, the Judiciary, the Executive and in all of places of public life, and that day this House will be colourful and joyful.

Sir, I am deeply indebted to you for giving me an opportunity to speak for myself and my gender.

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे महिलाओं की समस्या पर बोलने का मौका दिया। यह एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। अगर किसी देश की संस्कृति और समाज को समझना है तो सबसे आसान तरीका है कि उस देश की महिलाओं की स्थिति पर ध्यान डाला जाए। हम जानते हैं कि महिलाएं किसी भी समाज और संस्कृति के मापदंड के लिए दर्पण के समान होती हैं। वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया, ममता और बलिदान जैसे आधार पर सृष्टि खड़ी है। यह सभी गुण अगर एक साथ स्वाभाविक रूप से किसी में मिलते हैं तो वह नारी है। कहते हैं 'न अरि न यस्य कोSपि अरि', जिसका कोई शत्रु नहीं है वह नारी है। जीवन की समस्त रस धारा इसी पर आधारित है और सृष्टि का सृजन वही माता करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा वर्तमान एक इतिहास पर खड़ा होता है। यदि हम इतिहास की ओर नजर नहीं दौड़ाएंगे तो वर्तमान का ठीक आकलन नहीं कर पाएंगे। हम हड़प्पा और वैदिक समाज के साक्ष्यों को देखकर कह सकते हैं कि उस काल की महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। महिलाएं वैदिक काल में सभाओं में बैठकर राजनीतिक निर्णय लिया करती थीं। उनको विवाह संबंधित स्वतंत्रता भी थी। गार्गी, गोषा, अपाला, मैत्रेयी जैसी विदुषियां यह घोषित करती हैं कि उनकी स्थिति उस समय समाज में पुरुषों के समान थी। महात्मा बुद्ध के समय में महिलाओं को संघ में सम्मिलित होने की छूट थी। इन स्थितियों में गिरावट की श्रूरुआत गुप्तकाल में दिखाई पड़ने लगी थी। चूंकि यह सामंतवाद शुरु होने का काल था, इसी काल में यानी 510 एडी में एरेन अभिलेख सागर जिला मध्य प्रदेश में सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। यानी सामंतवादी प्रथा ने उनको सामंतों की निजी संपत्ति के रूप में समझ लिया था। बाद में मध्य काल की राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध के वातावरण ने महिलाओं में पर्दा प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, कन्या भ्रूण जैसे अभिशापों से ग्रसित कर दिया था। हालांकि मध्य काल के भक्ति संतों ने उनकी स्वतंत्रता की आवाज तो उठाई थी, मगर उनकी स्थिति पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ पाया था। बाद में 18वीं शताब्दी में भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया और सामंतवाद चरम सीमा पर पहुंच गया और उनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। कुछ भारतीय बुद्धिजीवियों जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानन्द, ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि ने महिला शिक्षा, सती उन्मूलन आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किये। दूसरी ओर गांधी जी द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय आंदोलन में कई महिला आंदोलनों को जन्म मिला और ये सारे कार्य शुरूआती कदम भर से ज्यादा कुछ नहीं बन पाये। महोदय, क्योंकि आप बहुत सारगर्भित बोलते हो और वही सारगर्भित बात में आपको बताना चाहती हूं। अंततः 1947 में भारत आजाद हुआ और महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान अधिकार दिये गये, जैसे महिलाओं को समान अधिकार अनुसूची 14 राज्यों द्वारा कोई भेदभाव नहीं, अनुसूची 15(1) अवसर की समानता, कार्य की समानता, समान वेतन और गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं पर रोक, दहेज उन्मूलन आदि। हालांकि इन कानूनों ने महिलाओं की स्थिति में थोड़ा

स्धार तो किया, लेकिन उनकी स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो पाया। तभी तो 70 के दशक के उत्तरार्ध में महिला आंदोलनों ने महिला शक्तिकरण के लिए जोर पकड़ा। लेकिन ये महिला आंदोलन दो कारणों से भटकाव की स्थिति में आ गये। पहला यह आंदोलन महिलाओं द्वारा शुरू किया गया और पुरुष वर्चस्व की लड़ाई में अपनी आजादी पाने की बजाय अपनी पहचान ही खो बैठा। दूसरे कुछ महिला आंदोलन पश्चिमी स्त्रीवादी आंदोलन की छाप पर चल पड़े, क्योंकि उनका नेतृत्व अभिजात वर्ग के लोग कर रहे थे और यह अभिजात होने का मतलब पश्चिम होना था। महिला शक्तिकरण का मतलब महिला स्वच्छंदता हो गया था और भारतीय महिलाओं की मूल समस्याओं से लड़ने की बजाय भारतीय संस्कृति से ही उनका टकराव होने लगा था। उधर 90 के दशक में आया आर्थिक उदारीकरण महिलाओं के लिए नई समस्याओं को लेकर आया। आर्थिक उदारीकरण ने महिलाओं को रोजगार के अवसर तो दिये, मगर उनके कार्य स्थल पर उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई। हालांकि सरकार इसके लिए कानून भी लाई, परंतु लगातार कार्य स्थल पर उन पर हो रहे हमलों ने हमारी चिंता को और भी बढ़ा दिया। सबसे चिंतनीय बात यह है कि ऐसी खबरें उन स्थानों से भी आने लगीं जहां महिलाएं उच्च पदों पर आसीन थीं। अभी हमारी बहन गीता यह बात आपके सामने साक्ष्य के रूप में कह रही थी। आर्थिक उदारीकरण या पूंजीवाद का दूसरा कुप्रभाव पड़ा कि महिला के शरीर का इस्तेमाल सामान बेचने के लिए विज्ञापनों के रूप में होने लगा। क्योंकि आगे सरकार आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया पर जोर देने जा रही है। इसलिए इन समस्याओं के और विकराल होने की अधिक संभावना बन रही है। महिलाओं को अगर सशक्त करना है तो मेरा मानना है कि महिलाओं को देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनाया जाए। आज उनकी देश के सरकारी महकमों में भागीदारी कम है। उनको ज्यादातर रोजगार अनौपचारिक क्षेत्रों में मिले हैं। दूसरे उनमें कौशल के विकास की कमी है। इस कारण वे उपक्रमी नहीं बन पाई हैं। इन सब कारणों से उनका आर्थिक शोषण होता है। आजकल एक नया प्रचलन कृषि के क्षेत्र में देखने को आया है। पुरुष कमाने के लिए शहर चला जाता है और महिलाओं को खेती के काम गांवों में संभालने पड़ते हैं। कृषि में भी उनके लिए अधिक कृषि कौशल बढ़ाया जाए, यह भी एक मूल मुद्दा होगा।

यह खुशी की बात है कि पिछले दशक में महिलाओं की साक्षरता की दर में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई, परंतु अफसोस की बात यह भी है कि उनकी शिक्षा में ही वृद्धि हुई, साक्षरता केवल पढ़ने-लिखने लायक बनाती है, जबकि शिक्षा उन्हें चुनने और निर्णय लेने की क्षमता की आजादी देती है।

18.00 hrs.

जो किसी के भी शक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम होता है। हालांकि महिलाओं पर होने वाली हिंसा की रक्षा के लिए सरकार ने विभिन्न कानून बनाए हैं। जैसे घरेलू हिंसा से रक्षा हेतु कानून, सैक्स डिटरिमनेशन

टैस्ट पर बैन लगाना, बलात्कार के लिए कड़े कानून बनाना, उन्हें संपत्ति में पुरूषों के बराबर हिस्सा देना। परंतु कानून बनाने के बाद भी दिलत महिलाओं के साथ बदायूं में हुए बलात्कार जैसी शर्मसार घटनाएं रोज़ तेज़ी से बढ़ रही हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि इस समस्या के समाधान के लिए केवल कानून बनाना भर ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे इन सारी समस्याओं की जड़ में पुरूषवादी सामंती सोच है। उसको कैसे बदला जाए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमने देखा है कि दहेज उन्मूलन कानून आने के बाद भी दहेज प्रथा और दहेज के लिए हत्याएं हो रही हैं। ...(व्यवधान) मैं एक और अहम समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। वह है महिलाओं के लिए शौचालयों की कमी। महिला गांवों में शौच के लिए अपने घर से निकलती हैं, उसकी अस्मिता हमेशा खतरे में पड़ी रहती है। बदायूं बलात्कार कांड और न जाने कितनी ऐसी घटनाएं शौचालयों की कमी के कारण होती हैं। सार्वजनिक और सुरक्षित शौचालय नहीं होने के कारण कामकाज के स्थल पर महिलाएं पानी कम पीती हैं और इसके कारण उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

सभापित महोदय, महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में भारत की मानसिकता के बदलाव की जरूरत है। आज कल नए लेखकों ने महिलाओं के लिए दुर्बल वर्ग, वीकर सैक्शन कह कर संबोधित किया है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब समय समाप्त हो गया है। आपका भाषण समाप्त।

...(व्यवधान)

श्रीमती संतोष अहलावत: सभापित महोदय, यह एक नकारात्मक शब्द है। नकारात्मक बदलाव को हमें बदलना होगा। यदि पुरूषों के पशुबल के आधार पर मज़बूत या कमज़ोर वर्ग माना जाता तब तो बात दूसरी है। यदि महिलाओं की तुलना दया में, क्षमा में, आदि गुणों में की जाती हैं, तब मैं कहूंगी कि महिलाएं स्ट्रॉन्ग सैक्स हैं, वीकर सैक्स नहीं हैं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब इनका भाषण समाप्त समझा जाए। सभा की कार्यवाही कल 8 अगस्त् सन् 2014, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>18.01 hrs.</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Firday, 8th
August/Shravana 17, (Saka)
